सत्यमेव जयते

वार्षिक प्रतिवेदन
2011–12

भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

वार्षिक प्रतिवेदन
2011-12

भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

विषय वस्तु

अध्याय		पृष्ठ संख्या
अध्याय–I	सिंहावलोकन	1 - 9
अध्याय–II	संगठनात्मक ढांचा और कार्य	10 - 20
अध्याय–III	कंपनी अधिनियम, 1956 और इसका कार्यान्वयन	21 - 50
अध्याय–IV	प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 – नीति, प्रावधान और कार्यनिष्पादन	51 - 63
अध्याय–V	संबद्ध विधान	64 - 70
अध्याय–VI	कारपोरेट क्षेत्र की सांख्यिकीय समीक्षा	71 - 73
अध्याय–VII	परस्पर क्रियाशील एवं उत्तरदायी प्रशासन की ओर	74 - 85
अनुलग्नक		
अनुलग्न–I:	कारपोरेट कार्य मंत्रालय की निर्देशिका	89 - 96
अनुलग्न–II:	क्षेत्रीय निदेशकों, कंपनी रजिस्ट्रारों तथा शासकीय समापकों के पते	97 - 101
अनुलग्न–III:	कारपोरेट कार्य मंत्रालय का संगठनात्मक चार्ट	102
अनुलग्न–IV:	कारपोरेट कार्य मंत्रालय के प्रमुख पदाधिकारी	103 - 109
अनुलग्न–V:	लेखापरीक्षा टिप्पणियां	110

अध्याय – I
सिंहावलोकन

1.1.1. वर्ष 2011–12 कारपोरेट क्षेत्र के सुस्थिर विकास में बाधाएं कम करने की दिशा में कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा किए गए विभिन्न नवीनतम उपायों की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा। इन उपायों का लक्ष्य वैश्विक व्यापार परिवेश के सामने आने वाली चुनौतियों से निपटने और भारतीय कारपोरेट क्षेत्र को अपना महत्व सिद्ध करने का अवसर देने के लिए एक समुचित कारपोरेट नियामक ढांचा उपलब्ध कराना है।

1.1.2. वर्ष के दौरान कंपनी विधेयक, 2011, चार्टर्ड अकाउंटेंट (संशोधन) विधेयक, 2011, लागत एवं संकर्म लेखाकार (संशोधन) विधेयक, 2011 तथा कंपनी सचिव (संशोधन) विधेयक, 2011 संसद में प्रस्तुत किए गए। इस वर्ष के दौरान किए गए अन्य महत्वपूर्ण पहल प्रयास हैं, प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत संयोजन विनियम अधिसूचित करना; भारतीय लेखांकन मानकों (भारतीय एएस) में 'कार्व–आउट्स' स्वीकृत करना; नियमों व प्रक्रियाओं को सरल बनाने वाली कुछ अधिसूचनाएं/सांविधिक आदेश; लागत लेखांकन नियमों में सुधार; ई–गवर्नेंस साधनों द्वारा पारदर्शिता के साथ 'ग्रीन इनिशिएटिव्स' का एकीकरण; बड़े पैमाने पर डाटा प्रोसेसिंग के लिए एक्सबीआरएल मोड के अंतर्गत ई–फाइलिंग; राज्यों व केन्द्र के बीच संयुक्त प्रयास में ई–स्टांप की स्वीकृति आदि थे। मंत्रालय ने आम जनता के प्रति कारपोरेट की अधिक जवाबदेयता प्रोत्साहित करने के लिए "**नैशनल वालंटरी गाइडलाइंस ऑन सोशल, एन्वायरमेंटल एंड इकोनोमिक रिस्पांसिबिलिटी ऑफ बिज़नेस 2011**" को जारी किया।

1.1.3. निरंतर विस्तृत होने वाले कारपोरेट क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मंत्रालय ने देश भर में अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को पुनः संगठित किया। मंत्रालय ने प्रतिस्पर्धा के लिए परिवेश बनाने तथा प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देने के लिए एक प्रारूप राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नीति भी आम जनता के विचार जानने हेतु प्रस्तुत की। मंत्रालय निवेशक संरक्षण के मुद्दों पर बड़ा गंभीर रहा है और चालू वर्ष के दौरान मंत्रालय ने संपूर्ण भारत के विभिन्न शहरों में व्यावसायिक संस्थानों के सहयोग से अनेक जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया।

1.1.4. भारत का व्यापार परिवेश तेजी से वैश्विक व्यापार प्रणाली से जुड़ता जा रहा है। विश्व में होने वाले विकास को समझने और कारपोरेट शासन, कारपोरेट सामाजिक दायित्व तथा लेखांकन व्यवसाय के विकास के क्षेत्र में मंत्रालय के पहल प्रयास प्रदर्शित करने के लिए मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे कारपोरेट रजिस्टर फोरम (सीआरएफ), अकाउंटिंग एंड कारपोरेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (एसीआरए), बिज़नेस लीडर्स

फ्रॉम अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव्स (जीआरआई), इंटरनेशनल एशोसिएशन ऑफ इन्सोल्वेंसी रेगुलेटर्स (आईएआईआर), आर्गेनाइजेशन फॉर इकोनोमिक कोओपरेशन एंड डेवलपमेंट (ओईसीडी), फेडरल ट्रेड कमीशन ऑफ यूएसए, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, यूएस, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन फॉर इंडस्ट्री एंड कॉमर्स (एसएआईसी) ऑफ जापान आदि से संपर्क/सहयोग किया गया।

1.1.5. भारत दिनांक 25.07.2011 से एक वर्ष के लिए कान्फ्रेंस ऑफ द कारपोरेट रजिस्टर्स फोरम (सीआरएफ) की कार्यकारी समिति का अध्यक्ष है। मंत्रालय ने नई दिल्ली में 13–16 फरवरी, 2012 को ''स्व–नियमन पर नियंत्रणः जानकारी का आदान–प्रदान – उत्तम आचरण का आदान–प्रदान'' शीर्षक से 2012 अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन का आयोजन करने का निर्णय किया है।

1.1.6. मंत्रालय अन्य के साथ–साथ कारपोरेट क्षेत्र के नियमन के लिए काफी संख्या में कानूनों के प्रशासन से संबंधित है जिनमें निम्नलिखित अधिनियम शामिल हैंः–

(i) कंपनी अधिनियम, 1956

(ii) प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002

(iii) सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) अधिनियम, 2008

(iv) चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949

(v) लागत एवं संकर्म लेखाकार अधिनियम, 1959

(vi) कंपनी सचिव अधिनियम, 1980

(vii) भागीदारी अधिनियम, 1932

(viii) सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860

(ix) कंपनी (राष्ट्रीय कोष में अंशदान) अधिनियम, 1951

विधायी उपलब्धियां

1.2.1. संशोधित कंपनी विधेयक, 2011 जिससे वर्तमान कंपनी अधिनियम, 1956 को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है, लोक सभा में दिनांक 14.12.2011 को प्रस्तुत किया गया। यह विधेयक प्रारंभ में वर्ष 2009 में प्रस्तुत किया गया था जिसमें वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों के आलोक में संशोधन किए गए थे। कंपनी विधेयक, 2011 में अन्य बातों के साथ–साथ कारपोरेट शासन के विभिन्न पक्षों से संबंधित वर्तमान प्रावधानों में व्यापक परिवर्तनों का प्रस्ताव है। विधेयक के प्रावधान प्रगतिशील, वैश्विक व्यापार परिवेश के अनुकूल और दूरगामी हैं जिनमें प्रौद्योगिकी व विधायी विकास पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है। नए विधेयक में निवेशक प्रजांतत्र का आश्वासन; कारपोरेट जवाबदेयता तथा जिम्मेदारी पर जनता की चिन्ता का समाधान; और साथ ही कुछ उद्योग अनुकूल प्रावधान प्रस्तावित किए गए हैं। यह विधेयक फिलहाल माननीय समिति के विचाराधीन है जिन्हें माननीय अध्यक्ष महोदया ने अपनी रिपोर्ट दो माह के अंदर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।

1.2.2. चार्टर्ड अकाउंटेंट (संशोधन) विधेयक, 2011, लागत एवं संकर्म लेखाकार (संशोधन)

विधेयक, 2011 तथा कंपनी सचिव (संशोधन) विधेयक, 2011, जिनमें एलएलपी अधिनियम, 2008 के अनुसरण में इन तीनों संस्थानों के सदस्यों को सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) फर्म में परिवर्तन का अधिकार देने और भारतीय लागत एवं संकर्म लेखाकार संस्थान का नाम बदलकर भारतीय लागत लेखाकार करने का प्रस्ताव था, को संसद के दोनों सदनों द्वारा शीत सत्र में पारित कर दिया गया है और राष्ट्रपति की सहमति लेने के बाद इन्हें भारत के राजपत्र में अधिसूचित कर दिया गया है।

अन्य नीति संबंधी उपलब्धियां

1.3.1. कुछ कंपनियों जिन्होंने वर्ष 2006–07 से 2009–10 तक के वर्षों के लिए अपने वार्षिक रिटर्न, लाभ–हानि विवरण और तुलन–पत्र निर्धारित समय सीमा में कंपनी रजिस्ट्रार कार्यालयों में दाखिल नहीं किए थे, को एमसीए–21 प्रणाली पर ऑनलाइन फाइलिंग से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, दस्तावेजों को समय पर दाखिल न करने के कारण कंपनियों से अतिरिक्त शुल्क लिया जाता था और उन पर अभियोजन भी चलाया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री में उपलब्ध रिकार्ड अद्यतन नहीं किए गए थे जिससे स्टेकहोल्डर्स को निरीक्षण के समय अद्यतन सूचना नहीं मिलती थी।

1.3.2. मंत्रालय ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 611(2) तथा धारा 637(ख) के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए ''**कंपनी विधि निपटारा योजना, 2011**'' शुरु की जिसमें रजिस्ट्रार के पास इन दस्तावेजों को दाखिल करने में हुए विलंब को छूट देते हुए अभियोजन से सुरक्षा और कंपनी अधिनियम, 1956 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत देरी से दस्तावेज दाखिल करने के लिए वास्तविक शुल्क के अलावा 25% अतिरिक्त शुल्क जमा करने का प्रावधान किया गया। इन चूककर्ता कंपनियों को अपने तुलन–पत्र और वार्षिक रिटर्न दाखिल करके अपनी चूक सुधारने और भविष्य में नियमित रूप से अनुपालन करने का अवसर दिया गया यह योजना 12.08.2011 से 15.01.2012 तक लागू रही।

1.3.3. कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत पंजीकृत कंपनियां, जिन्होंने निगमन के बाद से काम करना शुरू नहीं किया है अथवा व्यापार शुरू कर दिया परंतु बाद में कार्य नहीं कर रही हैं और अपने वार्षिक रिटर्न आदि कंपनी रजिस्ट्रार के पास दाखिल नहीं कर रही हैं को ''निष्क्रिय कंपनियां'' श्रेणीकृत किया जाता है। इस प्रकार जो निष्क्रिय कंपनियां अपना नाम कंपनी रजिस्टर से कटवाना चाहती है, उन्हें कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के तहत 03.07.2011 को जारी ''**फास्ट ट्रैक एग्जिट दिशा–निर्देश**'' नामक दिशा–निर्देशों के अंतर्गत अवसर दिया गया था।

अधिसूचनाएं और परिपत्र

1.4.1. मंत्रालय ने कंपनी (केन्द्र सरकार के) सामान्य नियम तथा फार्म, 1956 के ई–फार्म, 1क, 2, 3, 5, 8, 10ग, 17, 18, 23कग, 23कगक, 23ग, 23घ और 32 में संशोधन अधिसूचित किए हैं और (क) स्ट्रेट थ्रू प्रोसेस (एसटीपी) मोड व (ख) एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज (एक्सबीआरएल) नियम के अनुसरण में कुछ श्रेणियों की कंपनियों

द्वारा एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज में तुलन–पत्र दाखिल करवाने के लिए नए ई–फार्म–23कग – एक्सबीआरएल और 23कगक–एक्सबीआरएल शुरु किए हैं। ये दिशा–निर्देश दिनांक 03.07.2011 से प्रभावी हुए।

1.4.2. वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत नियमों व प्रक्रियाओं को सरल बनाते हुए कुल 30 (तीस) अधिसूचनाएं व 47 (सैंतालीस) सामान्य परिप्रत्र/प्रेस विज्ञप्तियां जारी की गई। इसके अतिरिक्त कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा 01.04.2011 से 31.12.2011 तक की अवधि के दौरान कंपनियों द्वारा की जाने वाली निजी नियुक्तियों के नियमन हेतु एक विभागीय परिपत्र और निदेशकों के अभियोजन संबंधी एक मास्टर परिपत्र जारी किया गया।

प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002

1.5.1. प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 अब पूरी तैयारी के साथ लाया गया है और यह अब भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के साथ उसके मुख्य क्षेत्राधिकार में पूर्णतया लागू है। प्रारंभिक कार्यकरण से प्राप्त अनुभव को देखते हुए अधिनियम में कुछ संशोधनों की जांच की जा रही है।

सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008

1.6.1. मंत्रालय ने एलएलपी के पंजीकरण और रजिस्ट्रार एलएलपी के पास अन्य रिटर्न उसकी वेबसाइट नामतः www.llp.gov.in पर ऑनलाइन दाखिल करने के लिए दिल्ली में एकल केन्द्रीय रजिस्ट्री की स्थापना की है।

भारतीय लेखांकन मानकों का अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों के साथ सुमेलन

1.7.1. भारतीय लेखांकन मानकों का अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों के साथ सुमेलन सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय नोडल मंत्रालय है। भारतीय लेखांकन मानकों का अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों के साथ सुमेलन का कार्य कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 210क के अंतर्गत गठित राष्ट्रीय लेखांकन मानक सलाहकार समिति (एनएसीएएस) को सौंपा गया था जिसने अपनी रिपोर्ट दिनांक 07.02.2006 को प्रस्तुत की और उसमें मंत्रालय में आगे कार्रवाई के लिए 35 भारतीय लेखांकन मानकों से संबंधित सिफारिशें की।

1.7.2. मंत्रालय ने 13.05.2008 को वर्ष 2011 तक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (आईएफआरएस) के साथ सुमेलन का लक्ष्य घोषित किया और भारत की बदलती अर्थव्यवस्था की जरूरतों को पूरा करने के लिए सभी स्टेकहोल्डर्स के हित में सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं के अनुरूप कारपोरेट वित्तीय प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु अपने प्रयासों की पुनः पुष्टि की। सितंबर, 2009 में पिट्सबर्ग में आयोजित जी–20 शिखर सम्मेलन में जी–20 देशों ने ''अपने अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन निकायों को अपनी स्वतंत्र मानक स्थापना प्रक्रिया के संदर्भ में उच्च स्तरीय, वैश्विक लेखांकन मानकों का एकल सेट तैयार करने के और अपनी

सुमेलन परियोजना जून, 2011 तक पूरी करने के प्रयास दोगुने करने का आहवान करना'' स्वीकार किया।

1.7.3. एनएसीएएस द्वारा भेजे गए 35 भारतीय मानकों की मंत्रालय में एक तकनीकी समिति द्वारा जांच की गई। भारत में प्रचलित लेखांकन सिद्धांतों व प्रथाओं के प्रयोग में दूरी/अंतर को कम करने के लिए अंततः, जून, 2011 में भारतीय लेखांकन मानकों में कुछ कार्व आउट्स स्वीकार किए गए। ये कार्व आउट्स अन्य बातों के साथ–साथ विदेशी मुद्रा विनिमय दर, एशोशिएट्स में निवेश, प्रस्तुतीकरण भाग में वित्तीय साधनों, मान्यता देना तथा मापन, व्यवसाय संयोजन आदि से संबंधित है। ये कार्व आउट्स एमसीए वेबसाइट पर रखे गए हैं परंतु कार्यान्वयन की तारीख अभी अधिसूचित नहीं की गई है।

कारपोरेट उत्तरदायित्व संबंधी नए दिशा–निर्देशः

1.8.1. माननीय कारपोरेट कार्य मंत्री द्वारा दिनांक 08.07.2011 को नए राष्ट्रीय ''व्यापार के सामाजिक, पर्यावरणीय और आर्थिक उत्तरदायित्व संबंधी स्वैच्छिक दिशा–निर्देश'' जारी किए गए। इन दिशा–निर्देशों में व्यापार द्वारा सर्वांगीण और समग्र आर्थिक विकास सुनिश्चित करते हुए जिम्मेदारी से कार्य करने की मूल आवश्यकता पर बल दिया गया है। इस दस्तावेज में भारत के महत्वपूर्ण स्टेकहोल्डर्स का समेकित परिप्रेक्ष्य शामिल किया गया है। वर्तमान दिशा–निर्देशों द्वारा कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व स्वैच्छिक दिशा–निर्देश, 2009 में महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं।

निवेशकों की शिकायतों का समाधान

1.9.1. निवेशक/जमाकर्ता ''निवेशक सेवाएं'' के अंतर्गत मंत्रालय की वेबसाइट www.mca.gov.in का प्रयोग करते हुए एमसीए–21 प्रणाली के माध्यम से अपनी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। साथ ही मंत्रालय में नोडल अधिकारी के अतिरिक्त क्षेत्रीय स्तर पर नोडल अधिकारियों की प्रणाली स्थापित की गई है। निवेशक शिकायतों का प्रभावी और जवाबदेह समाधान करने के लिए मंत्रालय ने एमसीए–21 प्रणाली पर अपने शिकायत मॉड्यूल का पुनर्गठन किया है। कार्य की पुनरावृत्ति से बचने के लिए निवेशक हेल्पलाइन परियोजना बंद करने का भी निर्णय किया गया है।

1.9.2. चालू वर्ष के प्रारंभ में एमसीए पोर्टल पर 1320 शिकायतें लंबित थीं। चालू वर्ष में (31.12.2011 तक), 4151 शिकायतें प्राप्त हुईं। एमसीए पोर्टल पर प्राप्त कुल 5471 शिकायतों में 4780 शिकायतों का समाधान कर दिया गया और 31.12.2011 को 691 शिकायतें लंबित थीं। इसके अतिरिक्त, प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग से सीपीजीआरएएमएस पोर्टल के माध्यम से कुल 3484 ऑनलाइन शिकायतें जिनमें से 2966 शिकायतों का निपटान कर दिया गया और

513 शिकायतें अधीनस्थ संगठनों में लंबित थीं। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय को सेबी, वित्त मंत्रालय आदि जैसी अन्य एजेंसियों से संबंधित अन्य 115 शिकायतें प्राप्त हुई जिन्हें आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दिया गया।

निवेशक जागरूकता

1.10.1. मंत्रालय ने पहले भी गैर–सरकारी संगठनों के माध्यम से निवेशक जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया था। तथापि, कार्यक्रम की क्वालिटी में सुधार के लिए चालू वर्ष के दौरान निवेशक जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन मुख्यतया तीन व्यावसायिक संस्थानों आईसीएसआई, आईसीएआई और आईसीडब्ल्यूएआई को सौंपा गया है। इन संस्थानों ने मिलकर 'मेट्रो तथा बड़े शहरों' में ऐसे 30 कार्यक्रमों और राज्य राजधानियों तथा जिला मुख्यालयों में 1200 कार्यक्रमों की योजना बनाई है। 31.12.2011 तक देश के विभिन्न भागों में इस प्रकार के 806 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है।

1.10.2. इसके अतिरिक्त, कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने उद्योग संघ की सहायता से निवेशक जागरूकता विषय पर राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित करने के लिए 5 नगरों में 6–11 फरवरी, 2012 के दौरान ''**भारत कारपोरेट और निवेशक सम्मेलन**'' का आयोजन किया। इस सम्मेलन के दौरान ''निवेशक निर्देशिका'' नामक पुस्तक और दो पुस्तिकाओं नामतः ''फर्स्ट स्टेप टू इंवेस्टिंग – ए बिग्नर्स गाइड'', तथा ''प्राइमर फॉर फर्स्ट टाइम एंड एक्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स'' का विमोचन एवं वितरण किया गया।

कारपोरेट शासन

1.11.1. भारतीय कारपोरेट क्षेत्र में अच्छी कारपोरेट शासन प्रथाओं को बढ़ावा देने की दृष्टि से कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय कारपोरेट शासन प्रतिष्ठान (एनएफसीजी) के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर कारपोरेट शासन संबंधी विभिन्न पहल प्रयासों को सुव्यवस्थित करने तथा विश्व भर में इसी प्रकार के संगठनों के साथ विचार–विमर्श के लिए एक मंच उपलब्ध कराया है। एनएफसीजी के तत्वावधान में किए जाने वाले कार्यकलापों में भारतीय कंपनियों में कारपोरेट शासन, कारपोरेट शासन प्रथाओं संबंधी अनुसंधान कार्यकलाप आदि से संबंधित सेमिनार और सम्मेलन शामिल हैं। वर्ष 2011–12 (दिसंबर, 2011 तक) के दौरान एनएफसीजी ने देशभर में और विदेशों में एक निदेशक ओरिएंटेशन कार्यक्रम तथा तेरह सेमिनार/सम्मेलन/कार्यकलापों का आयोजन किया।

कारपोरेट धोखाधड़ी की जांच

1.12.1. भारत सरकार अपनी बहु विषयक जांच एजेंसी गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) के माध्यम से कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अंतर्गत जांच करवाती है। 2011–12 (31.12.2011 तक) के दौरान सात नए मामलों में जांच का आदेश दिया गया है। अब तक एसएफआईओ को जांच के लिए कुल 89 मामले भेजे गए हैं। इनमें से 73 मामलों में एसएफआईओ ने जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, चार मामले न्यायालयों द्वारा स्थगित अथवा खारिज कर दिए गए हैं और शेष 12 मामलों में जांच की जा रही है।

एमसीए–21 ई–गवर्नेंस

1.13.1. एमसीए–21 कंपनी का निगमन, प्रभारों का पंजीकरण, निदेशकों में परिवर्तन तथा प्रत्येक पंजीकृत कंपनी द्वारा सांविधिक फाइलिंग सहित कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत नियमन और सेवा सुपुर्दगी दोनों कार्यों का एकीकरण करता है। यह कंपनियों के प्रारंभ से समापन तक सभी कारपोरेट आंकड़ों की सर्वाधिक प्रामाणिक रिपॉजिटरी है और इसमें रखे जाने वाले दस्तावेज पब्लिक डोमेन में हैं।

1.13.2. अवधि 01.04.2011–31.12.2011 के दौरान एमसीए–21 देश की पहली ऐसी परियोजना जहां राज्य विषय के अंतर्गत शामिल होने वाली सेवा, राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की ओर से एक केन्द्रीय मंत्रालय द्वारा दी जाती है, संयुक्त सेवाओं के लिए निर्देशन मॉडल है। एमसीए–21 पोर्टल के माध्यम से धनराशि पात्र सरकारों को शीघ्रता से अंतरित कर दी जाती है। चूककर्ता कंपनियों के लिए एक साधारण छूट योजना, कंपनी विधि निपटारा योजना, 2011 एमसीए–21 पोर्टल के माध्यम से प्रभावी ढंग से लागू की गई।

1.13.3. कुछ श्रेणियों की कंपनियों के लिए फाइलिंग एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज (एक्सबीआरएल) मोड में रूपानंतरित की गई है। इससे कंपनियों द्वारा सांविधिक रिपोर्टों में निहित आंकड़ों की सरल प्रोसेसिंग होगी तथा कंपनी अधिनियम की अपेक्षाकृत सरल, शीघ्र तथा पारदर्शी कार्यान्वयन के लिए ढांचे के निर्माण में सहायता मिलेगी।

1.13.4. चालू वर्ष के दौरान पूर्णतया संशोधित किया गया मंत्रालय का पोर्टल www.mca.gov.in मंत्रालय के कार्यकलापों और कार्यक्रमों से संबंधित प्रामाणिक सूचना का वास्तविक झरोखा है। सूचना प्रदान करने से साथ–साथ यह रजिस्ट्री एमसीए व अन्य सेवाओं का लाभ उठाने का एक मंच भी है।

1.13.5. एमसीए–21 परियोजना के निम्नलिखित कार्यात्मक आंकड़े प्रणाली की सुदृढ़ता, बढ़ती हुई फाइलिंग तथा बेहतर अनुपालन को प्रतिबिंबित करते हैं:–

क्र.सं.	विवरण (31.12.2011) तक फाइलिंग की स्थिति	संख्या
1.	प्रतिदिन औसत पोर्टल हिट्स	31050
2.	31.12.2011 तक प्रणाली के माध्यम से कुल फाइलिंग	156.93 लाख
3.	किसी एक दिन (29.10.2011) को दाखिल अधिकतम दस्तावेजों की संख्या	71435
4.	ऑनलाइन पंजीकृत की गई कंपनियों की संख्या	406148
5.	31.12.2011 तक जारी कुल डीआईएन	21.31 लाख
6.	ऑनलाइन देखे गए कंपनी रिकार्ड	19.23 लाख
7.	दाखिल तुलन–पत्रों की संख्या	27.47 लाख
8.	दाखिल वार्षिक रिटर्न की संख्या	28.03 लाख
9.	31.12.2011 तक प्राप्त ई–स्टांप की राशि	388.64 करोड़ रुपए
10.	वर्ष के दौरान संशोधित ई–फार्म की संख्या	20

1.13.6. परियोजना के कार्यान्वयन से सेवाओं की सुपुर्दगी में काफी कम समय लगता है जिससे क्षमता में काफी सुधार हुआ है और यह तथ्य निम्नलिखित तालिका से स्पष्ट हैं:–

क्र.सं.	सेवा का प्रकार	एमसीए–21 से पहले	एमसीए–21 के बाद
1.	नाम का अनुमोदन	7 दिन	1–2 दिन
2.	कंपनी निगमन	15 दिन	1–3 दिन
3.	नाम में परिवर्तन	15 दिन	3 दिन
4.	प्रभार लगाना/संशोधन	10–15 दिन	2 दिन
5.	प्रमाणित प्रतिलिपि	10 दिन	2 दिन
6.	वार्षिक रिटर्न	60 दिन	तत्काल
7.	तुलन–पत्र	60 दिन	तत्काल
8.	निदेशकों में परिवर्तन	60 दिन	तत्काल
9.	पंजीकृत कार्यालय के पते में परिवर्तन	60 दिन	1–3 दिन
10.	प्राधिकृत पूंजी में वृद्धि	60 दिन	1–3 दिन
11.	सार्वजनिक दस्तावेज़ देखना	स्वयं उपस्थित होकर	ऑनलाइन

क्षमता निर्माण और जानकारी का आदान–प्रदान

1.14.1. कारपोरेट कार्य मंत्रालय अपने प्राधिकारियों के साथ समय–समय पर संपर्क करता है और मुख्यालय में अधिकारियों व स्टाफ के साथ–साथ क्षेत्रीय निदेशकों/कंपनी रजिस्ट्रारों/शासकीय समापकों को नवीनतम जानकारी और तकनीक से अवगत कराने के लिए विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण/कार्यशालाओं का आयोजन करता है ताकि एक तेज और पारदर्शी सेवा सुपुर्दगी तंत्र को बढ़ावा दिया जा सके। वर्ष 2011–12 के दौरान निम्नलिखित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया:–

(i) कंपनी रजिस्ट्रार कार्यालयों के कंपनी विधि रजिस्ट्री कार्य।

(ii) कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत कारपोरेट शासन तथा नियमन।

(iii) कारपोरेट दिवालियापन, कंपनियों को बंद करना तथा समापन।

(iv) कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निरीक्षण व जांच।

(v) मंत्रालय में अधिकारियों व स्टाफ के लिए एक्सबीआरएल संबंधी ओरिएंटेशन कार्यशाला।

(vi) प्रत्येक क्षेत्रीय निदेशालय में भी एक्सबीआरएल कार्यशालाओं का आयोजन किया गया।

(vii) मंत्रालय द्वारा नियमित विभिन्न अधिनियमों के व्यापक क्षेत्रों की जानकारी के लिए जुलाई, 2011 माह के दौरान मंत्रालय के

नॉन–आईसीएलएस अधिकारियों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया।

(viii) अधिकारियों के व्यक्तिगत स्टाफ के लिए एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।

(ix) मंत्रालय के सभी अधिकारियों और स्टाफ के लिए फाइल ट्रैकिंग सिस्टम (एफटीएस) पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है।

1.14.2. इसके अतिरिक्त, वर्ष 2011–12 (दिसंबर, 2011 तक) के दौरान भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए) ने कारपोरेट क्षेत्र से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर तेरह कार्यशालाओं/सेमिनारों, आईएएस के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए प्रतिस्पर्धा कानून व नीति में एक मूल्यांकन सत्र और आईसीएलएस अधिकारियों के दूसरे बैच के लिए प्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यरत आईसीएलएस अधिकारियों के लिए निरीक्षण, कंपनियों को बंद करना व समापन जैसे विभिन्न मुद्दों पर अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

मंत्रालय का सिटीजन चार्टर

1.15.1. वर्ष 2010–11 के दौरान मंत्रालय के सिटीजन चार्टर की समीक्षा की गई और यह मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध है। मंत्रालय ने वाणिज्य एवं उद्योग संघों के माध्यम से स्टेकहोल्डर्स, लेखांकन व कंपनी सचिव व्यावसायिक, निवेशकों, सांसदों आदि के विचार लिए। चार्टर तैयार करने के लिए विभिन्न औपचारिक व अनौपचारिक विचार–विमर्श के दौरान स्टेकहोल्डर्स के विचार प्राप्त किए गए।

अध्याय – II
संगठनात्मक ढांचा और कार्य

2.1 प्रशासनिक ढांचा

2.1.1. मंत्रालय का तीन स्तरीय ढांचा है नामतः नई दिल्ली में सचिवालय, अहमदाबाद, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता (दो), मुम्बई और नोएडा में सात क्षेत्रीय निदेशक कार्यालय, राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में 15 कंपनी रजिस्ट्रार, 13 शासकीय समापक और कंपनी रजिस्ट्रार एवं शासकीय समापक के 9 कार्यालय हैं। मंत्रालय के समग्र प्रशासनिक नियंत्रणाधीन शासकीय समापक कार्यालय अपने–अपने राज्यों के उच्च न्यायालयों से संबद्ध हैं।

क. मुख्यालय

2.1.2. मुख्यालय के ढांचे में एक सचिव, एक अपर सचिव, तीन संयुक्त सचिव, एक आर्थिक सलाहकार, एक लागत सलाहकार, दो निदेशक, निरीक्षण एवं जांच तथा अन्य अधिकारी शामिल हैं जिन्हें प्रशासनिक, कानूनी, लेखांकन, आर्थिक और सांख्यिकी मामलों में सुविज्ञता प्राप्त है। इसके अतिरिक्त, महानिदेशक, कारपोरेट कार्य (डीजीसीए) के एक कार्यालय की स्थापना मुख्यालय एवं प्रादेशिक निदेशकों के मध्य प्रशासनिक और विधिक/तकनीकी मामलों में मध्यस्थ के रूप में की जा रही है। मुख्यालय की दूरभाष निर्देशिका अनुलग्नक–I पर दी गई है। मंत्रालय का संगठनात्मक चार्ट अनुलग्नक–II पर और मुख्य अधिकारियों की सूची अनुलग्नक–III में दी गई है।

ख. क्षेत्रीय निदेशक

2.1.3. क्षेत्रीय निदेशक अपने संबंधित क्षेत्रों के प्रभारी हैं, प्रत्येक क्षेत्र में कई राज्य और संघ शासित प्रदेश सम्मिलित हैं। ये निदेशक अपने–अपने क्षेत्रों में कार्यरत कंपनी रजिस्ट्रार और शासकीय समापक कार्यालय के कार्यों का पर्यवेक्षण करते हैं। ये कार्यालय कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रशासन से संबंधित मामलों में संबंधित राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार के बीच संपर्क भी बनाए रखते है। कंपनी अधिनियम के अंतर्गत केन्द्र सरकार के कुछ अधिकार क्षेत्रीय कार्यालयों को सौंपे गए हैं। उन्हें विभागाध्यक्ष भी घोषित किया गया है। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209क के अंतर्गत कंपनियों की लेखा बही के निरीक्षण के लिए प्रत्येक क्षेत्रीय निदेशक कार्यालय के साथ एक निरीक्षण यूनिट भी है।

ग. कंपनी रजिस्ट्रार और शासकीय समापक

2.1.4. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 609 के अंतर्गत विभिन्न राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के लिए नियुक्त कंपनी रजिस्ट्रारों का प्राथमिक कर्तव्य संबंधित राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में शुरु

होने वाली कंपनियों का पंजीकरण करना और यह सुनिश्चित करना है कि ये कंपनियों अधिनियम के अंतर्गत सांविधिक अपेक्षाओं का अनुपालन कर रही है। ये कार्यालय उनमें पंजीकृत कंपनियों से संबंधित रिकार्डों की रजिस्ट्री के रूप में कार्य करते हैं जो निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर आम जनता को दिखाए जाते हैं। केन्द्र सरकार संबंधित क्षेत्रीय निदेशकों के माध्यम से इन कार्यालयों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखती है।

2.1.5. शासकीय समापक कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 448 के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी हैं और विभिन्न उच्च न्यायालयों से संबद्ध हैं। शासकीय समापक संबंधित क्षेत्रीय निदेशकों के प्रशासनिक प्रभार के अंतर्गत आते हैं जो केन्द्र सरकार की ओर से इनके कार्य का पर्यवेक्षण करते हैं। शासकीय समापक कंपनियों को बंद किए जाने के संबंध में उच्च न्यायालयों के निदेशों और पर्यवेक्षण के अधीन कार्य करते है। साथ ही केन्द्र सरकार पर कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 463 के तहत शासकीय समापकों पर समग्र नियंत्रण रखने का दायित्व भी है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे अपनी कर्तव्य निष्ठा से करते हैं और उक्त अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत सभी लागू अपेक्षाओं का पालन करते हैं।

2.1.6. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 457 में यथा निर्धारित शासकीय समापकों की कर्तव्य और अधिकार मुख्यतः कंपनी को देय ऋण की वसूली के लिए ऋणी व्यक्तियों के विरूद्ध दावे दायर करना, शासकीय समापक द्वारा कब्जे में ली गई कंपनी की चल और अचल परिसंपत्तियों की बिक्री, कंपनी के पूर्व निदेशकों के विरूद्ध उनके कार्यों और गलतियों तथा विश्वास भंग के लिए अपराधिक शिकायतें दर्ज करना और कदाचार की कार्यवाही शुरू करना, ऋणदाताओं से दावे मंगाना, ऋणदाताओं के दावों का निर्णय और निपटारा, लाभांश द्वारा ऋणदाताओं को भुगतान करना और जहां कही आवश्यक हो अंशदाताओं की सूची का निपटान; तथा कंपनी की परिसंपत्तियां उसकी देयता से अधिक होने के मामले में पूंजी के लाभ का भुगतान और अंततः कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 481 के अंतर्गत कंपनी का विघटन करना है।

2.1.7. दिनांक 11.08.2011 के कार्यालय ज्ञापन सं.42011/12/2009–प्रशा.–II द्वारा मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों का पुनर्गठन किया गया है। क्षेत्रीय निदेशक, कंपनी रजिस्ट्रार, शासकीय समापक और कंपनी रजिस्ट्रार एवं शासकीय समापकों की सूची और उनका ई–मेल पता अनुलग्नक–IV में दिया गया है।

मुख्यालय में प्रभाग/अनुभाग/कक्ष

2.2.1. कारपोरेट कार्य मंत्रालय के मुख्यालय का कंपनी कानूनों, कारपोरेट नीति आदि के विभिन्न पक्षों का प्रशासन/नियमन करने के लिए विभिन्न प्रभागों/अनुभागों/कक्षों में गठन किया गया है। कंपनी अधिनियम के प्रशासन के लिए तंत्र का विस्तृत विवरण अध्याय–III में दिया गया है जबकि प्रतिस्पर्धा कानून और सीमित देयता भागीदारी से संबंधित मामले क्रमशः अध्याय–IV और अध्याय–V में दिए गए हैं।

2.2.2. कंपनी अधिनियम के प्रावधानों का प्रशासन संबंधित संयुक्त सचिवों के पर्यवेक्षण के अधीन निदेशकों/उप सचिवों के माध्यम से विभिन्न अनुभागों द्वारा किया जाता है। इन अनुभागों के प्रमुख कार्यों का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं:

कंपनी विधि–I अनुभाग कंपनी अधिनियम, 1956 और एलएलपी अधिनियम, 2008 तथा उनके अंतर्गत विशेष प्रावधानों में समय–समय पर संशोधन का कार्य करता है। यह अनुभाग इस प्रयोजन के लिए समय–समय पर गठित कार्य दल/विशेषज्ञ समिति के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करता है।

कंपनी विधि–II अनुभाग तुलन–पत्रों, विशेष लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तकनीकी संवीक्षा और कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत धनराशि के दुरुपयोग और अन्यत्र उपयोग तथा कदाचार से संबंधित शिकायतों के आधार पर निरीक्षण, जांच एवं अभियोजन के मामलों का निपटान करता है।

कंपनी विधि–III अनुभाग पूंजी जुटाने (इश्यू निकालने, ऋणों और ऋण पत्रों का परिवर्तन) अथवा शेयर पूंजी में कटौती, लाभांश का भुगतान, तुलन–पत्र और लाभ–हानि विवरण का प्रपत्र और अंश, समामेलन एवं विलयन, विदेशी कंपनियों के लेखें, कंपनियों के नामों का अनुमोदन करने के लिए क्षेत्रीय निदेशक/कंपनी रजिस्ट्रार कार्यालयों से प्राप्त पत्र, संगम ज्ञापन और अनुच्छेद में परिवर्तन आदि का कार्य करता है।

कंपनी विधि–IV अनुभाग कंपनी अधिनियम, 1956 की विभिन्न धाराओं और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत चूक के मामलों, जिससे अभियोजन उत्पन्न होते है, का कार्य और कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 399 (4) के अंतर्गत कदाचार और उत्पीड़न के निवारण/आरोपित कार्यों के लिए याचिका दायर करने हेतु अनुमति लेने के लिए केन्द्र सरकार को किए गए आवेदनों/याचिकाओं की जांच करना। कंपनी रजिस्ट्रार, क्षेत्रीय निदेशक, शासकीय समापकों और मंत्रालय के अन्य संबद्ध कार्यालयों द्वारा दाखिल उत्तर/शपथ–पत्रों के प्रारूप का सत्यापन और जांच की जाती है।

कंपनी विधि–V अनुभाग के अन्तर्गत दो पॉलिसी अनुभाग निम्नलिखित हैः

पॉलिसी–I मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल समितियों और सचिव समिति के विचारार्थ नीति मामलों से संबंधित कार्य करता है। साथ ही यह अनुभाग संस्थानों को सार्वजनिक वित्तीय संस्थान के रूप में घोषित करने, पूंजी बाजार, सेबी के साथ समन्वय, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, धनराशि का दुरुपयोग और भारत में आतंकवाद को वित्तीय सहायता देने के विरूद्ध, आईएफआरएस के साथ लेखांकन मानकों के सुमेलन संबंधी कार्य करता है।

पॉलिसी–II कंपनी अधिनियम, 1956 और एलएलपी अधिनियम, 2008 के प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित विभिन्न नियमों और प्रक्रियाओं का स्पष्टीकरण/सरलीकरण, कारपोरेट विधि के कार्यान्वयन में सहायता के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू करना, ई–गवर्नेंस प्रपत्र और सभी क्षेत्रीय कार्यालयों

द्वारा कार्यों में एकरूपता के लिए दिशा–निर्देशों का अनुपालन, सरकारी कंपनियों को वार्षिक आम बैठक के आयोजन की अवधि में और स्थान परिवर्तन में छूट देना।

कंपनी विधि–VI अनुभाग संबंधित पार्टी लेन–देन, आरक्षित निधि से लाभांश की घोषणा, निधि कंपनियां, कंपनियों द्वारा जमा राशि स्वीकार करना, एकल विक्रय एजेंटों की नियुक्ति तथा प्रभावी उपक्रमों द्वारा शेयरों का अधिग्रहण/अंतरण।

कंपनी विधि–VII अनुभाग प्रबंध निदेशक/पूर्णकालिक निदेशक/प्रबंधक की नियुक्ति और पारिश्रमिक का भुगतान, उसमें वृद्धि और उससे वसूली, निदेशकों की पात्रता/अर्हता की जांच, निदेशकों की संख्या में परिवर्तन के मामले, कंपनी विधि बोर्ड की सिफारिश पर कुप्रबंधन को रोकने के लिए सरकारी निदेशकों की नियुक्ति और उसकी अनुवर्ती कार्रवाई तथा प्रबंधकीय कार्मिक के विरूद्ध मामले से संबंधित कार्य करता है।

2.2.3. इसके अतिरिक्त, निदेशक निरीक्षण एवं जांच (डीआईआई) और कंपनी रजिस्ट्रारों को कंपनी की लेखाबही का निरीक्षण करने, विशेष लेखापरीक्षा का निदेश देने, कंपनी के मामलों में जांच का आदेश देने और कंपनी अधिनियम, 1956 का उल्लंघन करने के लिए अभियोजन शुरू करने का अधिकार दिया गया है। किसी कंपनी द्वारा अवैध/धोखाधड़ी किए जाने के मामले में जिसका शेयरधारकों, लेनदारों, कर्मचारियों और अन्य के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव हो तो कार्यवाही शुरू करने के लिए कंपनी की लेखाबही और अन्य दस्तावेजों का निरीक्षण किया जाता है। समुचित मामलों में निरीक्षण के परिणाम अन्य मंत्रालयों/विभागों जैसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, प्रवर्तन निदेशालय, राज्य सरकार अथवा भविष्य निधि प्राधिकारियों को भी सूचित किए जाते है।

लागत लेखापरीक्षा शाखा

2.2.4. कारपोरेट कार्य मंत्रालय के अधीन लागत लेखापरीक्षा शाखा में भारतीय लागत लेखा सेवा (आईसीओएएस) के व्यावसायिक कार्यरत है और इसका प्रमुख कार्य कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209 (1) (घ) और 233ख से संबंधित है। यह शाखा धारा 209 (1) (घ) के अंतर्गत विभिन्न उद्योगों/उत्पादों के लिए लागत लेखा रिकार्ड नियम (सीएआरआर) तैयार एवं अधिसूचित करती है। इन नियमों में कंपनियों की विशेष श्रेणी द्वारा लागत रिकार्डों को रखने का तरीका निर्धारित किया जाता है। यह शाखा नियामक निकायों तथा अन्य सरकारी एजेंसियों की बदलती हुई अपेक्षाओं, प्रौद्योगिकी में परिवर्तन, उत्पादन प्रक्रिया, लेखांकन मानकों और लागत लेखा मानकों में परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए वर्तमान सीएआरआर को तर्कसंगत भी बनाती है। धारा 233ख के अंतर्गत केन्द्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से कंपनी के निदेशक बोर्ड द्वारा नियुक्त लागत लेखापरीक्षक द्वारा लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट नियमों के अनुसरण में लागत रिकार्डों की लेखापरीक्षा के आदेश जारी किए जाते है।

निवेशक शिकायत प्रबंधक कक्ष

2.2.5. कारपोरेट कार्य मंत्रालय का निवेशक शिकायत प्रबंधक कक्ष (आईजीएमसी), जिसे पहले निवेशक संरक्षण कक्ष (आईपीसी) कहा जाता था, की स्थापना निवेशकों की शिकायतों से निपटने के लिए वर्ष 1993 में की गई थी। इसका कार्य कंपनी रजिस्ट्रारों के माध्यम से निवेशकों की शिकायतों का समाधान करना है। यह निवेशकों की शिकायतों के समाधान के लिए भारतीय रिजर्व बैंक, आर्थिक कार्य विभाग के साथ इन एजेंसियों से संबंधित परंतु कारपोरेट कार्य मंत्रालय में प्राप्त शिकायतों के लिए समन्वय भी करता है। ये शिकायतें मुख्य रूप से निम्नलिखित मुद्दों से संबंधित हैं:

(i) वार्षिक रिपोर्ट न मिलना।

(ii) लाभांश राशि प्राप्त न होना।

(iii) आवेदन राशि प्राप्त न होना।

(iv) मैच्योर जमा राशि और उस पर ब्याज का भुगतान न मिलना।

(v) डुप्लीकेट शेयर प्राप्त न होना।

(vi) शेयरों के अंतरण का पंजीकरण न होना।

(vii) शेयर प्रमाण–पत्र जारी न करना

(viii) लाभांश प्रमाण–पत्र प्राप्त न होना।

(ix) राइट्स बोनस शेयर जारी न करना।

(x) देरी से भुगतान करने पर ब्याज न देना।

(xi) लाभांश और उस ब्याज का विमोचन न होना।

(xi) परिवर्तन पर शेयर प्रमाण–पत्र न मिलना।

2.2.6. निवेशक/जमाकर्ता मंत्रालय की वेबसाइट www.mca.gov.in में ''निवेशक सेवाएं'' के अंतर्गत एमसीए–21 प्रणाली के माध्यम से अपनी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। प्रणाली में ऑनलाइन शिकायत की पावती एक शिकायत संख्या देकर दी जाती है जिसका प्रयोग भविष्य में शिकायत पर कार्रवाई जानने के लिए किया जा सकता है। क्षेत्रीय स्तर पर नोडल अधिकारी हैं और इसी के अनुरूप मंत्रालय में नोडल अधिकारी है।

2.2.7. फील्ड कार्यालयों को निवेशक शिकायत समाधान कार्य से सक्रिय रूप से संबद्ध करने के लिए मंत्रालय में मुख्यालय के साथ–साथ सभी क्षेत्रीय निदेशक व कंपनी रजिस्ट्रार कार्यालयों में नामित अधिकारी की अध्यक्षता में एक नोडल दल का गठन किया गया है। निवेशक अपनी शिकायतें क्षेत्रीय स्तर पर संबंधित नोडल अधिकारियों को प्रस्तुत कर सकते हैं। यदि किसी निवेशक की शिकायत का समाधान एक यथोचित अवधि बीत जाने के बाद भी न हो तो उसे मंत्रालय के नोडल अधिकारी के समक्ष में लाया जा सकता है। कारपोरेट कार्य मंत्रालय के नोडल अधिकारियों की अद्यतन सूची निवेशक सेवाएं के अंतर्गत एमसीए वेबसाइट पर उपलब्ध है।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अनुभाग

2.2.8. मंत्रालय का अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अनुभाग अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे कारपोरेट रजिस्टर्स फॉर्म (सीआरएफ), अकाउंटिंग एंड कारपोरेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (एसीआरए), यूएस अमेरिकन

चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के बिजनेस लीडर्स, ग्लोबल रिपोर्टिंग इनिशिएटिव्स (जीआरआई), इंटरनेशनल एशोसिएशन ऑफ इन्सोल्वेंसी रेगुलेटर्स (आईएआईआर), ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक को–ऑपरेशन एंड डवलपमेंट (ओईसीडी), फेडरल ट्रेड कमीशन, यूएसए, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, यूएसए, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन फॉर इंडस्ट्री एंड कॉमर्स (एसएआईसी) ऑफ जापान के साथ संपर्क करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

अनुसंधान एवं विश्लेषण प्रभाग

2.2.9. कारपोरेट कार्य मंत्रालय के अनुसंधान एवं विश्लेषण प्रभाग के अध्यक्ष आर्थिक सलाहकार हैं जिनकी सहायता के लिए निदेशक, उप निदेशक तथा सहायक निदेशक का एक दल है जो भारतीय आर्थिक सेवा और भारतीय सांख्यिकी सेवा के व्यावसायिक हैं। यह प्रभाग भारत में कारपोरेट क्षेत्र के कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिए विकास नीति के साथ–साथ कारपोरेट निष्पादन, पूंजी बाजार सुधारों, विनिवेश और बृहत स्तर पर प्रत्यक्ष विदेश निवेश के मुद्दों पर आर्थिक परामर्श देता है। यह प्रभाग कंपनी अधिनियम, 1956 की कार्यप्रणाली व प्रशासन के संबंध में सूचना/आंकड़ों की मॉनीटरिंग व प्रबंधन तथा आर्थिक विश्लेषण द्वारा सरकार को जानकारी भी उपलब्ध कराता है।

अवस्थापना अनुभाग

2.2.10. अवस्थापना अनुभाग मंत्रालय और इसके क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए भूमि और भवन खरीदकर तथा सभी भवनों के निर्माण/मरम्मत/रखरखाव के लिए पूंजी निर्माण कार्यों द्वारा बेहतर अवस्थापना उपलब्ध कराने का कार्य और मुख्यालय तथा इसके क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए किराये पर भवन लेने हेतु समझौते करता है।

आरटीआई मॉनीटरिंग कक्ष

2.2.11. मॉनीटरिंग कक्ष मुख्यालय तथा सभी क्षेत्रीय/संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में विभिन्न व्यक्तियों से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्राप्त सूचना मंगाने के अनुरोध का रिकार्ड रखता है और इस प्रकार के अनुरोध पर नीमित सीपीआईओ तथा अपीलीय प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित समय–सीमा में कार्रवाई/अंतिम निपटान करने की प्रगति की मॉनीटरिंग करता है।

लिंगमूलक बजट कक्ष

2.2.12. कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने सरकारी बजट में लिंगमूलक विश्लेषण एकीकृत करने में सहायता के उद्देश्य से कारपोरेट कार्य मंत्रालय के लिंगमूलक बजट कक्ष की स्थापना की है। कारपोरेट कार्य मंत्रालय के लिंगमूलक बजट कक्ष ने कारपोरेट कार्य मंत्रालय, मंत्रालय के विभिन्न शाखाओं के साथ–साथ फील्ड कार्यालयों, संबद्ध कार्यालयों तथा व्यावसायिक संस्थानों में लिंग प्रतिनिधित्व पर सूचना/डाटाबेस प्रणाली तैयार करने के उपाय किए हैं। कारपोरेट कार्य मंत्रालय में लिंगमूलक बजट कक्ष का उद्देश्य समानता और महिला सशक्तिकरण के मुद्दों पर कारपोरेट क्षेत्र की नीतियों के प्रभाव का मूल्यांकन करते हुए बजट नियतन के लिंगमूलक विभाजन पर बढ़ती हुई

जागरूकता में सहायता करना है।

राजभाषा अनुभाग

2.2.13. राजभाषा अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों का कार्यान्वयन राजभाषा अनुभाग द्वारा किया जाता है जिसके अध्यक्ष मंत्रालय के संयुक्त सचिव हैं। राजभाषा अनुभाग का कार्य राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी होने वाले दस्तावेजों का अंग्रेजी से हिन्दी में तथा विलोमतः अनुवाद करना और संसदीय राजभाषा समिति से संबंधित कार्य करना है। यह अनुभाग राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों का आयोजन करने और हिन्दी सलाहकार समिति द्वारा लिए गए निर्णयों का कार्यान्वयन करने के लिए उत्तरदायी है। यह अनुभाग हिन्दी शिक्षण योजना और हिन्दी कार्यशालाओं के आयोजन का कार्य भी करता है। यह मंत्रालय में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग के लिए सुझाव देता है और राष्ट्रीय भाषा नीति के संबंध में विभागाध्यक्ष द्वारा सौंपे गए कार्य का प्रबंध करता है।

सीमित देयता भागीदारी रजिस्ट्रार

2.3.1. सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 के अंतर्गत एलएलपी रजिस्ट्रार और एलएलपी सहायक रजिस्ट्रार के साथ एक द्विस्तरीय ढांचा है जिनकी सहायता के लिए 12 कर्मचारियों का दल है। एलएलपी रजिस्ट्रार दो संयुक्त सचिवों को रिपोर्ट करते हैं, नीति मामलों के लिए एक निदेशक, जांच एवं निरीक्षण के माध्यम से एक संयुक्त सचिव को और ई–गवर्नेंस व प्रशासन सहित अवशिष्ट मामलों के लिए एक निदेशक की सहायता से दूसरे संयुक्त सचिव को रिपोर्ट करते हैं।

2.3.2. इसके अतिरिक्त, यह मंत्रालय क नोडल मंत्रालय के रूप में कंपनी विधि बोर्ड, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, प्रतिस्पर्धा अपीलीय ट्रिब्यूनल और गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) जैसे अनेक संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों की कार्यप्रणाली के लिए भी उत्तरदायी हैं। मंत्रालय के कार्यों में कंपनी (द्वितीय) संशोधन अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अंतर्गत राष्ट्रीय कंपनी विधि ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) और राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) की स्थापना शामिल है।

संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय/संगठन

कंपनी विधि बोर्ड

2.4.1. कंपनी विधि बोर्ड कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 10ड. के अंतर्गत गठित एक स्वतंत्र अर्ध–न्यायिक निकाय है और इसने दिनांक 31.05.1991 से कार्य करना शुरु किया। कंपनी विधि बोर्ड के कार्यों का नियमन कंपनी विधि बोर्ड नियमन, 1991 नामक नियमनों जिनमें बोर्ड के समक्ष आवेदन/याचिकाएं दायर करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है और कंपनी विधि बोर्ड (आवेदनों तथा याचिकाओं पर शुल्क) नियम, 1991 के अंतर्गत कंपनी विधि बोर्ड के समक्ष आवेदन तथा याचिकाएं दायर करने के लिए शुल्क निर्धारित करने के नियमों द्वारा किया जाता है। बोर्ड की प्रधान खंडपीठ नई दिल्ली में है और इसकी क्षेत्रीय पीठें नई दिल्ली, कोलकाता, मुम्बई और चेन्नई में हैं।

2.4.2. कंपनियों के पंजीकृत कार्यालय एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित होने की पुष्टि और उसके परिणामस्वरूप कंपनी के संगम ज्ञापन में परिवर्तन होने तथा कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत प्रभारों के रजिस्टर में परिवर्तन से संबंधित प्रक्रिया में लगने वाले समय व लागत में कटौती के उद्देश्य से कंपनी विधि बोर्ड के कार्य केन्द्र सरकार को सौंपें गए हैं। सरकार ने यह कार्य आगे कंपनी रजिस्ट्रारों को सौंपा है। इन कार्यालयों को एमसीए–21 प्रणाली के तहत ऑनलाइन मोड में परिवर्तित करने के उपाय किए गए हैं।

राष्ट्रीय कंपनी विधि ट्रिब्यूनल/राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय ट्रिब्यूनल

2.4.3. कंपनी (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2002 के अंतर्गत राष्ट्रीय कंपनी विधि ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) और राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) के गठन का प्रस्ताव है। संशोधन अधिनियम को मद्रास उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई और इस मामले पर अंतिम निर्णय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 11.05.2010 के अपने निर्णय द्वारा दिया। संसद के शीतकालीन सत्र में प्रस्तुत संशोधित कंपनी विधेयक, 2011 में उच्चतम न्यायालय के दिशा–निर्देश भी शामिल किए गए हैं।

2.4.4. ये ट्रिब्यूनल समापन व बंद करने विलयन एवं समामेलन से संबंधित कार्यों के लिए कंपनी विधि बोर्ड, औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड तथा औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण अपीलीय प्राधिकरण को प्रतिस्थापित करेंगें।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग

2.4.5. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) की स्थापना प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के अंतर्गत दिनांक 14.10.2003 को प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली प्रथाओं को दूर करने, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने तथा बनाए रखने, उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा और भारत के बाजारों में होने वाले व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई थी।

2.4.6. प्रतिस्पर्धा रोधी समझौतों और प्रभावी स्थिति के दुरुपयोग से संबंधित प्रतिस्पर्धा अधिनियम के प्रावधान 20.05.2009 से लागू किए गए हैं।

प्रतिस्पर्धा अपीलीय ट्रिब्यूनल

2.4.7. प्रतिस्पर्धा अपीलीय ट्रिब्यूनल की स्थापना प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के अंतर्गत दिनांक 14.10.2003 को की गई थी जिसे भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के निदेशकों अथवा निर्णयों के विरूद्ध अपीलें सुनने और आयोग व स्वयं ट्रिब्यूनल के निर्णयों के कारण क्षतिपूर्ति के लिए दावों पर निर्णय करने का अधिकार है।

गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय

2.4.8. भारत सरकार द्वारा कारपोरेट कार्य मंत्रालय में एसएफआईओ की स्थापना दिनांक 02.07.2003 के संकल्प द्वारा की गई है। यह एक बहुखंडीय जांच एजेंसी है जिसमें बैंकिंग क्षेत्र, पूंजी बाजार, कंपनी विधि, विधि, फोरेंसिक लेखापरीक्षा, कराधान, सूचना प्रौद्योगिकी आदि के विशेषज्ञ कारपोरेट

धोखाधड़ी का पता लगाने के लिए मिलकर कार्य करते हैं। एसएफआईओ उन धोखाधड़ी से जुड़े मामलों की जांच करता है जो (क) जटिल और अंतर्विभागीय और बहुखंडीय प्रकृति के हैं, (ख) जिनमें महत्वपूर्ण जनहित शामिल हैं चाहे धनराशि के दुरुपयोग के संबंध में आकार (50 करोड़ या अधिक, अथवा जहां कंपनी की प्रदत्त पूंजी 5 करोड़ रुपए हैं अथवा जिसमें से कम से कम 20: जनता से अंशदान द्वारा प्राप्त की गई है), अथवा प्रभावित व्यक्तियों के संबंध में (कम से कम 5,000 व्यक्ति) तथा (ग) जांच की संभावना जो प्रणाली विधि अथवा प्रक्रिया में स्पष्ट सुधार में योगदान देने के लिए हो। एसएफआईओ कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 235 से 247 तक के प्रावधानों के अंतर्गत जांच करता है। कंपनी विधेयक, 2011 में एसएफआईओ को सांविधिक दर्जा और कारपोरेट धोखाधड़ी के मामले में पुलिस कार्रवाई करने का अधिकार देने पर विचार किया गया है।

2.4.9. एसएफआईओ का विभागाध्यक्ष एक निदेशक है जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव स्तर का अधिकारी है। निदेशक की सहायता के लिए कुछ अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, वरिष्ठ सहायक निदेशक और सहायक निदेशक हैं। मामलों की जांच अधिकारियों के दल द्वारा की जाती है। एसएफआईओ का मुख्यालय दिल्ली में और शाखा कार्यालय मुम्बई में हैं। एसएफआईओ के क्षेत्रीय कार्यालय हैदराबाद, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद और नई दिल्ली में स्थापित किए जा रहे हैं।

लेखाकारों के व्यावसायिक संस्थान

2.5.1. मंत्रालय संसद के अधिनियमों के तहत गठित तीन व्यावसायिक संस्थानों नामतः भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान, भारतीय लागत एवं संकर्म लेखाकार संस्थान और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के माध्यम से लेखाकारिता के व्यवसाय को नियमित करने वाले कानूनों {चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949} लागत एवं संकर्म लेखाकार {लागत एवं संकर्म लेखाकार अधिनियम, 1959} और कंपनी सचिव {कंपनी सचिव अधिनियम, 1980} का प्रशासन भी करता है। इन संस्थानों की कार्य प्रणाली इस रिपोर्ट के अध्याय–VI में विस्तार से दी गई है।

भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान

2.6.1. कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने कारपोरेट विकास, जानकारी प्रबंधन के माध्यम से सुधार, भागीदारी और समस्या समाधान को एक–ही–स्थान पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए) की स्थापना की है जो एक 'समग्र विचारक–मंडल' और एक 'क्षमता निर्माण, सेवा सुपुर्दगी संस्थान' के रूप में कार्य करेगा। यह संस्थान बदलते हुए आर्थिक परिवेश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नीति और विधायी उपाय तैयार करने में कारपोरेट कार्य मंत्रालय की सहायता करता है और संगठनात्मक सुधार पहल प्रयासों में सहायता देता है। साथ ही, यह संस्थान भारतीय कारपोरेट विधि सेवा (आईसीएलएस) के अधिकारियों और मंत्रालय में कार्यरत अन्य अधिकारियों की प्रशिक्षण जरूरतों को

भी पूरा करता है। इसके अतिरिक्त, आईआईसीए विभिन्न क्षेत्रों जैसे एमसीए–21, कारपोरेट शासन, कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण आदि में सेवा सुपुर्दगी तंत्र के निरंतर सुधार में भी सहायता करता है।

2.6.2. यह संस्थान 21वीं सदी के परिवेश में सरकार, कारपोरेट, निवेशक, सिविल सोसाइटी, व्यावसायिकों, शिक्षाविदों और अन्य स्टेकहोल्डर्स के मध्य वार्ता, विचार–विमर्श और भागीदारी के लिए एक मंच उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। आईआईसीए के अध्यक्ष, महानिदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं।

निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष

2.7.1. निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष (आईईपीएफ) का गठन कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205ग के अंतर्गत निवेशक शिक्षा, जागरूकता एवं संरक्षण से संबंधित कार्यकलापों में सहायता देने के उद्देश्य से किया गया था और जिसमें निम्नलिखित अदावाकृत राशि जमा की जाएगीं:–

(क) कंपनियों का भुगतान न किया गया लाभांश लेखा;

(ख) प्राप्त आवेदन राशि और वापसी के लिए देय राशि;

(ग) मैच्योर हो गई जमा राशि;

(घ) उपर्युक्त धनराशि पर प्राप्त ब्याज;

(क) मैच्योर ऋण पत्र;

(क) केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, कंपनियों अथवा किसी अन्य संस्थान द्वारा अनुदान और चंदा एवं।

(क) कोष से किए गए निवेश पर ब्याज अथवा प्राप्त कोई अन्य आय।

2.7.2. कोष के लक्ष्य/कार्यकलाप इस प्रकार हैं:–

- निवेशकों को बाजार कार्यकलापों की जानकारी देना
- निवेशकों द्वारा विवेकपूर्ण निर्णय लेने के लिए सूचना का विश्लेषण करना
- निवेशकों को बाजार उतार–चढ़ाव की जानकारी देना
- निवेशकों को विभिन्न कानूनों के अंतर्गत उनके अधिकारों और जिम्मेदारियों की जानकारी देकर सशक्त बनाना
- प्रतिभूति बाजार में अनैतिक तत्व और अनुचित प्रथाओं के बारे में निरंतर जानकारी का प्रसार
- नए निवेशकों को प्रतिभूति बाजार में भाग लेने के लिए बढ़ावा देकर निवेशक आधार व्यापक करना
- सुविचारित नीति निर्णयों में मदद के लिए एक जानकारी आधार बनाने हेतु अनुसंधान एवं निवेशक सर्वेक्षण को प्रोत्साहित करना
- निवेशक शिक्षा, जागरूकता एवं संरक्षण से संबंधित कार्यकलापों तथा उपर्युक्त लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कोष से धनराशि व्यय करने से संबंधित निर्णय लेने के लिए अधिनियम

के अंतर्गत एक समिति का गठन किया गया है।

राष्ट्रीय कारपोरेट शासन प्रतिष्ठान

2.8.1. कारपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा सुस्थिर संपत्ति सृजन के उपाय के रूप में भारत में बेहतर कारपोरेट शासन प्रणालियों को बढ़ावा देने की दृष्टि से दिनांक 01.10.2003 को राष्ट्रीय कारपोरेट शासन प्रतिष्ठान (एनएफसीजी) की स्थापना की गई। प्रतिष्ठान की स्थापना भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई), भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) और भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (आईसीएआई) के साथ भागीदारी में एक ट्रस्ट के रूप में की गई है। वर्ष 2010 में एनएफसीजी में आईसीडब्ल्यूएआई और राष्ट्रीय स्टॉक बाजार को शामिल करते हुए इसका विस्तार किया गया। एनएफसीजी राष्ट्रीय स्तर पर कारपोरेट शासन संबंधी विभिन्न पहल प्रयासों को सुव्यवस्थित करने के लिए एक मंच के रूप में भी कार्य करता है और विश्व भर में अपने समकक्ष संगठनों के संपर्क में रहता है।

2.8.2. एनएफसीजी की आंतरिक शासी संरचना में माननीय कारपोरेट कार्य मंत्री की अध्यक्षता में एक शासी परिषद्; सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय की अध्यक्षता में ट्रस्टी बोर्ड; और एक कार्यकारी निदेशालय हैं।

2.8.3. ट्रस्टी बोर्ड नीतियों एवं कार्यक्रमों का कार्यान्वयन तथा सुगम कार्यप्रणाली के लिए प्रक्रियाएं निर्धारित करता है। कार्यकारी निदेशालय ट्रस्टी बोर्ड के निर्णयों का कार्यान्वयन करता है। एनएफसीजी का कार्यकारी निदेशक मुख्य कार्यकारी अधिकारी है। कार्यकारी निदेशालय बोर्ड द्वारा सौंपे गए कार्यों को करने के लिए ट्रस्टी बोर्ड द्वारा दिए गए अधिकारों का प्रयोग करता है। कार्यकारी निदेशक की सहायता के लिए एक पूर्णकालिक विशेष व्यावसायिक सचिवालय है।

अध्याय – III
कंपनी अधिनियम, 1956 एवं उसका प्रशासन

3.1.1. कंपनी अधिनियम, 1956 मुख्यतया कंपनियों की स्थापना से समापन और उनके बंद होने तक के विभिन्न कार्यकलापों का नियमन करता है। इस अधिनियम में कंपनियों के संगठनात्मक, वित्तीय और प्रबंधकीय सहित विभिन्न पक्षों के लिए नियामक ढांचा दिया गया है। अधिनियम में कारपोरेट शासन, ढांचा का नियमन और कंपनियों की अपने स्टेकहोल्डर्स के प्रति बाध्यता, अधिमान शेयरों को शासित करने की शर्तें, निजी निवेश और लाभांश का वितरण, सांविधिक प्रकटीकरण बाध्यता, निरीक्षण, जांच एवं प्रवर्तन का अधिकार और कंपनी प्रक्रियाओं जैसे विलयन/समामेलन/समझौता/पुनर्निर्माण आदि पर विशेष बल दिया गया है। समापन मुद्दे फिलहाल मुख्य रूप से उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में हैं।

3.1.2. अधिनियम के मुख्य उद्देश्य संक्षेप में इस प्रकार हैं:–

(क) शेयरधारकों के हितों की शेयरधारक प्रजातंत्र के माध्यम से सुरक्षा;

(ख) समुचित प्रकटीकरण द्वारा अन्य स्टेकहोल्डर्स जैसे लेनदारों, वित्तीय संस्थानों के हितों की सुरक्षा;

(ग) विलयन/समामेलन आदि सहित कंपनियों की प्रक्रियाओं के नियमन के लिए एक ढांचा उपलब्ध कराना; तथा

(घ) जनहित में कानून के प्रवर्तन के पर्याप्त अधिकार कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सरकार को देना।

नियमों एवं प्रक्रियाओं का सरलीकरण

3.2.2. दिनांक 01.04.2011 से 31.12.2011 तक की अवधि के दौरान मंत्रालय ने नियमों तथा प्रक्रियाओं को सरल बनाने तथा अधिक पारदर्शिता लाने के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत तीस अधिसूचनाएं जारी कीं।

क्र.सं.	अधिसूचना संख्या	दिनांक	विषय
1.	सा.का.नि. 303 (अ)	06.04.2011	निदेशक के संबंधी (कार्यालय अथवा लाभ का स्थान) नियम, 2003 में संशोधन।
2.	सा.का.नि. 304 (अ)	06.04.2011	कंपनी विनियमन, 1956 में संशोधन।
3.	सा.का.नि. 326 (अ)	08.04.2011	दिनांक 31.08.2006 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 517(अ) में संशोधन।
4.	सा.का.नि. 351 (अ)	29.04.2011	कंपनी (केन्द्र सरकार) सामान्य नियम एवं प्रपत्र (संशोधन) नियम, 2011।
5.	सा.का.नि. 357 (अ)	02.05.2011	निदेशक के संबंधी (कार्यालय अथवा लाभ का स्थान) नियम, 2011।

क्र.सं.	अधिसूचना संख्या	दिनांक	विषय
6.	सा.का.नि. 368 (अ)	09.05.2011	कंपनी (संशोधन) नियमन, 2011।
7.	सा.का.नि. 378(अ)	11.05.2011	लेखांकन मानक –11 को दिनांक 31.03.2011 तक बढ़ाना।
8.	सा. आ. 1152(अ)	23.05.2011	केन्द्र सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 226 (3) (क) के सीमित प्रयोजनार्थ एलएलपी को एक कारपोरेट निकाय निर्दिष्ट करना।
9.	सा.का.नि. 396 (अ)	23.05.2011	कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची–XIII में संशोधन।
10.	सा.का.नि. 407 (अ)	26.05.2011	कंपनी (केन्द्र सरकार) सामान्य नियम एवं प्रपत्र (द्वितीय संशोधन) नियम, 2011।
11.	सा.का.नि. 408 (अ)	29.05.2011	कंपनी (केन्द्र सरकार) सामान्य नियम एवं प्रपत्र (संशोधन) नियम, 2011।
12.	सा.का.नि. 419 (अ)	30.05.2011	कंपनी (डाक मतपत्र द्वारा संकल्प पारित करना) नियम, 2011।
13.	सा.का.नि. 427 (अ)	02.06.2011	कंपनी निदेशक पहचान संख्या (द्वितीय संशोधन) नियम, 2011।
14.	सा. आ. 1355(अ)	10.06.2011	दिनांक 08 मई, 1978 की अधिसूचना संख्या सा.आ. 1329(अ) में संशोधन।
15.	सा.का.नि. 453(अ)	14.06.2011	6 क्षेत्रीय निदेशकों से संबंधित कंपनी (संशोधन) नियमन, 2011।
16.	सा.का.नि. 506 (अ)	05.07.2011	सीमित देयता भागीदारी (संशोधन) नियम, 2011।
17.	सा.का.नि. 507 (अ)	05.07.2011	कंपनी निदेशक पहचान संख्या (तृतीय संशोधन) नियम, 2011।
18.	सा.का.नि. 514 (अ)	07.07.2011	कंपनी (केन्द्र सरकार) सामान्य नियम एवं प्रपत्र (संशोधन) नियम, 2011।
19.	सा.का.नि. 533 (अ)	14.07.2011	कंपनी (केन्द्र सरकार) सामान्य नियम एवं प्रपत्र (संशोधन) नियम, 2011।
20.	सा.का.नि. 534 (अ)	14.07.2011	कंपनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची–XIII में संशोधन।
21.	सा.का.नि. 618 (अ)	11.08.2011	कंपनी (केन्द्र सरकार) सामान्य नियम एवं प्रपत्र (संशोधन) नियम, 2011।
22.	सा.का.नि. (अ).....	22.09.2011	कंपनी (संशोधन) नियम, 2011 – नियमन 17 का संशोधन।
23.	सा.का.नि. 716 (अ)	23.09.2011	कंपनी (केन्द्र सरकार) सामान्य नियम एवं प्रपत्र (संशोधन) नियम, 2011।
24.	सा.का.नि. 749 (अ)	05.10.2011	कंपनी (केन्द्र सरकार) सामान्य नियम एवं प्रपत्र (संशोधन) नियम, 2011।
25.	सा. आ. 2569(अ)	13.11.2011	कंपनी रजिस्ट्रार एवं शासकीय समापक कार्यालयों की स्थापना।
26.	सा.का.नि. 880(अ)	14.12.2011	अनुसूची–XIV में संशोधन।
27.	सा.का.नि. 879 (अ)	14.12.2011	असूचीबद्ध पब्लिक कंपनियां (अधिमान आबंटन) नियम, 2011।
28.	सा.का.नि. 887 (अ)	16.12.2011	कंपनी (संशोधन) नियमन, 2011।
29.	सा.का.नि. 913 (अ)	29.12.2011	कंपनी (लेखांकन मानक) संशोधन नियम, 2011।
30.	सा.का.नि. 914 (अ)	29.12.2011	लेखांकन मानक–11 में पैरा 46क जोड़ना।

3.2.3. कंपनी अधिनियम के प्रशासन में अधिक स्पष्टता लाने और विभिन्न स्टेकहोल्डर्स के हित में मंत्रालय ने 01.04.2011 से 31.12.2011 तक 47 सामान्य परिपत्र जारी किएः–

क्र.सं.	परिपत्र संख्या	दिनांक	विषय
1.	11 / 2011	07.04.2011	कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) का आवंटन।
2.	12 / 2011	07.04.2011	सरल निकास योजना (ईईएस) से संबंधित स्पष्टीकरण।
3.	13 / 2011	08.04.2011	कंपनी (संशोधन) अधिनियम की अधिसूचना।
4.	14 / 2011	08.04.2011	प्रैक्टिस कर रहे व्यावसायिकों द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत ई–फार्मों का प्रमाणीकरण।
5.	15 / 2011	11.04.2011	कंपनियों द्वारा लागत लेखापरीक्षक की नियुक्ति।
6.	17 / 2011	21.04.2011	कारपोरेट क्षेत्र में ग्रीन पहल प्रयास – डाक प्रमाण–पत्र के अंतर्गत (यूपीसी) के स्थान पर ई–मोड द्वारा दस्तावेजों को भेजने से संबंधित स्पष्टीकरण।
7.	18 / 2011	29.04.2011	कारपोरेट शासन में ग्रीन पहल प्रयास – कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 219 के अंतर्गत यथा अपेक्षित तुलन–पत्र और लेखापरीक्षा रिपोर्ट आदि की प्रतियां कंपनी के सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भेजने से संबंधित स्पष्टीकरण।
8.	19 / 2011	02.05.2011	कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा एमसीए–21 प्रणाली में प्रबंधन विवाद वाली कंपनी को चिह्नित करना।
9.	20 / 2011	02.05.2011	ई–फार्म संख्या 32 – कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 303 (2) के अनुसरण में कंपनी ने निदेशकों की नियुक्ति और उसमें परिवर्तन से संबंधित विवरण के बारे में कंपनी रजिस्ट्रार को सूचित करना – भाग लेने वाले पक्षों द्वारा परस्पर विरोधी रिटर्न फाइल करना।
10.	21 / 2011	02.05.2011	कारपोरेट शासन में ग्रीन पहल प्रयास – कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक मतदान के लिए इलेक्ट्रॉनिक आधार उपलब्ध कराने के लिए एजेंसी की नियुक्ति हेतु कारपोरेट कार्य मंत्रालय का अनुमोदन।
11.	23 / 2011	03.05.2011	कंपनी (कर्मचारियों के विवरण) संशोधन नियम, 2011 को लागू करने की तारीख से संबंधित स्पष्टीकरण।
12.	25 / 2011	12.05.2011	दिनांक 31.03.2011 के परिपत्र संख्या 9 / 2011 का शुद्धिपत्र।
13.	26 / 2011	18.05.2011	प्रैक्टिस कर रहे व्यावसायिकों द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत ई–फार्मों का प्रमाणीकरण।
14.	27 / 2011	20.05.2011	कारपोरेट शासन में ग्रीन पहल प्रयास – कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत शेयरधारकों द्वारा आम बैठकों में इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से सहभागिता।
15.	28 / 2011	20.05.2011	कारपोरेट शासन में ग्रीन पहल प्रयास – कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निदेशकों द्वारा बोर्ड / निदेशक समिति की बैठकों में इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा सहभागिता।

क्र.सं.	परिपत्र संख्या	दिनांक	विषय
16.	29/2011	20.05.2011	कारपोरेट शासन में ग्रीन पहल प्रयास – डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा प्रमाण–पत्र जारी करना।
17.	30क/2011	26.05.2011	कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 226(3) (क) के प्रयोजनार्थ 'कारपोरेट निकाय' से संबंधित स्पष्टीकरण।
18.	32/2011	31.05.2011	कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निदेशक पहचान संख्या का आवंटन
19.	33/2011	01.06.2011	कंपनी अधिनियम, 1956 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का अनुपालन।
20.	34/2011	02.06.2011	धारा 4क के अंतर्गत वित्तीय संस्थानों को सार्वजनिक वित्तीय संस्थान घोषित करने के लिए दिशा–निर्देश।
21.	35/2011	06.06.2011	कारपोरेट शासन में ग्रीन पहल प्रयास – कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत शेयरधारकों अथवा निदेशकों द्वारा बैठकों में इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से सहभागिता।
22.	36/2011	07.06.2011	कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के अंतर्गत निष्क्रिय कंपनियों के लिए फास्टट्रेक निकास मोड के लिए दिशा–निर्देश।
23.	37/2011	07.06.2011	विस्तारित व्यवसाय रिपोर्टिंग भाषा (एक्सबीआरएल) में तुलन–पत्र और लाभ–हानि विवरण फाइल करना।
24.	38/2011	20.06.2011	कंपनी अधिनियम, 1956 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुपालन के संबंध में दिनांक 01.06.2011 का परिपत्र संख्या 33/2011 से संबंधित स्पष्टीकरण।
25.	39/2011	21.06.2011	कारपोरेट शासन में ग्रीन पहल प्रयास – डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा प्रमाण–पत्र जारी करना।
26.	41/2011	06.07.2011	समापन के अधीन कंपनियों के संबंध में आयकर रिटर्न की ई–फाइलिंग।
27.	44/2011	08.07.2011	कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत जारी निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) का सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) अधिनियम, 2008 के अंतर्गत जारी निर्धारित भागीदारी पहचान संख्या (डीपीआईएन) के साथ एकीकरण।
28.	45/2011	08.07.2011	नाम उपलब्धता दिशा–निर्देश, 2011।
29.	46/2011	14.07.2011	शून्य अथवा अपर्याप्त लाभ वाली कंपनियों द्वारा व्यावसायिक प्रबंधकीय कार्मिकों को पारिश्रमिक देने के लिए केन्द्र सरकार का अनुमोदन लेने में छूट देना।
30.	47/2011	14.07.2011	निदेशकों के अभियोजन।
31.	48/2011	22.07.2011	नाम उपलब्धता दिशा–निर्देश, 2011।
32.	49/2011	23.07.2011	24 घंटे के अंदर कंपनियों का ऑनलाइन निगमन।
33.	50/2011	25.07.2011	कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 17 के अंतर्गत पंजीकृत कार्यालय को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित करने की पुष्टि लेने हेतु सरलीकृत प्रक्रिया।

क्र.सं.	परिपत्र संख्या	दिनांक	विषय
34.	51/2011	25.07.2011	कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 141 के अंतर्गत प्रभार रजिस्टर में परिवर्तन के लिए सरलीकृत प्रक्रिया।
35.	52/2011	25.07.2011	कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 297 के अंतर्गत केन्द्र सरकार का ऑनलाइन अनुमोदन लेने की सरलीकृत प्रक्रिया।
36.	59/2011	05.08.2011	कंपनी विधि निपटारा योजना, 2011।
37.	60/2011	10.08.2011	कंपनी विधि निपटारा योजना, 2011 शुद्धि पत्र।
38.	61/2011	05.09.2011	24 घंटे के अंदर कंपनियों का ऑनलाइन निगमन।
39.	62/2011	05.09.2011	संशोधित अनुसूची–फप् से संबंधित दिनांक 28.02.2011 की अधिसूचना संख्या सा.आ. 447(अ) से संबंधित स्पष्टीकरण (यह 01.04.2011 से प्रभावी होंगे)।
40.	63/2011	06.09.2011	कंपनी अधिनियम, 1956 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों का अनुपालन।
41.	64/2011	20.09.2011	कंपनी अधिनियम, 1956 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों का अनुपालन (शुद्धि पत्र)।
42.	65/2011	04.10.2011	कंपनी विधि निपटारा योजना, 2011।
43.	66/2011	04.10.2011	कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) का आवंटन।
44.		10.10.2011	वास्तुक का कार्य करने के लिए कंपनियों और एलएलपी का पंजीकरण।
45.	70/2011	15.12.2011	कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) का आवंटन।
46.	71/2011	15.12.2011	कंपनी विधि निपटारा योजना, 2011।
47.	72/2011	27.12.2011	कारपोरेट शासन में ग्रीन पहल प्रयास – कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत शेयरधारकों अथवा निदेशकों द्वारा बैठकों में ई–मतदान के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक मोड – प्राधिकृत करके सहभागिता से संबंधित स्पष्टीकरण।

3.2.4. उपर्युक्त के अतिरिक्त मंत्रालय ने निदेशकों के अभियोजन से संबंधित दिशा–निर्देश निर्धारित करते हुए सभी संबंधितों के मार्ग–दर्शन हेतु दिनांक 29.07.2011 का मास्टर परिपत्र संख्या 1/2011 भी जारी किया।

कंपनियों के पंजीकरण और समापन की समीक्षा

कार्यरत कंपनी

3.3.1 दिनांक 31.12.2011 तक रजिस्ट्री में 10,66,102 कंपनियों (9,68,560 प्राइवेट कंपनियां और 97,542 पब्लिक कंपनियां) में से कुल 7,05,699 कार्यरत कंपनियां थी जिनमें 6,54,338 प्राइवेट और

51,361 पब्लिक कंपनियां थी। अधिकांश कार्यरत कंपनियां (89%) चार प्रमुख समूहों में कार्यरत थी नामतः वित्त, बीमा, स्थावर संपदा और व्यावसायिक सेवाएं (32%), विनिर्माण (24%), व्यापार, होटल, परिवहन और संचार (21%) तथा निर्माण क्षेत्र (11.5%)। विभिन्न उद्योग समूहों में 31.12.2011 तक कार्यरत कंपनियों का टाइप–वार प्रतिशत निम्नलिखित तालिका में दिया गया हैः–

तालिका 3.1
कार्यरत कंपनियों का कोटि–वार एवं उद्योग समूह–वार प्रतिशत वितरण

(दिनांक 31.12.2011 की स्थिति के अनुसार)

उद्योग	प्राइवेट	पब्लिक	योग
(1)	(2)	(3)	(4)
वित, बीमा, स्थावर संपदा और व्यावसायिक सेवाएं	29.9	2.2	32.1
विनिर्माण	22.0	2.4	24.4
व्यापार, होटल, परिवहन और संचार	19.7	1.0	20.7
निर्माण	10.9	0.6	11.5
समुदायिक, वैयक्तिक एवं सामाजिक सेवाएं	5.6	0.4	6.0
कृषि, वानिकी एवं मत्स्य	2.3	0.3	2.6
खनन एवं उत्खनन	1.2	0.1	1.3
विद्युत, गैस एवं जल आपूर्ति	1.1	0.2	1.3

चार्ट 3.1
उद्योग समूह एवं कोटी के अनुसार दिनांक 31.12.2011 को कार्यरत कंपनियां

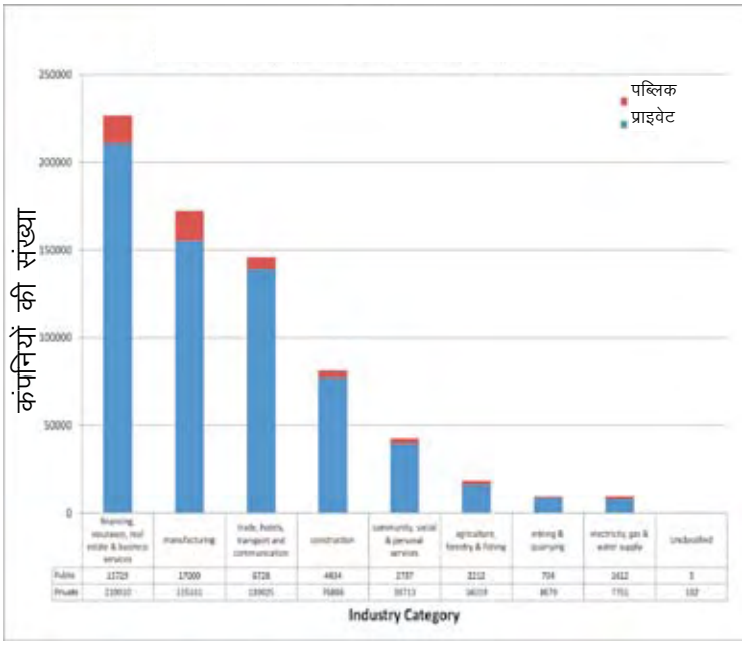

3.3.2 दिनांक 31.12.2011 के अनुसार, शेयरों द्वारा सीमित कंपनियों की कुल प्राधिकृत पूंजी 31,04,409 करोड़ रुपए थी जिसमें से प्राइवेट कंपनियां अपनी पूंजी के रुप में 9,99,329/– करोड़ रुपए उगाहने के लिए प्राधिकृत थीं, तथा पब्लिक कंपनियां अपनी पूंजी के रुप में 21,05,080/– करोड़ रुपए उगाहने के लिए प्राधिकृत थीं। सक्रिय कंपनियों की प्राधिकृत पूंजी की कुल राशि 27,72,622/– करोड़ रुपए थी। इसमें से 8,82,166 करोड़ रुपए प्राइवेट कंपनियों की प्राधिकृत पूंजी थी जबकि पब्लिक कंपनियों की प्राधिकृत पूंजी 18,90,456/– करोड़ रुपए थी। सक्रिय कंपनियों में से प्राधिकृत पूंजी के एक महत्वपूर्ण बड़े भाग 92% का संबंध पाँच मुख्य औद्योगिक क्षेत्रों नामशः विनिर्माण (28 %), विद्युत, गैस एवं जलापूर्ति (22%), फाइनेंसिंग, बीमा, स्थावर संपदा तथा व्यवसायिक सेवाओं (21%), निर्माण (11%), कारोबार, होटल, परिवहन तथा दूर–संचार (10%) में कार्यरत कंपनियों से है। विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में दिनांक 31.12.2011 को सक्रिय कंपनियों की कुल प्राधिकृत पूंजी की तुलना में कंपनियों की प्राधिकृत पूंजी की वर्ग–वार प्रतिशत वितरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:–

तालिका 3.2

कार्यरत कंपनियों की प्राधिकृत पूंजी का वर्ग–वार तथा उद्योग समूह वार प्रतिशत वितरण

(दिनांक 31.12.2011 के अनुसार)

उद्योग	प्राइवेट	पब्लिक	कुल
(1)	(2)	(3)	(4)
विनिर्माण	9.2	18.4	27.6
विद्युत, गैस एवं जलापूर्ति	3.0	19.4	22.4
फाइनेंसिंग, बीमा, स्थावर संपदा एवं व्यावसायिक सेवाए	7.5	13.2	20.7
निर्माण	5.3	5.8	11.1
कारोबार, होटल, परिवहन एवं दूर– संचार	4.5	5.9	10.4
समुदाय, सामाजिक एवं निजी सेवाएं	1.3	3.3	4.6
खनन एवं उत्खनन	0.6	1.7	2.2
कृषि, वानिकी एवं फिशिंग उद्योग	0.4	0.5	0.9

चार्ट 3.2:

उद्योग समूह एवं वर्ग–वार दिनांक 31.12.2011 को प्राधिकृत पूंजी (करोड़ रुपए में)

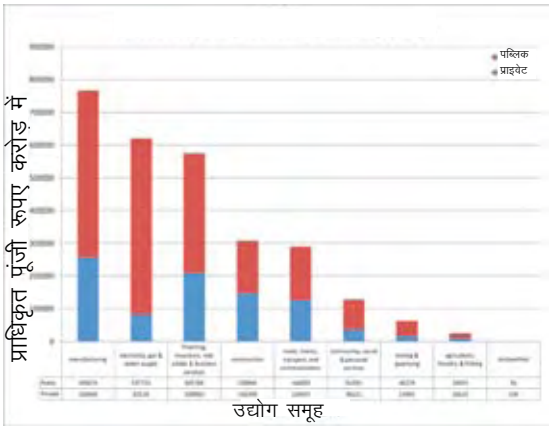

3.3.3. यह भी नोट किया जाए कि जबकि दिनांक 31.12.2011 को प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों की संख्या, कंपनियों की कुल संख्या का 92.7% थी, उनकी प्राधिकृत पूंजी मात्र 31.8% थी। मात्र 9363 संचालित कंपनियों में से (1.3%), विद्युत, गैस एवं जलापूर्ति क्षेत्र कंपनियों की संख्या की सूची में अंत में आते हैं, परन्तु प्राधिकृत पूंजी के मामले में द्वितीय स्थान प्राप्त है।

नए पंजीकरण

3.3.4 दिनांक 1 अप्रैल, 2011 से 31 दिसंबर, 2011 की अवधि के दौरान कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत 22516.94 करोड़ रुपए की प्राधिकृत पूंजी के साथ शेयरों द्वारा सीमित 70,452 कंपनियां पंजीकृत की गई। इनमें से, 37 सरकारी कंपनियां थी, जिनकी प्राधिकृत पूंजी 4,294.07 करोड़ रुपए थीं, तथा 70,415 गैर–सरकारी कंपनियां थीं, जिनकी प्राधिकृत पूंजी 18,222.87 करोड़ रुपए थी।

3.3.5 दिनांक 1 अप्रैल, 2011 से 31 दिसंबर, 2011 की अवधि के दौरान पंजीकृत शेयरों द्वारा सीमित सरकारी कंपनियों में 30 पब्लिक लिमिटेड कंपनियां तथा 7 प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां थी जिनकी प्राधिकृत पूंजी क्रमशः 4,243.70 करोड़ रुपए तथा 50.37 करोड़ रुपए थी। दिनांक 1 अप्रैल, 2011 से 31 दिसंबर, 2011 की अवधि के दौरान पंजीकृत शेयरों द्वारा सीमित गैर– सरकारी कंपनियों में 2,517 पब्लिक लिमिटेड कंपनियां तथा 67,898 प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां थी जिनकी प्राधिकृत पूंजी क्रमशः 3,249.22 करोड़ रुपए तथा 14,973.65 करोड़ रुपए थी।

परिसमापन

3.3.6 दिनांक 31 दिसंबर, 2011 को कुल 2,22,800 शेयरों द्वारा सीमित गैर– सरकारी भारतीय कंपनियों जिनकी प्रदत्त पूंजी 4,66,649. 90 करोड़ रुपए थी, को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560(5) के तहत परिसमापित किया जाना था अथवा उनके नाम सूची से हटाए जाने थे, इनमें से 2,00,826 प्राइवेट कंपनियां तथा 21,974 पब्लिक कंपनियां थी, जिनकी प्रदत्त पूंजी क्रमशः 41142.04 करोड़ तथा 5507.86 करोड़ रुपए थी। दिनांक 1 अप्रैल, 2011 से 31 दिसंबर, 2011 की अवधि के दौरान, शेयरों द्वारा सीमित तथा 1.42 करोड़ रुपए की प्रदत्त पूंजी वाली 21,073 गैर–सरकारी कंपनियां के परिसमापन में चले जाने अथवा सूची से नाम हटाए जाने की सूचना है।

विदेशी कंपनियां

3.3.7 दिनांक 31.03.2011 को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 591 के तहत यथा परिभाषित 3,127 विदेशी कंपनियां देश में थी। दिनांक 1 अप्रैल, 2011 से 31 दिसंबर, 2011 की अवधि के दौरान, 178 विदेशी कंपनियों ने भारत में अपने कारोबार का स्थान स्थापित किया था तथा 127 विदेशी कंपनियों ने भारत में अपने कारोबार के मुख्य स्थान को बंद कर दिया है। अतः दिनांक 31.12.2011 तक भारत में 3,178 विदेशी कंपनियां थी।

निधि कंपनियां

3.4.1 कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 620क के तहत कुछ विशेष प्रकार की गैर–बैंकिंग वित्तीय

कंपनियों को केन्द्र सरकार द्वारा ''निधि कंपनियों'' अथवा ''पारस्परिक हित वाली सोसायटी'' के रुप में घोषित किया जा सकता है। कंपनी अधिनियम, 1956 के कुछ प्रावधान, जो दिनांक 26.07.2001 की अधिसूचना संख्या 555(अ) में यथा अधिसूचित थे तथा दिनांक 03.11.2010 की सा.का.नि संख्या 881(अ) द्वारा संशोधित किए गए थे, उन कंपनियों के संबंध में लागू अथवा संशोधित नहीं माने जाएंगे। दिनांक 14.09.2011 की अधिसूचना सा.का.नि 679(अ) के जारी होने के साथ ही चौदह और कंपनियों को निधि कंपनियों के रुप में घोषित किया गया है, अतः दिनांक 31.12.2011 को निधि कंपनियों की कुल संख्या 382 हो गई है।

3.4.2 दिनांक 01.04.2011 से 31.12.2011 की अवधि के दौरान, छः आवेदन प्राप्त हुए तथा पिछले वर्ष से 8 आवेदन अग्रेनित किए गए। इन चौदह आवेदनों में से, उक्त अवधि के दौरान चार आवेदनों का निपटान किया गया तथा दिनांक 31.12.2011 को दस आवेदन लंबित थे।

लुप्त कंपनियाँ

3.5.1 पूंजी बाजार में वर्ष 1992–93 से 1994–95 के दौरान एक महत्वपूर्ण उछाल आया जब कई नई कंपनियों ने पूंजी बाजार में प्रवेश किया तथा आम जनता से शेयरों/लाभांशों के पब्लिक इश्यू द्वारा निधि का संग्रहण किया। कुछ ऐसी कंपनियां जो पब्लिक इश्यू लेकर आई थीं और (i) अपना पंजीकत कार्यालय स्थापित न करना (ii) दो वर्षों की अवधि तक संबंधित कंपनी रजिस्ट्रारों (आरओसी)/स्टाक एक्सचेंज में सांविधिक विवरणी/सूचीबद्ध अपेक्षाएं दर्ज नहीं करना और (iii) एक्सचेंज एवं कंपनी के बीच लंबे समय तक कोई पत्राचार न होना जैसे तरीके अपनाकर लुप्त हो गईं, ऐसी कंपनियों को ''लुप्त कंपनियों'' के रुप में परिभाषित किया जाता है। अन्य शब्दों में, इन कंपनियों ने निधि जुटाते समय आम जनता को दिए आश्वासन को पूरा नहीं किया है।

3.5.2 केन्द्र सरकार ने सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय (पूर्व में कंपनी कार्य विभाग) तथा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के अध्यक्ष की सह–अध्यक्षता में एक केन्द्रीय समन्वयन एवं निगरानी समिति का गठन किया जो उन बेईमान प्रवर्तकों, जिन्होंने निवेशकों से धन उगाहने के पश्चात् उनका दुरुपयोग किया के विरूद्ध कठोर कार्रवाई करेगी। प्रारंभ में सेबी द्वारा कुल 229 सूचीबद्ध कंपनियों की लुप्त कंपनी के रुप में पहचान की गई जिसमें बाद में 9 सूचीबद्ध कंपनियों को जोड़ा गया, जिससे लुप्त कंपनियों की संख्या 238 हो गई।

3.5.3 केन्द्रीय समन्वयन एवं निगरानी समिति की सहायता हेतु छः क्षेत्रीय कार्य दल हैं। इन क्षेत्रीय कार्य दलों की प्रमुख जिम्मेदारी उन कंपनियों की पहचान करना है जो लुप्त हो गई हैं, अथवा जिन्होंने निवेशकों से जुटाई गई निधि का दुरुपयोग किया है, उन मामलों में एफआईआर दर्ज करना जहां निदेशक का अता–पता नहीं है, कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 63/68 तथा 628 के तहत अभियोजन दायर करना तथा कंपनी अधिनियम अथवा सेबी अधिनियम के तहत

उचित कार्रवाई करने का सुझाव देना। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 63/68 तथा 628 के तहत शिकायत दर्ज करने के अतिरिक्त कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 159/220 के तहत कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए ऐसी कंपनियों के विरूद्ध कार्रवाई की गई है। तथा ऐसी कंपनियों का अता– पता जानने के लिए पुलिस प्राधिकारियों एवं आम–जनता से सहायता प्राप्त करने का प्रयास किया गया है। मूल रुप से ''तकनीकी चूक'' के लिए अभियोजन दायर किए गए है जैसे, तुलनपत्र/ वार्षिक विवरणी दर्ज नहीं करना। लुप्त कंपनियों एवं उनके प्रवर्तकों/ निदेशकों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 420,406,403,415,418 एवं 424 के तहत दण्डनीय अपराधों हेतु पुलिस अधिकारियों के पास शिकायत दर्ज करने के लिए मई, 2003 में सेबी के परामर्श से प्रारुप एफआईआर को अंतिम रुप दिया गया।

3.5.4 समिति के सतत प्रयासों से 119 कंपनियों का पता लगा लिया गया है और वे सांविधिक विवरणी आदि दर्ज करने में नियमित हो गई हैं। इन कंपनियों को ''निगरानी सूची'' में रखा गया था। शेष 119 लुप्त कंपनियों में से, 32 लुप्त कंपनियों की पहचान परिसमापनाधीन कंपनियों के रुप में की गई है। अब, दिनांक 31.12.2011 को लुप्त कंपनियों की कुल संख्या 87 (सत्तासी) है जिनके विरुद्ध कार्रवाई चल रही है।

निक्षेपों का आमंत्रण एवं स्वीकरण

3.6.1 गैर–बैंकिंग गैर– वित्तीय कंपनियों द्वारा निक्षेप का आमंत्रण एवं स्वीकरण कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 58 क तथा कंपनी (निक्षेप का स्वीकरण), नियम, 1975 द्वारा विनियमित होता है। यह नियम उन सीमाओं का निर्धारण करते है, जिस सीमा तक तथा जिन शर्तों के अधीन इन कंपनियों द्वारा आम जनता अथवा अपने सदस्यों से निक्षेप आमंत्रित अथवा स्वीकृत किए जा सकते हैं।

3.6.2 इन नियमों के तहत प्रत्येक कंपनी को निक्षेप आमंत्रित करते समय कंपनी के पूर्ववर्ती वित्त वर्षों के लिए वित्तीय स्थिति के सार को दर्शाते हुए विज्ञापन दे होता है। ये नियम निम्नलिखित पहलुओं के संबंध में निक्षेप स्वीकृत करने संबंधी शर्तों का निर्धारण करते हैं :–

(क) कंपनी के निवल मूल्य के संदर्भ में निक्षेप की ऊपरी सीमा।

(ख) अधिकतम 36 माह के लिए निक्षेप स्वीकृत किया जा सकता है।

(ग) दलाली की अधिकतम दर, जिसका भुगतान कंपनी द्वारा दलालों को किया जाता है जिनके माध्यम से निक्षेप का संग्रहण किया जाता है।

(घ) निक्षेपकर्त्ताओं के हितों की रक्षा के लिए निर्दिष्ट प्रतिभूतियों में वर्ष के दौरान परिपक्व निक्षेपों के 15% तक द्रव आस्ति का रखा जना

(ड़) निक्षेपों पर दिए जाने वाले ब्याज का अधिकतम दर

3.6.3 केन्द्र सरकार को धारा 58क के प्रावधानों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों में से किसी वर्ग की कंपनियों को छूट देने की शक्ति प्रदान की गई है तथा अनावश्यक मुश्किलों को दूर करने के

मद्देनजर उचित एवं पर्याप्त कारणों पर विचार करते हुए प्रावधानों के अनुपालन में समय बढ़ाने अथवा प्रावधानों के अनुपालन से छूट देने की शिक्त प्रदान की गई है। भारतीय रिजर्व बैंक के साथ विचार– विमर्श करने के पश्चात् ही छूट दी जा सकती है। दिनांक 29.12.1989 की अधिसूचना संख्या 1075ड़ में दी गई शर्तों को पूरा करने वाली गैर–बैंकिंग कंपनियों को "वाणिज्यिक दस्तावेज'' जारी करने के द्वारा निक्षेप स्वीकृत करने की अनुमति दी गई है। दिनांक 1.4.2011 से 31.12.2011 की अवधि के दौरान, पिछले वर्ष से अग्रेनीत दो आवेदनों के अतिरिक्त छूट/समय बढ़ाने संबंधी 12 आवेदन प्राप्त हुए। उन चौदह आवेदनों में से उक्त अवधि के दौरान एक आवेदन का निपटान किया गया तथा दिनांक 31.12.2011 को तेरह आवेदन विचारार्थ लंबित थे।

3.6.4 यदि कोई कंपनी परिपक्व जमा राशि का भुगतान नहीं करती है तो कंपनी विधि बोर्ड को मामले का संज्ञान लेने एवं कंपनी को जमा राशि के पुनर्भुगतान का निदेश देने की शिक्त प्रदान की गई है। कंपनी विधि बोर्ड को आदेशों का पालन नहीं करने पर तीन वर्षों तक कारावास तथा मौद्रिक दण्ड दिया जा सकता है।

आरक्षिति में से लाभांश का भुगतान

3.7.1 यदि कोई कंपनी किसी भी वर्ष अपर्याप्त लाभ अथवा लाभ न होने के कारण रिजर्व में अंतरित अपने पूर्व वर्षों में उपार्जित संचित लाभ में से लाभांश की घोषणा करती है और ऐसे मामलों में जहां लाभांश की घोषणा नियमानुसार नहीं है तो उसे कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205क(3) के तहत केन्द्र सरकार का पूर्व अनुमोदन लेना होगा।

3.7.2 दिनांक 1.4.2011 से 31.12.2011 की अवधि के दौरान पिछले वर्ष से अग्रेनीत दो आवेदनों के अतिरिक्त धारा के अंतर्गत तीन आवेदन प्राप्त हुए थे। इन पाँच आवेदनों में से उक्त अवधि के दौरान तीन आवेदनों का निपटान कर दिया गया है तथा दिनांक 31.12.2011 तक दो आवेदन विचारार्थ लंबित थे।

लाभांश का भुगतान सिर्फ लाभ में से किया जाए

3.7.3 दिनांक 1.4.2010 से 31.3.2011 की अवधि के दौरान धारा 205(1) वर्ग में कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ तथा दिनांक 31.03.2011 को कोई आवेदन लंबित नहीं था।

मूल्यघास के दर में परिवर्तन

3.7.4 दिनांक 31.3.2011 को धारा 205(2) (ग) के तहत मूल्यघास दर में परिवर्तन संबंधी 8 आवेदन लंबित थे। दिनांक 01.04.2011 से 31.12.2011 की अवधि के दौरान पाँच आवेदन प्राप्त हुए। इन तेरह आवेदनों में से उक्त अवधि के दौरान 7 आवेदनों का निपटान कर दिया गया तथा दिनांक 31.12.2011 को छः आवेदन विचारार्थ लंबित है।

सरकारी कंपनियों के बीच आमेलन/विलय/समझौता

3.7.5 कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 391–394 के तहत पाँच आवेदन पिछले वर्ष 2010–2011 से अग्रेनीत किए गए थे। दिनांक 1.4.2011 से

31.12.2011 की अवधि के दौरान, एक आवेदन प्राप्त हुआ। छः आवेदनों में से, प्राप्त तीन आवेदनों को अनुमोदित किया गया। दिनांक 31.12.2011 को तीन आवेदन विचारार्थ लंबित थे।

सरकारी कंपनियों का आमेलन

3.7.6 दिनांक 01.4.2011 से 31.12.2011 की अवधि के दौरान सरकारी कंपनियों के आमेलन हेतु धारा 396 के तहत दो आवेदन प्राप्त हुए तथा दो आवेदन पिछले वर्ष से अग्रेनीत किए गए। कुल चार आवेदनों में से एक का निपटान कर दिया गया तथा शेष तीन आवेदन दिनांक 31.12.2011 को लंबित थे।

शेयर पूंजी में कमी

3.7.7 दिनांक 01.4.2011 से 31.12.2011 की अवधि के दौरान, शेयर पूंजी में कमी हेतु धारा 101 के तहत एक आवेदन प्राप्त हुआ तथा एक आवेदन पिछले वर्ष से अग्रेनीत किया गया। इन दो आवेदनों में से एक का निपटान कर दिया गया है तथा दिनांक 31.12.2011 को एक आवेदन लंबित है।

अतिरिक्त शेयर पूंजी का निर्गम

3.7.8 दिनांक 01.04.2011 से 31.12.2011 की अवधि के दौरान अतिरिक्त शेयर पूंजी के निर्गम से संबंधित धारा 81(1) तथा (3) के तहत कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ, न ही कोई आवेदन पिछले वर्ष से अग्रेनीत किया गया। अतः दिनांक 31.12.2011 तक कोई आवेदन लंबित नहीं है।

लाभ एवं हानि–खाते में परिमाणात्मक विवरण के प्रकटन से छूट

3.7.9 दिनांक 31.3.2011 तक धारा 211(4) के तहत लाभ एवं हानि खाते में परिमाणात्मक विवरण के प्रकटन से छूट मांगने संबंधी तीन आवेदन लंबित थे। दिनांक 01.04.2011 से 31.12.2011 की अवधि के दौरान, 134 आवेदन प्राप्त हुए। इसी बीच, मंत्रालय ने दिनांक 08.02.2011 को सा. आ.सं. 301(अ) जारी किया जिसमें कुछ शर्तों के अधीन सामान्य छूट प्रदान की गई है, अतः सभी 137 आवेदन निष्फल हो गए एवं तदनुसार उनका निपटान किया गया।

अनुषंगी कंपनियों के तुलन–पत्र संलग्न करने से छूट

3.7.10 दिनांक 31.3.2011 तक धारा 212 (8) के तहत अनुषंगी कंपनियों के तुलन–पत्र संलग्न करने से छूट मांगने संबंधी तीन आवेदन निपटान हेतु लंबित थे दिनांक 01.04.2011 से 31.12.2011 की अवधि के दौरान, 190 आवेदन प्राप्त हुए। इसी बीच मंत्रालय ने दिनांक 08.02.2011 को परिपत्र संख्या 8/2011 जारी किया, जिसमें कुछ शर्तों के अधीन सामान्य छूट दी गई है, अतः सभी 193 आवेदन निष्फल हो गए एवं तदनुसार उनका निपटान किया गया।

एकमात्र विक्रय अभिकर्ताओं की नियुक्ति

3.8.1 कंपनी अधिनियम, 1956 की उपधारा 294 कक (1) के तहत केन्द्र सरकार को यह घोषित करने का अधिकार दिया गया है कि किसी कंपनी

द्वारा ऐसी वस्तुओं के विक्रय हेतु बाजार के सृजन के लिए ''एकमात्र विक्रेता अभिकर्ता'' की नियुक्ति नहीं की जाएगी जिनकी मांग उसके उत्पादन अथवा आपूर्ति से वास्तविक रुप से अधिक हो। इस प्रकार का प्रतिबंध केवल ''भारी औषध, औषधि तथा सूत्र'' के लिए दिनांक 16.7.2010 से तीन वर्षों की अवधि तक के लिए प्रवृत्त है।

3.8.2 कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 294कक की उप–धारा (2) एवं (3) के तहत जहां एकमात्र विक्रय अभिकर्ता या उनके संबंधी 5 लाख रुपए प्रदत्त पूंजी धारित करते हो अथवा कंपनी की प्रदत्त पूंजी का 5 प्रतिशत धारण करते हो, इनमें से जो भी कम हो, तथा जहां कंपनी की प्रदत्त पूंजी 50 लाख रुपए अथवा इससे अधिक हो, वहां एकमात्र विक्रेता अभिकर्ता की नियुक्ति हेतु केन्द्र सरकार का अनुमोदन आवश्यक होगा। दिनांक 1.4.2011 से दिनांक 31.12.2011 की अवधि के दौरान, चार आवेदन प्राप्त हुए जबकि दो आवेदन पिछले वर्ष से अग्रेनीत किए गए थे। इन छः आवेदनों में से उक्त अवधि के दौरान तीन आवेदनों का निपटान कर दिया गया तथा दिनांक 31.12.2011 तक तीन आवेदन निपटान हेतु लंबित थे।

निदेशकों को ऋण, ऋण से जुड़ी गारंटी देना अथवा प्रतिभूति प्रदान करना

3.9.1 जब कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी अथवा उसकी कोई अनुषंगी अपने निदेशकों, उनके संबंधियों अथवा फर्मों अथवा प्राइवेट कंपनियों को ऋण देना चाहती हो, जिसमें वह इच्छुक हो अथवा उन्हें ऋण प्राप्त करने में समर्थ बनाने हेतु उनके लिए गारंटी अथवा प्रतिभूति देने की इच्छुक हो, तो इसके लिए कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 295 के तहत केन्द्र सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य है।

3.9.2 दिनांक 1.4.2011 से 31.12.2011 की अवधि के दौरान, 109 आवेदन प्राप्त हुए तथा 26 आवेदन पिछले वर्ष से अग्रेनीत किए गए। इस अवधि के दौरान इन 135 आवेदनों में से 49 आवेदनों का निपटान कर दिया गया तथा दिनांक 31.12.2011 को 86 आवेदन लंबित थे।

शेयरों के अधिग्रहण पर प्रतिबंध

3.10.1 कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 108–क के तहत प्रमुख उपक्रम से संबंधित समान प्रबंधन के तहत किसी व्यष्टि, फर्म ग्रुप, किसी ग्रुप के संघटक, कारपोरेट निकाय अथवा कारपोरेट निकायों द्वारा अथवा को शेयरों के अधिग्रहण/अंतरण हेतु केन्द्र सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित होगा बशर्ते कि शेयरों के ऐसे अधिग्रहण अथवा अंतरण के परिणामस्वरूप प्रधानता में वृद्धि हो।

3.10.2 दिनांक 1.4.2011 से 31.12.2011 की अवधि के दौरान कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ। पिछले वर्ष से अग्रेनीत एकमात्र लंबित आवेदन का निपटान कर दिया गया है, अतः दिनांक 31.12.2011 को कोई आवेदन निपटान हेतु लंबित नहीं था।

प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति

3.11.1 किसी पब्लिक लिमिटेड अथवा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो किसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी की अनुषंगी हो के लिए निम्नलिखित मामलों को छोड़कर, जहां उसे इस प्रकार की नियुक्ति के निबंधन हेतु केन्द्र सरकार की स्वीकृति लेनी है अपने लिए प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति करने एवं उन्हें पारिश्रमिक देने की अनुमति दी गई है:

1) कंपनी में हानि/लाभ की अपर्याप्तता की स्थिति में तथा प्रस्तावित पारिश्रमिक के अनुसूची XIII के तहत यथा निर्धारित सीमा से अधिक होने पर।

2) किसी लाभ कमाने वाली कंपनी के मामले में प्रस्तावित पारिश्रमिक का भुगतान एकल प्रबंधकीय नियुक्त के मामले में निवल लाभ के 5% से अधिक तथा बहुल नियुक्तियों के मामले में निवल लाभ के 10% से अधिक हो।

3) यदि कंपनी ने अपने ऋणों तथा उस पर दिए जाने वाले ब्याज के भुगतान में चूक की हो (सार्वजनिक निक्षेप सहित)।

4) जहां कंपनी में कोई पारिश्रमिक समिति न हो।

5) जहां नियोक्ता कोई प्रवासी भारतीय हो।

6) गैर– कार्मिक निदेशकों के मामले में प्रस्तावित पारिश्रमिक का भुगतान कंपनी के निवल लाभ के 1% से अधिक होने पर तथा जहां कंपनी द्वारा किसी प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति नहीं की गई हो, वहां कंपनी के निवल लाभ के 3% से अधिक होने पर।

7) यदि कोई कंपनी अधिनियम की अनुसूची XIII के भाग 1 में यथा निर्दिष्ट अधिनियम का उल्लंघन करती हो तथा प्रबंधकीय कार्मिकों को कोई दण्ड दिया गया हो अथवा संबंधित प्राधिकारी ने ऐसे उल्लंघन के लिए दण्ड दिया हो।

3.11.2 कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 259,268,269,198/309,310 तथा अनुसूची–XIII के तहत उन प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों को जो पब्लिक लिमिटेड कंपनियों की अनुषंगी हैं, में प्रबंध निदेशकों, पूर्ण कालिक निदेशकों तथा प्रबंधकों की नियुक्ति एवं उन्हें पारिश्रमिक का भुगतान करने हेतु केन्द्र सरकार का अनुमोदन लेना अपेक्षित है।

3.11.3 दिनांक 1.4.2011 से 31.12.2011 की अवधि के दौरान, 799 आवेदन प्राप्त हुए तथा पिछले वर्ष से 451 आवेदन अग्रेनीत किए गए। इन 1250 आवेदनों में से उक्त अवधि के दौरान 796 आवेदन निपटा दिए गए तथा दिनांक 31.12.2011 को 454 आवेदन लंबित थे।

3.11.4 अधिक पारदर्शिता के लिए सितंबर, 2006 से मंत्रालय की वेबसाइट के द्वारा आवेदनों को जमा करने की प्रक्रिया ऑनलाइन की गई। कंपनियां अपने आवेदन की स्थिति का पता मंत्रालय की वेबसाइट से भी लगा सकती हैं। तथापि यह देखने में आया है कि दिए गए आवेदनों में कई कमियों के कारण अनुमोदन की प्रक्रिया में अत्यधिक समय लग रहा है, क्योंकि इसमें अधिक पत्राचार की आवश्यकता पड़ रही है।

धारा 637ख (ख) के तहत विलंब के लिए माफी हेतु आवेदन

3.12.1 दिनांक 1.4.2011 से 31.12.2011 की अवधि के दौरान दस्तावेजों की फाईलिंग आदि में हुए विलंब के लिए माफी हेतु 223 आवेदन प्राप्त हुए तथा 28 आवेदन पिछले वर्ष से अग्रेनीत किए गए। इन 251 आवेदनों में से उक्त अवधि के दौरान 46 आवेदनों का निपटान कर दिया गया 205 आवेदन, जिनमें नीति संबंधी मामले थे, दिनांक 31.12.2011 को लंबित थे।

धारा 166 के तहत वार्षिक आम बैठक के स्थान में परिवर्तन

3.12.2 कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 166(2) के तहत केन्द्र सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह आम वार्षिक बैठक का आयोजन कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के स्थान के अलावा अन्य जगह पर आयोजित करने का अनुमोदन दे।

3.12.3 दिनांक 1.4.2011 से 31.12.2011 की अवधि के दौरान 21 आवेदन प्राप्त हुए तथा पिछले वर्ष से कोई बकाया नहीं था। सभी 21 आवेदन, सही पाए गए और उनको सहमति दी गई अतः दिनांक 31.12.2011 को कोई आवेदन लंबित नहीं था।

धारा 297(1) के तहत संविदा प्रदान करने हेतु अनुमोदन की स्वीकृति

3.13.1 कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 297(1) के अंतर्गत न्यूनतम 1 करोड़ रुपए वाली प्रदत्त शेयर पूंजी वाली कंपनियों हेतु यह अनिवार्य है कि उनके लिए (क) वस्तुओं, सामग्री की बिक्री, क्रय अथवा आपूर्ति या सेवा (ख) कंपनी के किसी निदेशक अथवा उसके संबंधी, ऐसी कोई फर्म जिसमें कोई निदेशक अथवा उसका संबंधी भागीदार है, ऐसी कोई फर्म अथवा प्राइवेट कंपनी जिसमें कोई निदेशक सदस्य अथवा निदेशक है, के शेयर अथवा ऋण पत्रों के अभिदत्त को कम आंकने हेतु की जाने वाली किसी भी संविदा के संबंध में केन्द्र सरकार का पूर्ण अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक है। कंपनी अधि ानियम, 1956 की धारा 297(1) के अंतर्गत केन्द्र सरकार को अनुमोदन प्रदान करने की शिक्त को 19.8.1993 से क्षेत्रीय निदेशकों को प्रत्योयोजित किया गया है। ऐसी विकेन्द्रीकरण तथा शीघ्र निपटान के दोहरे प्रयोजन हेतु किया गया है।

3.13.2 वर्ष 2010–2011 की अवधि के दौरान क्षेत्रीय निदेशकों द्वारा पिछले वर्ष से अग्रेनीत 260 आवेदनों सहित 2457 आवेदनों पर विचार किया गया। इनमें से 1941 आवेदनों पर निर्णय दे दिया गया है जिससे दिनांक 31.03.2011 को क्षेत्रीय निदेशकों के विचारार्थ 516 आवेदन शेष रहे।

कंपनियों का परिसमापन (शासकीय समापक)

3.14.1 दिनांक 1.4.2011 से 31.12.2011 की अवधि के दौरान 189 कंपनियों के परिसामपन हेतु आदेश दिए गए थे तथा पिछले वर्ष से 5918 कंपनियां परिसमापन हेतु अग्रेनीत की गई थी।

कुल 6107 मामलों में से 721 कंपनियों को अंतिम रुप से बंद कर दिया गया तथा 5386 कंपनियां दिनांक 31.12.2011 को परिसमापनाधीन थी। 5386 कंपनियों में से 4604 कंपनियों को बंद करने का आदेश न्यायालय द्वारा दिया गया। सदस्यों एवं जमाकर्ताओं द्वारा स्वैच्छिक तौर पर बंद की जाने वाली कंपनियों की संख्या क्रमशः 706 तथा 76 थीं।

निरीक्षण एवं जांच

3.15.1 निगमन, गवर्नेंस तथा परिसमापन/बंद करने से संबंधित प्रक्रियाओं का प्रावधान करने के अतिरिक्त, कंपनी अधिनियम, 1956 केन्द्र सरकार को कंपनी की लेखा–बहियों का निरीक्षण करने, विशेष लेखा–परीक्षा का निदेश देने, कंपनी के कार्यों की जांच का आदेश देने तथा कंपनी अधिनियम, 1956 के उल्लंघन के लिए अभियोजन प्रारंभ करने की शिक्त प्रदान करता है। निरिक्षण एवं जांच निदेशालय तथा कंपनी रजिस्ट्रारों द्वारा कंपनी की लेखाबहियों तथा अन्य दस्तावेजों का निरीक्षण यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि क्या वे ऐसे गैर–कानूनी/धोखाधड़ी के व्यवहारों में संलिप्त हैं जो शेयरधारकों, जमाकर्ताओं, कर्मचारियों तथा अन्यों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। जब भी निरीक्षण रिपोर्टों में किसी ऐसी सूचना का प्रकटन होता है जो अन्य विभागों अथवा एजेंसियों जैसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, प्रवर्तन निदेशालय, राज्य सरकार अथवा भविष्य निधि प्राधिकरणों से संबंधित हो तो उस सूचना का उन तक पहुंचाया जाता है। यदि किसी निरीक्षण में प्रथम दृष्टया धोखाधड़ी अथवा फरेब का मामला सामने आता है तो कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत जांच कार्रवाई प्रारंभ की जाती है।

निरीक्षण

3.15.2 कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 209क कंपनी रजिस्ट्रारों अथवा केन्द्र सरकार द्वारा पूर्ण प्राधिकृत अधिकारियों को कंपनियों की लेखा बहियों तथा अन्य रिकार्डो को निरीक्षण करने हेतु शिक्त प्रदान करती है। मंत्रालय के विभिन्न अधिकारियों को समय–समय पर इस धारा के तहत निरीक्षण करते हुए प्राधिकृत किया गया है। अन्य बातों के साथ–साथ यह सुनिश्चित करने हेतु निरीक्षण किया जाता है कि अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करके कंपनी की निधि का अन्यत्र उपयोग, किया जा रहा है तथा क्या कंपनी प्रबंधन ने अपनी न्यासीय स्थिति का दुरुपयोग अधिनियम का उल्लंघन करते हुए किसी निजी लाभ के लिए किया है अथवा क्या कुप्रंबधन अथवा उत्पीड़न से संबंधित कार्य हैं जो कंपनी के स्टेकधारकों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालते है अथवा जो इस प्रकार के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हो जिससे कंपनी उचित एवं साम्य आधार पर बंद किए जाने के योग्य हो और यदि कंपनी ने अधिनियम के प्रावधानों में चूक की हो तो उस स्थिति में कानूनी कार्रवाई करना।

3.15.3 मंत्रालय में अथवा उसके क्षेत्रीय कार्यालयों में लेखाबहियों के रख–रखाव में कुप्रबंधन, शेयरों/लाभांशों के अंतरण में विलंब, लाभांशों के भुगतान में विलंब, निक्षेप अथवा उसके ब्याज

की गैर–अदायगी संबंधी शिकायतें प्राप्त होने, रजिस्ट्रार के कार्यालय में दर्ज लेखा–परीक्षकों की टिप्पणियों को शामिल करते हुए दस्तावेजों की संवीक्षा के दौरान उल्लंघन/अनियमितताएं पाए जाने पर और अन्य सरकारी विभागों/अभिकरणों द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के उल्लंघन अथवा अन्य अनियमितताएँ इंगित किए जाने पर किसी भी कंपनी की लेखाबहियों के निरीक्षण आदेश दिए जाते हैं।

3.15.4 पिछले वर्ष के 204 निरीक्षणों की तुलना में वर्ष 2010–11 के दौरान कुल 190 निरीक्षणों के आदेश दिए गए। दिनांक 01.04.2011 से 31.12.2011 की अवधि के दौरान कुल 64 निरीक्षणों के आदेश दिए गए।

जांच

3.15.5 यदि कंपनी का कारोबार अपने जमाकर्ताओं को धोखा देने, अथवा गैर कानूनी उद्देश्यों अथवा उसके किसी सदस्य का अहित करने के उद्देश्य से चलाये जा रहा हो अथवा यदि कंपनी का गठन गैर कानूनी उद्देश्यों के लिए किया गया हो तो केन्द्र सरकार को यह शिक्त दी गई है कि वह निरीक्षकों की नियुक्ति करके जांच करवाने एवं जांच की रिपोर्ट पर कार्रवाई करने हेतु जांच के आदेश दे सकती है। कंपनी के सदस्य भी इस प्रकार की जांच का अनुरोध कंपनी विधि बोर्ड के समक्ष कर सकते है।

3.15.6 कंपनी विधि बोर्ड तथा क्षेत्रीय निदेशकों को भी यह शिक्त दी गई है कि वे उन अपराधों की शिकायतों को छोड़कर जिन में कारावास दंड निर्धारित है, अन्य अपराधों की शिकायतों का शमन कर सकते है।

अभियोजन

3.16.1 दिनांक 1.4.2011 से 31.12.2011 की अवधि के दौरान कंपनी अधिनियम 1956 के तहत विभिन्न न्यायालय में पिछले वर्ष से अग्रेनीत 60258 अभियोजनों सहित कुल 67040 अभियोजन दायर किए गए एवं उन पर कार्रवाई कि गई । इस अवधि के दौरान 14,839 अभियोजनों का निपटान किया गया। दिनांक 31.12.2011 को लंबित मामलों की संख्या 52,201 थी।

गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय

3.17.1 गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय की स्थापना केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 02.07.2003 के संकल्प द्वारा किया गया था। एसएफआईओ एक बहु–विषयी जांच एजेंसी है जिसमें बैकिंग, पूंजी बाजार, कंपनी कानून, कानून, फोरेंसिक लेखापरीक्षा, कारधान, सूचना प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों के विशेषज्ञ मिलकर कारपोरेट धोखाधड़ियों को सुलझाने का कार्य करते हैं। एसएफआईओ द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 235 से 247 के प्रावधानों का उपयोग किया जा रहा है।

3.17.2 वित्तीय वर्ष 2010–11 के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा अलग–अलग आदेशों द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 के धारा 235/237 के तहत छः मामलों की जांच के आदेश दिए गए थे। दिनांक 01.04.2011 से 31.12.2011 की अवधि के दौरान सात मामलों की जांच के आदेश दिए गए थे। इन 13 मामलों के अलावा सरकार द्वारा वर्ष 2008–09

के दौरान जांच के लिए आदेश दिए जाने संबंधी एक मामला अभी भी लंबित है। दो मामलों में या तो जांच वापस ली गई है अथवा स्थगित रखा गया है।

3.17.3 एसएफआईओ की स्थापना से लेकर अब तक जांच हेतु उसे 89 मामले संदर्भित किये गए है। इनमें से दिनांक 31.12.2011 तक एसएफआईओ ने 73 मामलों में जांच रिपोर्ट सौंप दी है (वर्ष 2010–11 के दौरान प्रस्तुत 13 मामले तथा दिनांक 01.04.2011 से 31.12.2011 के दौरान प्रस्तुत 11 मामलों सहित) तथा 4 मामलों को या तो स्थगित कर दिया गया है अथवा न्यायालय द्वारा निरस्त कर दिया गया है। दिनांक 31.12.2011 को एसएफआईओ द्वारा 12 मामलों की जांच की जा रही है।

3.17.4 जांच अधिकारियों के दल द्वारा रिपोर्ट दिये जाने के पश्चात् मंत्रालय द्वारा अभियोजनों की स्वीकृति दी जाती है तत्पश्चात् एसएफआईओ द्वारा सक्षम न्यायालयों में अभियोजन दायर किए जाते हैं।

3.17.5 दिनांक 31.12.2011 तक धोखाधड़ी के कार्यों में संलिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध न्यायालयों में 835 अभियोजन के मामले (कंपनी विधि के तहत 762 अपराध तथा भारतीय दंड संहिता के तहत 73 अपराध मामलों सहित) दायर किये गए है।

धोखाधड़ी के प्रकार :

3.17.6 कई वर्षों से एसएफआईओ द्वारा की गई जांच के दौरान, विभिन्न प्रकार के धोखाधड़ी/ धोखाधड़ियों के मामले सामने आए हैं। धोखाधड़ी के प्रमुख प्रकार निम्नानुसार हैं :

परियोजना वित्त प्रबंध

3.17.7 एसएफआईओ द्वारा जांच किए गए मामलों में से यह देखा गया कि एक भारतीय कंपनी ने अपनी मूल कंपनी से पुरानी संयंत्र तथा मशीनरी काफी अधिक मूल्य पर आयात की। इस अत्यधिक मंहगे संयत्र तथा मशीनरी का प्रयोग वित्त संस्थानों से अधिक अवधि वाले ऋण प्राप्त करने के लिए किया गया। इस प्रकार से प्राप्त ऋण राशि मूल कंपनी को उक्त संयंत्र व मशीनरी के लिए देयता के भुगतान के रुप में अंतरित की गई। यह भी देखा गया कि भारतीय कंपनी को अधिकांश मशीनरी के लिए विभिन्न इनवॉयस विभिन्न सरकारी एजेंसियों को प्रस्तुत करने के लिए प्राप्त हुए। उक्त जांच में यह भी देखा गया कि जांचाधीन कंपनी ने अपनी विदेशी मूल कंपनी से अत्यधिक मूल्यों पर अधिकांश कच्ची सामग्री प्राप्त की और कार्य पूंजी का भी अन्यत्र उपयोग किया।

परिचालन के दौरान धोखाधड़ी :

3.17.8 एसएफआईओ द्वारा जांच किए जा रहे एक मामले में यह देखा गया कि एक भारतीय कंपनी ने अपनी विभिन्न ग्रुप कंपनियों के बीच सर्कुलर रुप में हीरों का व्यापार दिखाते हुए बिल प्रस्तुत किए जैसे कंपनी 'क' ने 'ख' को बेचा, 'ख' ने 'ग' को और 'ग' ने वापस 'क' को बेचा। इस प्रकार इस प्रक्रिया में किसी सामान का अंतरण नहीं हुआ और केवल विक्रय व क्रय बिल प्राप्त

किए गए। ये बिल बैंक में डिस्काउंट किए गए तथा कंपनी ने इन बिलों के आधार पर बैंकों से अग्रिम के रुप में बड़ी मात्रा में धनराशि प्राप्त की। प्रारंभ में कंपनी ने निर्धारित अवधि के बाद डिस्काउंट किए गए बिलों में निर्दिष्ट धनराशि वापिस की। तथापि कुछ समय बाद भुगतान रोक दिया गया और कंपनी का प्रमुख प्रोमोटर, जो कंपनी का नियंत्रण कर रहा था, देश से बाहर भाग गया और कंपनी ने कार्य करना बंद कर दिया जिसके परिणामस्वरूप बड़ी मात्रा में बैंक का धन एनपीए हो गया। एसएफआईओ द्वारा जांच किए गए कुछ मामलों में कंपनियों द्वारा स्टील के सामान के लिए छोटे–छोटे सप्लायर अथवा ग्रुप कंपनियों को परियोजना की निर्माण अवधि के दौरान बड़ी राशि का भुगतान दिखाया गया। यह सारी लेखा–बही में चल रहे कार्य के रूप में दिखाई गई जिसे सत्यापित नहीं किया जा सकता था और जांच के दौरान देखा गया कि इन छोटे–छोटे सप्लायर का अस्तित्व नहीं है अथवा उन्हें ढूंढा नहीं जा सका। ग्रुप कंपनियां भी या तो बंद कर दी गईं थी या कार्य नहीं कर रही थी और उनके निदेशक भी नहीं मिले। इन एनटिटियों को सामग्री की सप्लाई दिखाते हुए अंतरित की गई धनराशि कतिपय लेखों के माध्यम से रोटेशन द्वारा नकदी के रुप में अथवा कुछ सत्यापित न किए जा सकने वाले व्यय के लिए भुगतान के रुप में पाई गई।

झूठे वित्तीय विवरण देना:

3.17.9 एसएफआईओ द्वारा जांच किए गए कुछ मामलों में यह देखा गया कि कंपनी आयकर विभाग को दाखिल लाभ हानि विवरण में दो लेखा वर्षों के दौरान हानि दिखाई अथवा नाममात्र का लाभ दर्शाया गया। तथापि, स्टॉक एक्सचेंज, कंपनी रजिस्ट्रार आदि को दाखिल लाभ हानि लेखों में अत्याधिक लाभ दिखाया जा रहा था। एक ही वर्ष के लिए दो अलग लाभ–हानि लेखों में लाभ की राशि अलग– अलग दिखाने के लिए कंपनी रजिस्ट्रार, स्टॉक एक्सचेंज को दाखिल किए जाने वाले लाभ–हानि विवरण में वित्त वर्ष से अलग लेखा वर्ष में बढ़ाए गए मूल्य पर स्टॉक का मूल्य निर्धारण किया गया। कुछ मामलों में इन महीनों में अत्याधिक लाभ वाले विक्रय रिकार्ड किए गए जिन्हें कंपनी रजिस्ट्रार को दाखिल किए जाने वाले लाभ हानि विवरण तैयार करने के लिए लेखा वर्ष में शामिल किया गया तथा निवेशकों अथवा अन्य हितबद्धों के प्रयोजनार्थ प्रयोग किया गया।

3.17.10 एसएफआईओ द्वारा जांच किए गए एक मामले में यह देखा गया कि कंपनी ने अपनी स्थायी परिसंपत्तियों का उपयोग करते हुए व्यावसायिक उत्पादन शुरु करने के बाबजूद उन परिसंपत्तियों का पूंजीकरण स्थगित कर दिया ताकि अधिक लाभ प्राप्त हो तथा/अथवा हानि कम हो ताकि बीआईएफआर के शिकंजे से बचा जा सके तथा बैंक द्वारा निधिकरण जारी रखा जा सके।

पूंजी बाजार द्वारा धोखाधड़ी

3.17.11 एसएफआईओ द्वारा जांच किए गए एक मामले में यह पाया गया कि एक कंपनी ने अपनी संबद्ध कंपनियों के बैंक खाते के माध्यम से केवल

चैकों के संचलन द्वारा इक्विटी पूंजी सृजित करने का संदिग्ध तरीका अपनाया जबकि इन खातों में कोई धनराशि नहीं थी। वास्तव में कंपनी के खातों में धनराशि का कोई वास्तविक फ्लो नहीं था। जितनी भी राशि खातों में दिखाई गई, उतनी ही राशि के चैक उन कंपनियों को जारी किए गए जिनसे अधिकांश चैक उसी दिन अथवा दो दिन के अंदर प्राप्त हुए थे बैंक खातों में जमा व नामे प्रविष्टियों का प्रयोग केवल इक्विटी पूंजी तैयार करने के लिए किया गया। इस कंपनी ने कंपनी विधि तथा आयकर कानून के प्रयोजनार्थ अलग–अलग लेखा विधि/प्रणाली का उपयोग किया। जब भी प्राधिकारियों को आयकर रिटर्न दाखिल की जाती तो लेखों में हानि दिखाई जाती जबकि कंपनी रजिस्ट्रार को दाखिल खातों में हमेशा लाभ दिखाया जाता। यह तरीका जनता को भ्रामक छवि दिखाने के लिए अपनाया गया और साथ ही आयकर विभाग को कर का भुगतान भी नहीं किया गया । इस प्रकार विभिन्न प्राधिकरणों को दाखिल किए गए लेखों का एक दूसरे से मिलान नहीं होता।

3.17.12 इक्विटी बढ़ाने के लिए एक अन्य तरीका यह अपनाया गया कि किसी काल्पनिक/निष्क्रिय कंपनी के साथ धनराशि की अदला–बदली दिखाई गई जबकि वास्तव में कंपनी की कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई ऐसा केवल इक्विटी सृजन के लिए किया गया।

3.17.13 एसएफआईओ द्वारा जांच किए गए एक मामले में यह देखा गया कि सहयोगी कंपनियों के अधिमान्य शेयरों को अत्यधिक प्रीमियम पर इक्विटी शेयरों के साथ बदलकर 7000 करोड़ रुपए की इक्विटी बनाई गई। इन कंपनियों के पास इतने अधिक प्रीमियम का औचित्य देने हेतु किसी प्रकार की परिसम्पत्तियां अथवा कार्य–निष्पादन का महत्वपूर्ण स्तर की नहीं था।

3.17.14 एसएफआईओ द्वारा जांच किए गए एक अन्य मामले में दो कारपोरेट एनटिटियों ने कंपनी अधिनियम तथा सेबी अधिनियम के प्रावधानों का पूर्णतया उल्लंघन करते हुए एक दूसरे को अवैध रुप से शेयर आवंटित करके अपने–अपने खातों में 10 करोड़ इक्विटी शेयर सृजित किए। एक कंपनी ने धोखे से इन शेयरों को डिमेटीरियलाइज़ करते हुए स्टॉक से लिस्टिंग अनुमति प्राप्त किए बिना बाज़ार में इन शेयरों को बेच दिया। इसी कंपनी ने धोखे से शेयरों का आवंटन प्रोमोटर्स तथा उनकी नियंत्रित कंपनी को करके कंपनी अधिनियम के प्रावधानों का भी पूर्णतया उल्लंघन किया। इन शेयरों को भी गलत ढंग से डिमेटीरियलाइज़ करके बाजार में बेचा गया।

3.17.15 प्रोमोटर्स झूठे वित्तीय निष्पादन के आधार पर अकसर कंपनी में अपने शेयर अवैध लाभ प्राप्त करने के लिए शेयर बाज़ार में मनमाने मूल्यों पर बेच देते हैं और बाद में इसी प्रक्रिया को विपरीत करते हुए घटाए गए मूल्यों पर इन शेयरों को पुनः खरीद लेते है और इस प्रकार कंपनी पर अपना नियंत्रण जारी रखते हैं। एसएफआईओ द्वारा जांच किए गए अधिकांश मामलों में यह देखा गया है कि प्रोमोटर्स अथवा उनके द्वारा नियंत्रित एनटिटियों द्वारा बड़ी संख्या में शेयर, जो उन्हें अधिमान्य आधार पर आवंटित किए गए है, जैसा कि उपर्युक्त पैरा में बताया गया है, चैंकों के परिचालन अथवा अदला–बदली द्वारा बेचे जाते हैं।

कंपनी विधि बोर्ड

3.18.1 कंपनी विधि बोर्ड एक अर्धन्यायिक निकाय है जिसका साम्यपूर्ण क्षेत्राधिकार है। बोर्ड में कुल नौ स्वीकृत पद है जिनमें अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के पद शामिल हैं। दिनांक 31.12.2011 तक बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य शामिल थे।

1. श्री न्यायमूर्ति डी.आर. देशमुख, अध्यक्ष, कंपनी विधि बोर्ड।
2. श्रीमती विमला यादव, सदस्य, कंपनी विधि बोर्ड, दिल्ली।
3. श्री कान्ति नरहरि, सदस्य, कंपनी विधि बोर्ड, मुम्बई।
4. श्रीमती लिजम्मा ऑग्स्टीन, सदस्य, कंपनी विधि बोर्ड, चेन्नई।
5. श्री बी.एस.वी. प्रकाश कुमार, सदस्य, कंपनी विधि बोर्ड, कोलकाता।

3.18.2 बोर्ड की प्रधान पीठ नई दिल्ली में है तथा चार क्षेत्रीय पीठ नई दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता एवं चेन्नई में स्थित है। कंपनी विधि बोर्ड के क्षेत्रीय पीठों का क्षेत्राधिकार निम्नानुसार हैः

क्र. सं.	क्षेत्र	क्षेत्राधिकार
1.	नई दिल्ली पीठ	दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल राज्य, तथा चंडीगढ संघ शासित क्षेत्र
2.	मुम्बई पीठ	गोवा, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राज्य तथा दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव संघ शासित क्षेत्र
3.	चेन्नई पीठ	आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्य तथा पुडुचेरी और लक्षद्वीप संघ शासित क्षेत्र
4.	कोलकाता पीठ	अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नांगालैड, उड़ीसा, सिक्किम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारंखड, राज्य तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह संघ शासित क्षेत्र

3.18.3 कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 247,250,269,388ख के तहत आने वाले मामलों का निपटान प्रधान पीठ द्वारा किया जाता है। कंपनी अधिनियम, 1956 की अन्य सभी धाराओं 17, 18, 19, 58कक, 79/80क, 111/111क, 113/113(क), 117, 117ग, 118, 141, 144, 163, 167, 186, 196, 219, 235, 237(ख), 284, 304, 397/398, 408, 409, 614 तथा 621क तथा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45थक के अंतर्गत मामलों का निपटान क्षेत्रीय पीठों द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के अनुसार किया जाता है। कंपनी विधि बोर्ड के पास अपने आदेशों का प्रत्यावर्तन का अधिकार है। कंपनी विधि बोर्ड के उन निर्णयों अथवा आदेशों जिनमें कानून से संबंधित प्रश्न शामिल है, के विरुद्ध संबंधित उच्च न्यायालय में 60 दिनों के अन्दर अपील की जा सकती है।

3.18.4 दिनांक 01.04.2011 से 31.12.2011 की अवधि के दौरान कंपनी विधि बोर्ड द्वारा कंपनी

अधिनियम, 1956 की विभिन्न धाराओं के तहत कुल 12893 याचिकाओं/आवेदनों पर विचार किया गया, जिनमें से 10434 मामलों का निपटान कंपनी विधि बोर्ड द्वारा किया गया। उक्त अवधि के दौरान कंपनी विधि बोर्ड द्वारा प्राप्त फाइलिंग शुल्क की राशि 47,70,080/– रुपये थी तथा समान अवधि के दौरान वसूल की गई समाधेय राशि 2,53,65,900/–रुपये थी।

3.18.5 छोटे और जरुरतमंद जमाकर्ताओं, जिन्होंने ऐसी कम्पनियों में सावधि जमा में धनराशि जमा की है जो राशि जमा करते समय दिए गए वचन के अनुसार धनराशि लौटा नहीं रही है, की परेशानियों को देखते हुए कंपनी विधि बोर्ड ने आपदा समितियों का गठन किया है। आठ कंपनियों के मामले में आपदा आधार पर राशि वापिस करने से संबंधित आवेदनों पर विचार करने के लिए आपदा समिति की बैठक कंपनी विधि बोर्ड नई दिल्ली में आयोजित की जाती है। दिनांक 01.04.2011 से 31.12.2011 की अवधि के दौरान 703 जमाकर्ताओं के मध्य 1,10,90,255/–रुपये की राशि वितरित की गई।

कंपनी विधि बोर्ड के समक्ष कंपनी याचिकाएं

3.18.6 दिनांक 31.03.2011 को कंपनियों द्वारा कंपनी अधिनियम, 1956 की विभिन्न धाराओं की तहत दर्ज कुल 2664 आवेदन/याचिकाएं लंबित थी तथा दिनांक 01.4.2011 से 31.12.2011 की अवधि के दौरान कुल 10229 आवेदन/याचिकाएं प्राप्त हुई। कुल 12893 याचिकाओं/आवेदनों में से कुल 10434 आवेदन/याचिकाओं का निपटान कर दिया गया है,और लंबित आवेदन/याचिकाओं की संख्या 2459 रह गई है।

अहित एवं कदाचार के मामलों में राहत

3.18.7 कंपनी अधिनियम,1956 की धारा 397/398 कंपनी विधि बोर्ड को कंपनी को कार्य में अहित एंव कदाचार आदि की शिकायतों के मामलों में राहत देने की शक्ति प्रदान करता है। इस विषय में प्रभावित व्यक्तियों द्वारा याचिकाएं दायर की जा सकती हैं। कंपनी के निदेशकों के अपयोजन/अपकरण में संलिप्त होने पर केन्द्र सरकार को उनकी परिसंपति वापस लेने हेतु उनके विरुद्ध बोर्ड के समक्ष अपील करने का भी अधिकार है। दिनांक 31.12.2011 को कंपनी विधि बोर्ड में तीन मामलें लंबित थे तथा अन्य तीन मामलें उच्च न्यायालयों में लंबित थे। एक मामला उच्चतम न्यायालय में लंबित था। इस प्रकार कुल सात मामलें होते हैं।

लागत लेखा परीक्षा

3.19.1 लागत लेखा रिकार्ड नियम उन तरीकों का निर्धारण करते हैं जिन तरीकों से कंपनियों द्वारा लागत रिकार्डों का रख–रखाव किया जाता है। लागत रिकार्ड, कंपनियों को अपने कार्य–निष्पादन में सुधार लाने और प्रतिस्पर्धी परिवेश का सामना करने के लिए अपने प्रयोगार्थ प्रयोग करने हेतु लागत डाटाबेश बनाने में सहायता करते हैं। इन रिकार्डों का प्रयोग विभिन्न सरकारी एजेंसियों जैसे, मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, विनियामक निकाय, डब्ल्यूटीओ कार्यान्वयन एवं निगरानी एजेंसियों,

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, राजस्व प्राधिकरणों तथा अन्य संस्थानों द्वारा भी किया जाता है। वर्ष 2011–12 के दौरान केन्द्र सरकार ने मौजूदा 44 लागत लेखा रिकार्ड नियमों का अधिक्रमण किया और दिनांक 3.6.2011 को कंपनी (लागत लेखा रिकार्ड) नियम, 2011 को अधिसूचित किया तथा 7.12.2011 को 6 औद्योगिक विनिर्दिष्ट संशोधित लागत लेखा नियमो को अधिसूचित किया गया।

3.19.2 नये अधिसूचित नियम उन सभी कंपनियों पर लागू होते हैं जो उत्पादन, संसाधन, विनिर्माण अथवा खनन के कार्यों से जुडी हो तथा जिनमें ठीक पिछले वित्तीय वर्ष की अन्तिम तिथि को निवल मूल्य का संकलित मूल्य पाँच करोड़ रुपये से अधिक हो; अथवा ठीक पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान सभी उत्पादों अथवा गतिविधियों से संबंधित कारोबार का संकलित मूल्य बीस करोड़ रुपये से अधिक हो; अथवा भारत अथवा भारत के बाहर किसी भी स्टॉक एक्सचेज में कंपनी की इक्विटी या ऋण प्रतिभूति सूचीबद्ध हो अथवा सूचीबद्ध होने की प्रक्रिया में हो। यह नियम किसी विशेष अधिनियम द्वारा प्रशासित कारपोरेट निकाय पर लागू नहीं होते है।

3.19.3 लागत लेखा परीक्षा नियम कंपनियों द्वारा लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के तरीके एवं स्वरुप का निर्धारण करते है। वर्ष 2011–12 के दौरान लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट नियम, 2001 भी निरस्त कर दिये गये थे तथा दिनांक 3 जून, 2011 को कंपनी (लागत लेखा परीक्षा रिपोर्ट) नियम, 2011 अधिसूचित किये गये है यह नियम उन कंपनियों पर लागू होंगे जिनमें अधिनियम की धारा 233ख (1) के तहत लागत लेखा परीक्षा आदेश जारी किये गये हैं। साथ ही लागत लेखा परीक्षक की नियुक्ति से संबंधित संशोधित प्रक्रिया दिनांक 11.04.2011 को जारी की गई।

3.19.4 विनियमित उद्योगों जिन पर छ औद्योगिक विनिर्दिष्ट लागत लेखा रिकॉर्ड नियम लागू हैं (यथा भारी औषध तथा सूत्र, शर्करा एवं औद्योगिक एल्कोहल, उर्वरक, पेट्रोलियम उत्पाद, बिजली तथा दूरसंचार) के संबंध में दिनांक 02.05.2011 को लागत लेखा परीक्षा आदेश जारी किए गए हैं ताकि वे 1 अप्रैल, 2011 को या इसके बाद के प्रत्येक वित्तीय वर्ष में अपने लागत लेखा रिकॉर्ड की लेखा परीक्षा किसी लागत लेखा परीक्षक जो कोई लागत लेखाकार अथवा लागत लेखाकार फर्म से संबंधित हो, जिसके पास लागत एवं संकर्म लेखाकार अधिनियम, 1959 के प्रावधानों के तहत प्रैक्टिस करने का वैध प्रमाण–पत्र हो, द्वारा करवायें।

3.19.5 समान आदेश दिनांक 3 मई, 2011 को (बाद में 30 जून, 2011 को संशोधित) तथा 24 जनवरी, 2012 को जारी किये गये, जिनमें उन सभी कंपनियों को, जिनमें कंपनी (लागत लेखा रिकॉर्ड) नियम, 2011 लागू होते है तथा जो मध्यस्थ उत्पादों एवं वस्तुओं अथवा अन्य उत्पादों सहित निम्नलिखित उत्पादों/ गतिविधियों के उत्पादन, संसाधन, विनिर्माण अथवा खनन कार्यों से संबंधित हो, को निदेश दिया गया।

- सीमेंट, टायर एवं ट्यूब, स्टील, पेपर, कीटनाशक, शीशा, पेंट एवं वार्निश तथा एल्यूमिनियम– दिनांक 1 अप्रैल, 2011 को अथवा इसके बाद प्रारंभ होने वाले प्रत्येक

वित्त वर्ष के संबंध में।

- जूट, कपास, रेशम, ऊनी तथा मिश्रित रेश/वस्त्र, खाद्य तेलहन तथा तेल (वनस्पति सहित), पैकेज्ड खाद्य उत्पाद, जैविक तथा अजैविक रसायन। कोयला एवं लिग्नाइट, खनन एवं लौह एवं अलौह धातु विज्ञान, टैक्टर एवं अन्य मोटर वाहन (आंटोमोटिव संघटकों सहित), रोपण उत्पाद, तथा इंजीनियरिंग मशीनरी (इलेक्ट्रीकल एवं इलेक्टॉनिक उत्पादों सहित) दिनांक 1 अप्रैल, 2012 को अथवा इसके बाद प्रारंभ होने वाले प्रत्येक वित्त वर्ष के संबंध में।

3.19.6 उपर्युक्त आदेश वहां लागू होंगे जहां ठीक पिछले वित्त वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा अपने सभी उत्पादों अथवा गतिविधियों की बिक्री अथवा आपूर्ति से किए गए कुल कारोबार का संचित मूल्य सौ करोड़ रुपए से अधिक हो; अथवा जहां भारत अथवा भारत के बाहर किसी स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी की इक्विटी अथवा ऋण प्रतिभूति सूचीबद्ध हो अथवा सूचीबद्ध होने की प्रक्रिया में हो, उन कंपनियों को लागत लेखा रिकार्डों की लेखा–परीक्षा किसी लागत लेखा परीक्षक द्वारा करवानी होगी।

3.19.7 उद्योग विनिर्दिष्ट लागत लेखा परीक्षा नियम के जारी होने के मद्देनज़र, दिनांक 31 मार्च, 2011 से पहले कंपनियों को जारी किए गए सभी कंपनी विनिर्दिष्ट लागत लेखा परीक्षा आदेश जिनमें उन आदेशों में निर्दिष्ट उत्पादों/गतिविधियों की लागत रिकार्डों की लेखा–परीक्षा हेतु निदेश दिया गया था, को दिनांक 1 अप्रैल, 2012 को अथवा इसके बाद प्रारंभ होने वाले वित्त वर्ष से रद्द माना जाएगा।

3.19.8 लागत लेखा परीक्षा के अंतर्गत आने वाली कंपनियों ने अप्रैल, 2006 से लेखा–परीक्षकों की नियुक्ति हेतु इलेक्ट्रानिक मोड़ में आवेदन दिया है। वर्ष 2011–12 के दौरान, 2188 आवेदन प्राप्त हुए तथा लागत लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करके उन आवेदनों का निपटान किया गया । उक्त अवधि के दौरान, इलेक्ट्रानिक स्वरुप में 3080 लागत लेखा परीक्षा रिपोर्टे प्राप्त हुई। रिपोर्टों के ऑनलाईन अनुमोदन तथा फाइलिंग से प्रक्रिया समय में कमी आई है (औपचारिक आदेशों, प्रश्नों आदि के पत्राचार में लगने वाले समय सहित) तथा कागजी– रिपोर्टों के रख–रखाव में स्थान की आवश्यकता में भी कमी आई है, जिससे सरकार के साथ–साथ आवेदक कंपनियों को भी लाभ हुआ है।

3.19.9 वर्ष 2011–12 के दौरान, कंपनियों द्वारा दर्ज की गई 216 लागत लेखा परीक्षा रिपोर्टों को विभिन्न प्रयोक्त विभागों जैसे, पाटन–रोधी निदेशालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, प्रशुल्क आयोग, राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, आदि को भी भेजा गया।

3.19.10 कंपनी तथा/अथवा उसकी निर्माण सुविधाओं के अस्थायी रुप से बंद होने, अत्यल्प उत्पादन/कार्य आदि से उत्पन्न परिस्थितियों में वर्ष–वार आधार पर लागत लेखा परीक्षा आदेशों से छूट भी दी जाती है। उसी प्रकार विचाराधीन उत्पाद के लिए उत्पादन गतिविधियों के स्थायी रुप से बंद होने अथवा बिक्री होने अथवा विलय/समामेलन होने कि स्थिति में लागत लेखा परीक्षा आदेश वापस लिए जाने पर विचार किया जाता

है। वर्ष के दौरान, छूट/वापस लेने संबंधी 106 ऐसे मामले प्राप्त हुए एवं उन पर कार्रवाई की गई।

कंपनी विधेयक, 2011 प्रबुद्ध विनियम की ओर एक मुख्य कदम

3.20.1 राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले परिवर्धनों को ध्यान में रखते हुए, भारत में कारपोरेट विनियम के लिए ढांचे को आधुनिक बनाने तथा प्रबुद्ध विनियम के माध्यम से भारतीय कारपोरेट क्षेत्र के परिवर्धन को उन्नत तथा अच्छे कारपोरेट शासन प्रैक्टिस के लिए विद्यमान कंपनी अधिनियम, 1956 में व्यापक संशोधन करने का निर्णय लिया गया था। विभिन्न स्टेकहोल्डरों अर्थात उद्योग चैम्बरों, व्यावसायिक संस्थाओं, सरकार विभागों का कानूनी विशेषज्ञों और पेशावर आदि से इस प्रक्रिया में विचार–विमर्श किया गया था और तदनुसार कंपनी विधेयक, 2009 दिनांक 3.8.2009 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया था और जांच तथा रिपोर्ट के लिए इसे वित्त पर संसदीय स्थायी समिति को भेजा गया, जिसने 31.8.2010 को संसद को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। इसके पश्चात् स्थायी समिति द्वारा की गई सिफारिशों को शामिल करते हुए तथा भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के परामर्श से एक संशोधित विधेयक, 2011 तैयार किया गया जिसे मंत्रिमंडल ने 24.11.2011 को अनुमोदित किया। यह विधेयक 14.12.2011 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया है। यह विधेयक मंत्रालय की वेबसाइट www.mca.gov.in पर उपलब्ध है। कंपनी विधेयक, 2011 की मुख्य–मुख्य बातें नीचे दी गई हैं।

3.20.2 कंपनी विधेयक, 2011 को 29 अध्यायों में विभाजित किया गया है जबकि विद्यमान कंपनी अधिनियम, 1956 में 658 धाराओं और 15 अनुसूचियों के विपरित 470 खंड तथा 7 अनुसूचियाँ हैं। इसमें पंजीकृत मूल्यांककों (अध्याय 17); सरकारी कंपनियाँ (अध्याय 23); कंपनियों को सूचना अथवा आंकड़े देने के लिए (अध्याय 25); निधि कंपनियाँ (अध्याय 26); राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय प्राधिकरण (अध्याय 27); तथा विशेष न्यायालय (अध्याय 28) पर नए अध्याय शामिल किए गए हैं।

कम्पनी विधेयक, 2011 की मुख्य विशेषताएं

(i) ई–गवर्नेंसः– कंपनियों द्वारा इलैक्ट्रॉनिक प्ररूप में दस्तावेजों को रखने और उनकी निरीक्षण अनुज्ञात करने को पहली बार अनुज्ञात किया जा रहा है।

(ii) निगम सामाजिक उत्तरदायित्व की संकल्पना आरंभ की जा रही है।

(iii) कंपनियों के भाग पर वर्धित उत्तरदायित्वः

(क) स्वतंत्र निदेशकों की संकल्पना आरंभ किए जाने के अतिरिक्त उनकी कार्यावधि और दायित्व, आदि की बाबत उपबंध उपबंधित किए गए हैं। स्वतंत्र निदेशकों के लिए आचरण विधेयक की अनुसूची में उपबंधित किया गया है। स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति को सुकर बनाने के लिए स्वतंत्र निदेशकों का डाटा बैंक केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किसी निकाय/संस्थान द्वारा रखे जाने का प्रस्ताव है।

(ख) बोर्ड की अन्य समितियों, जैसे संपरीक्षा समिति, नामनिर्देशन और पारिश्रमिक तथा पणधारी संबंध समिति के अतिरिक्त बोर्ड की निगम सामाजिक उत्तरदायित्व समिति का प्रस्ताव किया गया है। इन समितियों में बोर्ड के कार्यकरण में अधिक स्वतंत्रता लाने और अल्पसंख्यक शेयर धारकों के हितों के संरक्षण के लिए स्वतंत्र निदेशक और कार्यकारी निदेशक होंगे।

(ग) ''संप्रवर्तक'' की परिभाषा को भी समुचित मामलों में उसके दायित्व के साथ सम्मिलित किया गया है।

(घ) कर्मचारियों को उनकी सत्यनिष्ठा के लिए पुरस्कृत करते समय नैतिक निगम व्यवहार को बढावा देने के लिए प्रक्रिया बनाने हेतु कंपनी को समर्थ बनाने के लिए और विसामान्य आचरणों के संबंध में प्रबंधन को महत्वपूर्ण सूचना उपलब्ध कराने के लिए सतर्कता तंत्र (व्हिसल ब्लोइंग) की बाबत उपबंधों का प्रस्ताव किया गया है।

(ड़) केन्द्रीय सरकार को कंपनियों के किसी वर्ग या वर्गों के लिए समनुषंगियों के स्तरों की बाबत निर्बंधन विहित करने के लिए सशक्त किया गया है।

(च) कतिपय मामलों में सम्यक सुरक्षोपायों सहित लेखाओं के पुनः खोले जाने के लिए नए उपबंध सुझाए गए है।

(iv) अतिरिक्त प्रकटन सन्नियमः

(क) बोर्ड की रिपोर्ट में कंपनी विधेयक, 2009 में ऐसी रिपोर्ट में प्रस्तावित प्रकटन के अतिरिक्त जोखिम प्रबंध नीति, निगम सामाजिक उत्तरदायित्व नीति के विकास और कार्यान्वयन, बोर्ड

के निदेशकों और व्यष्टिक निदेशकों के कार्यपालन के प्रायिक मूल्यांकन की रीति जैसे नए प्रकटन सम्मिलित किए गए हैं।

(ख) कतिपय मामलों में सम्यक सुरक्षोपायों सहित लेखाओं के पुनः खोले जाने के लिए नए लेखाओं का समेकनः विदेशी समनुषंगियों के लेखाओं को रजिस्ट्रर के पास उन्हें फाइल करने के लिए संलग्न किया जाएगा। समनुषंगी के अंतर्गत समेकन के प्रयोजन के लिए ''सहयोगी'' और ''संयुक्त उद्यम'' हैं।

(ग) कतिपय मामलों में सम्यक सुरक्षोपायों सहित लेखाओं के पुनः खोले जाने के लिए नए प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी संप्रवर्तकों ऐसी कंपनी के शीर्ष दस शेयर धारकों की शेयरधारण स्थिति में परिवर्तन के संबंध में रजिस्ट्रार के पास विवरणी फाइल करने के लिए अपेक्षित होगी।

(v) कंपनियों द्वारा पूंजी उगाहने को सुकर बनानाः

(क) प्राइवेट स्थापन आधार पर प्रतिभूतियों के अभिदाय के लिए प्रस्ताव या आमंत्रण हेतु उपबंधों को अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए पुनरीक्षित किया गया है।

(ख) कंपनियों को विभेदकारी मतदान अधिकारों सहित साम्या शेयर जारी करने के लिए अनुज्ञात किया जा रहा है।

(ग) केन्द्रीय सरकार को नियमों द्वारा, उसके कर्मचारियों द्वारा उनके फायदे की किसी स्कीम के अधीन कंपनी के शेयरों का क्रय अनुज्ञात करने के लिए किसी कंपनी द्वारा किए गए धन के उपबंध के संबंध में अपेक्षाएं विहित करने के लिए सशक्त किया गया है। बोर्ड की रिपोर्ट में ऐसे शेयरों की बाबत, जिनसे स्कीम संबद्ध है, कर्मचारियों द्वारा सीधे प्रयोग न किए गए मतदान अधिकार की बाबत प्रकटन किया जाएगा।

(vi) संपरीक्षा उत्तरदायित्वः

(क) संपरीक्षकों और संपरीक्षा फर्मों के चक्रानुक्रम का उपबंध किया जा रहा है।

(ख) संपरीक्षा की कठोर और अधिक जवाबदेही भूमिका बनाई रखी जा रही है। संपरीक्षा की जाने वाली कंपनी के साथ उसका संबंध केवल संपरीक्षक के रूप में होगा। संपरीक्षक को गैर–संपरीक्षा सेवाएं करने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। कंपनियों की अधिकतम विहित संख्या के अधीन रहते हुए, किसी कंपनी के सदस्य यह संकल्प कर सकेंगे कि ऐसी कंपनी का संपरीक्षक या संपरीक्षा फर्म उस संख्या से परे, जो ऐसे संकल्प में विनिर्दिष्ट की जाए, कंपनियों में संपरीक्षक नहीं बनेगी।

(ग) लेखा और लेखा मानकों संबंधी राष्ट्रीय सलाहकार समिति को लेखा और लेखा मानकों की मॉनिटरी और अनुपालन सुनिश्चित करने तथा अनुपालन से जुड़े वृत्तिकों की गुणवत्ता की निगरानी करने के आदेश के साथ राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण के रूप में पुनः नामित किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। प्राधिकरण ऐसे मामलों में केन्द्रीय सरकार को सिफारिशें करते

समय, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय रूप में स्वीकृत लेखा और लेखा संबंधी नीतियों तथा मानकों पर विचार करेगा, जिससे हमारी कंपनियों की अन्य कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धिता में सुधार होगा। प्राधिकरण को वृत्तिकों पर स्वतंत्र निगरानी सुनिश्चित करने की अर्द्धन्यायिक शक्तियों से भी सशक्त किया जाना प्रस्तावित है।

(घ) लेखा संपरीक्षाः ऐसे माल के उत्पादन या ऐसी सेवाएं प्रदान करने में, जो विहित की जाएं, लगी हुई कंपनियों के लेखा अभिलेखों को अनिवार्य बनाया जाएगा। लेखा संपरीक्षा मानकों की संकल्पना को अनिवार्य बनाया जा रहा है।

(ड.) सचिवालीय संपरीक्षाः कंपनियों के विहित वर्ग को बोर्ड की रिपोर्ट के साथ किसी व्यवसायरत कंपनी सचिव द्वारा दी गई सचिवालीय संपरीक्षा रिपोर्ट संलग्न करने की आवश्यकता होगी।

(vii) प्रबंधकीय पारिश्रमिकः

(क) विद्यमान अधिनियम में उपबंधित पारिश्रमिक संबंधी सीमाओं (शुद्ध लाभ का 11%) से संबंधित उपबंधों को सम्मिलित किया गया है।

(ख) लाभ विहीन या अपर्याप्त लाभ वाली कंपनियों के लिए पारिश्रमिक विधेयक से संलग्न पारिश्रमिक की नई अनुसूची के अनुसार संदेय होगा और यदि कोई कंपनी उस अनुसूची का अनुपालन करने में समर्थ नहीं है तो केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन आवश्यक होगा। विधेयक में पारिश्रमिक के लिए व्यष्टिक सीमाओं के साथ ही विद्यमान सीमाओं को बढ़ाया गया है। आवधिक फीस के संदाय की संकल्पना, जिसके अंतर्गत निदेशकों की बैठक फीस भी होगी, विधेयक में सम्मिलित की जा रही है।

(ग) स्वतंत्र निदेशकों को स्टाक विकल्प न होनाः स्वतंत्र निदेशक स्टाक विकल्प प्राप्त नहीं करेंगे, किन्तु विधेयक/नियमों में विनिर्दिष्ट सीमाओं के अधीन रहते हुए फीस का संदाय और लाभ से जुड़ा कमीशन प्राप्त कर सकेंगे। केन्द्रीय सरकार नियमों के अधीन फीस की रकम विहित कर सकेगी।

(viii) समामेलन/अर्जन सुकर बनाना

समझौता या ठहराव के लिए, जिसके अंतर्गत दो या अधिक लघु कंपनियों के बीच और ऐसे अन्य वर्ग या वर्गों की कंपनियों के लिए, जो विहित की जाएं, नियंत्री कंपनियों और पूर्णतः स्वामित्वाधीन समनुषंगी (समनुषंगियों) के समामेलन या विलयन भी हैं, सरल प्रक्रिया (केन्द्रीय सरकार द्वारा पुष्टि के माध्यम से) अधिकथित की गई। इसके परिणामस्वरूप कंपनियों में प्रभावी पुनर्संरचना के परिणामस्वरूप समामेलन और विलयन तथा अर्थव्यवस्था में वृद्धि के लिए अनुमोदनों पर तीव्र विनिश्चय होंगे। अन्य कंपनियों के लिए ऐसे विषयों का अधिकरण द्वारा अनुमोदन किया जाएगा।

(ix) अल्पसंख्यक शेयर धारकों के लिए संरक्षण

(क) उस उद्देश्य में परिवर्तन के लिए, जिसके लिए लोक निर्गम किया गया था, असहमति की दशा में शेयर धारकों के लिए निर्गम विकल्प।

(ख) लेनदारों, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों, संप्रवर्तकों और गैर–संप्रवर्तक शेयर धारकों के संबंध में समामेलन के प्रभाव के संबंध में विनिर्दिष्ट प्रकटन का उपबंध किया जा रहा है। अधिकरण को समझौता या ठहराव की दशा में असहमत शेयर धारकों को निर्गम प्रस्थापना का उपबंध करने के लिए सशक्त किया जा रहा है।

(ग) बोर्ड में लघु शेयर धारकों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक निदेशक हो सकेगा, जिसको ऐसी रीति में निर्वाचित किया जा सकेगा, जो नियमों द्वारा विहित की जाए।

(x) विनिधानकर्ता संरक्षण

(क) जनसाधारण के, अधिक कठोर शासन के अधीन रहते हुए, निक्षेप प्राप्त करना।

(ख) केन्द्रीय सरकार को ऐसे वर्ग या वर्गों की कंपनियां विहित करने की शक्ति होगा, जिन्हें प्रॉक्सियों के प्रयोग को अनुज्ञात करने की अनुमति नहीं होगी। विधेयक में यह उपबंधित करने के लिए उपबंध भी होंगे कि किसी व्यक्ति को ऐसे सदस्यों की संख्या/ऐसे शेयरों के लिए प्रॉक्सियां होगी, जो विहित की जाएं।

(ग) व्यक्तियों की ऐसी न्यूनतम संख्या का उपबंध करने के लिए वर्ग कार्रवाई वादों के उपबंधों को पुनरीक्षित किया गया है।

(xi) गंभीर धोखाधड़ी अन्वेषण अधिकारीः गंभीर धोखाधड़ी अन्वेषण अधिकारी को कानूनी प्रास्थिति का प्रस्ताव किया गया है। आरोप विरचित करने के लिए न्यायालय के पास फाइल की गई गंभीर धोखाधड़ी अन्वेषण अधिकारी की अन्वेषण रिपोर्ट को किसी पुलिस अधिकारी द्वारा फाइल की गई रिपोर्ट माना जाएगा। गंभीर धोखाधड़ी अन्वेषण अधिकारी को विधेयक के कतिपय ऐसे अपराधों की बाबत, जो धोखाधड़ी के लिए दंड आकृष्ट करते हैं, गिरफ्तार करने की शक्ति होगी। वे अपराध संज्ञेय होंगे और ऐसे किसी अपराध का अभियुक्त व्यक्ति को विधेयक के सुसंगत खंड में उपबंधित कतिपय शर्तों के अधीन रहते हुए जमानत पर निर्मुक्त किया जाएगा। 'धोखाधड़ी' की परिभाषा दी गई है। धोखाधड़ी से संबंधित अपराधों के लिए कठोर शास्ति का उपबंध किया गया है।

(xii) महिला निदेशकः विहित वर्ग या वर्गों की कंपनियों में कम से कम एक महिला निदेशक को अनिवार्य किया गया है।

(xiii) राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (अधिकरण): अधिकरण की संरचना और गठन के संबंध में 11 मई, 2010 को उच्चतम न्यायालय के निर्णय को ध्यान में रखते हुए अधिकरण के सदस्यों की अर्हता और अनुभव आदि से संबंधित उपांतरण किए गए हैं। अधिकरण से अपीलें राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण को होंगी।

(xiv) मध्यस्थता और सुलह पैनलः केन्द्रीय सरकार या अधिकरण के समक्ष प्रस्तावित विधान के अधीन किसी कार्यवाही के दौरान पक्षकारों के बीच मध्यस्थता और सुलह को सुकर बनाने के लिए ''मध्यस्थता और सुलह पैनल'' सृजित करने और बनाए रखने का प्रस्ताव किया गया है।

(xv) केन्द्रीय सरकार को लोक हित में कंपनियों के किसी वर्ग या वर्गों के लिए अधिनियम के उपबंधों से छूट देने/उन्हें उपांतरित करने की शिक्त होगी। सुसंगत अधिसूचना तीस दिन की अवधि के लिए प्रारूप के रूप में संसद में रखे जाने के लिए अपेक्षित होगी।

अध्याय – IV
प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 नीति, प्रावधान और कार्यनिष्पादन

4.1.1. प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 संसद द्वारा 2002 के शीतकालीन सत्र में पारित किया गया था इसे जनवरी, 2003 में भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई। अधिनियम में एकाधिकार पर नियंत्रण लगाते हुए, प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन देने पर ध्यान देने की मांग की गई है। प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 में अब तक वर्ष 2007 तथा 2009 में दो बार संशोधन किए गए हैं। अधिनियम के कुछ प्रावधानों को चुनौती दिए जाने के परिणामस्वरूप तथा उन पर भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय की टिप्पणियों पर यह प्रतिस्पर्धा (संशोधन) अधिनियम, 2007 द्वारा पहली बार संशोधित किया गया था जिसमें भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना की व्यवस्था थी। इस आयोग में एक अध्यक्ष तथा न्यूनतम दो तथा अधिकतम छः सदस्य होने चाहिए। इसके अतिरिक्त, भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग के आदेशों के विरूद्ध अपीलों की सुनवाई और निपटान के लिए और उक्त आयोग की निष्कर्षों के परिणामस्वरूप होने वाले मुआवजे के दावों पर निर्णय देने के लिए भी प्रतिस्पर्धा अपीलीय प्राधिकरण की स्थापना का भी प्रावधान है।

4.1.2. संशोधन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग और प्रतिस्पर्धा अपीलीय प्राधिकरण की स्थापना की गई है। प्रतियोगी विरोधी समझौतों तथा प्रमुख स्थिति के दुरुपयोग से संबंधित प्रतिस्पर्धा के प्रावधान 20 मई, 2009 से लागू किए गए हैं तथा आयोग ने इन प्रावधानों के अधीन मामलों को निपटाना शुरू कर दिया है।

4.1.3. प्रतिस्पर्धा अधिनियम में अनिवार्य रूप से चार घटक हैं।

- लिखित चुनौती जैसे प्रतियोगी विरोधी समझौते को निषेध करना जो व्यापार की स्वतंत्रता पर रोक लगाते हैं तथा उत्पादन और माल के वितरण एवं सेवाओं को सीमित करके तथा सामान्य मूल्य से अधिक मूल्य निर्धारित कर उपभोक्ता को हानि पहुंचाते हैं।
- मुख्य फर्म के अनुचित व्यवहार को निषेध करना जो अपनी प्रमुख स्थिति के माध्यम से बाजारों पर रोक तथा अनुचित एवं विभेदकारी शर्तें निर्धारित कर सकते हैं।
- प्रतियोगी बाजारों की सुरक्षा के लिए बड़े निगमों के विलय तथा अधिग्रहणों को विनियमित करना।
- प्रतिस्पर्धा समर्थन आदेश देना।

4.1.4. सभी चार घटकों का परस्पर संबंध है और संपूर्ण सर्वयोग बनाते हैं। पहले तीन का

संबंध अनिवार्य रूप से अधिनियम के लागू करने से है तथा अंतिम घटक अधिनियम की धारा 49 में बनाए गए प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने का आदेश देता है।

4.1.5. भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग को विलय अथवा संयोजनों और विलय अथवा संयोजनों को उलटा करने को विनियमित करने का अधिकार प्राप्त है यदि उसका यह मत है कि विलय अथवा संयोजन का भारत में प्रतिस्पर्धा पर पर्याप्त प्रतिकूल प्रभाव है अथवा पड़ने की संभावना है। प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के सभी प्रावधानों को अधिसूचित कर दिया गया है। नवीनतम अधिसूचना का संबंध संयोजन के विनियमन पर प्रावधानों से हैं, जिसमें भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग की पूर्व अनापत्ति की अपेक्षा है जो 1 जून, 2011 से लागू है। प्रतिस्पर्धा (संशोधन) अधिनियम, 2007 यह पता लगाने के लिए क्या प्रितस्पर्धा का भारत में प्रतिस्पर्धा पर पर्याप्त प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग से विलय पूर्व अनापत्ति का आदेश देता है।

4.1.6. संयोजन के लिए अधिनियम की धारा 5 में के अधीन दी गई प्रेरित शुरुआत, भारत में 1500 करोड़ रुपए की संयुक्त सम्पित्त आधार अथवा 4500 करोड़ रुपए की कुल बिक्री; अथवा यूएस(डॉलर)750 मिलियन की सम्पित्त (भारत में कम से कम 750 करोड़ रुपए की सम्पित्त सहित) अथवा यूएस (डॉलर) 2250 मिलियन कुल बिक्री (भारत में 2250 करोड़ रुपए की कुल बिक्री सहित) के संबंध हैं। किसी समूह से संबंधित संयुक्त हस्ती के मामले में भारत में 6000 करोड़ रुपए का सम्पित्त आधार अथवा 1800 करोड़ रुपए की कुल बिक्री अथवा भारत में अथवा भारत से बाहर यूएस(डॉलर) 3 बिलियन सम्पित्त (भारत में कम से कम 750 करोड़ रुपए की सम्पित्त सहित) अथवा भारत में अथवा भारत से बाहर यूएस(डॉलर) 9 बिलियन की कुल बिक्री (भारत में कम से कम 2250 करोड़ रुपए कुल बिक्री सहित) प्रेरित शुरुआत होगी। भारत सरकार ने दिनांक 04.03.2011 तथा 27.05.2011 की अधिसूचना द्वारा ऐसे किसी उद्यम को पांच वर्ष की अवधि के लिए प्री–फाइलिंग अपेक्षाओं से छूट भी प्रदान की है, जिसका नियंत्रण, शेयर, वोट का अधिकार अथवा सम्पित्त अर्जित की जा रही है उसकी भारत में कुल बिक्री 750 करोड़ रुपए से कम है अथवा भारत में सम्पित्त 250 करोड़ रुपए से कम है।

4.1.7. अधिनियम के अधीन दिए गए आदेश को लागू करने के लिए संयोजन के समर्थकारी विनियम आयोग द्वारा 11.05.2011 को अधिसूचित किए गए थे। ये विनियम भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग (संयुक्तकरण से संबंधित कारोबार के संचालन के बारे में प्रक्रिया) विनियम, 2011 हैं।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग

4.2.1. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के अधीन की गई थी तथा अधिनियम के संचालन कार्यान्वयन और लागूकरण के लिए मार्च, 2009 में समुचित रूप से इसे गठित किया गया था। आयोग के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:–

(क) प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली पद्धति पर रोक;

(ख) बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना तथा इसे बनाए रखना;

(ग) उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा करना; और

(घ) व्यापार की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना।

4.2.2. आयोग का मुख्य उद्देश्य बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना तथा इसे बनाए रखना है और बाजार को उपभोक्ता की प्राथमिकताओं के प्रति अधिक जवाबदेह बनाना। अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग निम्नलिखित करने का प्रयास करता है :–

- बाजार कार्य को उपभोक्ताओँ के लाभ और कल्याण के लिए बनाना;
- अर्थव्यवस्था की तेज और सम्मिलित वृद्धि और विकास के लिए देश में अर्थव्यवस्था में उचित और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को सुनिश्चित करना;
- आर्थिक साधनों के अधिक दक्षतापूर्ण उपयोग को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से प्रतिस्पर्धा नितियों को कार्यान्वित करना;
- प्रतिस्पर्धा कानून के अनुरूप क्षेत्रीय नियंत्रक कानूनों के साथ प्रभावी संबंध और पारस्परिक प्रभाव विकसित करना तथा प्रोत्साहन देना; तथा
- प्रतिस्पर्धा समर्थन को प्रभावशाली रूप से लागू करना और भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा संस्कृति की स्थापना और प्रोत्साहन देने के लिए सभी स्टेकहोल्डरों के बीच प्रतिस्पर्धा के लाभों के संबंध में सूचना को प्रचारित करना।

4.2.3 प्रतिस्पर्धा अधिनियम के अनुसार आयोग में एक अध्यक्ष और छः सदस्य हैं तथा 1 मार्च, 2009 से इसने कार्य करना शुरू कर दिया है। वर्ष 2011–12 में श्री अशोक चावला ने दिनांक 20.10.2011 को अध्यक्ष के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) श्री एस.एन. ढींगरा ने भी 18.10.2011 को सदस्य के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है तथा आयोग की वर्तमान संरचना निम्न प्रकार से हैं :–

श्री अशोक चावला	– अध्यक्ष
श्री एच. सी. गुप्ता	– सदस्य
श्री आर. प्रसाद	– सदस्य
श्रीमती गीता गौरी	– सदस्य
श्री अनुराग गोयल	– सदस्य
श्री एम. एल. तयाल	– सदस्य
श्री एस. एन. ढींगरा	– सदस्य

4.2.4 आयोग द्वारा 1.4.2010 से 31.3.2011 तथा 1.4.2011 से 31.12.2011 की अवधि के दौरान की गई विभिन्न गतिविधियाँ विस्तारपूर्वक नीचि दी गई हैं :

(क) प्रवर्तन गतिविधियाँ

(क) निम्नलिखित सारणी आयोग के सामने 20.5.2009 से 31.12.2011 की अवधि के

दौरान मामलों का विश्लेषण देती है।

सारणी 4.1

भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग में 20.5.2009 से 31.12.2011 की अवधि के दौरान प्राप्त मामलों की स्थिति (31.12.2011 की स्थिति अनुसार)

क्र. सं.	प्राप्त/शुरू किए गए मामले	मामलों की संख्या	धारा 26(1) के अंतर्गत डीजी को भेजे गए मामले	डीजी की प्राप्त जांच रिपोर्ट	डीजी की प्रतीक्षित रिपोर्टें	बंद किए गए/ निपटाए गए मामलों की संख्या		बंद किए गए/ निपटाए गए कुल मामलों की संख्या	लंबित मामलों की संख्या
						डीजी की रिपोर्ट के बाद बंद किए गए/ निपटाए गए मामले	धारा 26(2) के अंतर्गत बंद किए गए		
1.	स्व–प्रेरणा से	05	05	05	-	02	-	02	03
2.	धारा 19(1)(क) के अंतर्गत	173	87	66	21	35	71	106	46
3.	धारा 19(1)(ख) के अंतर्गत	05	02	01	01	01	03	04	-
4.	धारा 21 के अंतर्गत	01	-	-	-	-	01	01	-
5.	धारा 66 के अंतर्गत एमआरटीपीसी से हस्तांतरण पर प्राप्त मामले	50	29	29	-	20	21	41	09
	कुल	**234**	**123**	**101**	**22**	**58**	**96**	**154**	**58**

(ख) आयोग के सामने संयोजनों से संबंधित मामलों प्रवर्तनः

उपर्युक्त (क) के अलावा, आयोग को अधिनियम की धारा 6(2) के अंतर्गत संयोजन के 20 मामले प्राप्त हुए थे जिनमें से आयोग ने 31.12.2011 की स्थिति के अनुसार 15 मामले निपटा दिए हैं। कोई मामला निर्धारित 30 की समय–सीमा से अधिक लंबित नहीं है।

(ख) विनियम बनानाः

2010–2011 की अवधि के दौरान तथा 1.4.2011 से 31.12.2011 तक विभिन्न स्टेकहोल्डरों से समुचित विचार–विमर्श के बाद निम्नलिखित विनियम बनाए गए थे।

क्र. सं.	विनियम	जारी करने की तिथि
1.	भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (सामान्य) संशोधन विनियम, 2010	20.10.2010
2.	भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (आर्थिक शास्ति वसूल करने का तरीका) विनियम, 2011	08.02.2011
3.	भारत का प्रतिस्पर्धा आयोग (संयोजन से संबंधित कारोबार के संचालन के बारे में प्रक्रिया) विनियम, 2011	11.05.2011
4.	भारत का प्रतिस्पर्धा (सामान्य) संशोधन विनियम, 2011	08.11.2011

(ग) आर्थिक प्रभाग–'थिंक टैंक समूह'

बाजारों के कार्यकरण और समर्थकारी प्रतिस्पर्धा आधि जैसे जटिल मुद्दों को गहराई से समझने की दृष्टि से, एक थिंक टैंक समूह सीसीआई के आर्थिक प्रभाग द्वारा गठित किया गया है जिसमें शैक्षणिक और सरकार के प्रतिष्ठित विशेषज्ञ शामिल है। इसके शुरू होने से अब तक इसकी तीन बैठकें हो चुकी हैं तथा आवधारण पेपर तैयार करने एवं और आगे कार्रवाई करने के लिए रोड मैप निर्धारित करे हेतु प्रतियोगी विरोधी प्रैक्टिस में ट्रेड एसोसिएशनों की भूमिका प्रतिस्पर्धा कानून के अंतर्गत संगत बाजार की परिभाषा, मामलों के विश्लेषण के लिए डाटा बैंक की आवश्यकता और सीसीआई में अध्ययन आयोजित करना, ठेका सिद्धांत, निष्ठा डिस्काउंट आदि पर विचार–विमर्श किया गया।

(घ) प्रतिस्पर्धा समर्थन

प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 49(3) आयोग पर, प्रतिस्पर्धा समर्थन को बढ़ावा देने, प्रतिस्पर्धा मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा करने और प्रशिक्षण देने के लिए उपयुक्त उपाय करे की जिम्मेदारी डालता है। इस आदेश के अंतर्गत विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, उद्योग संघों, विनियामक संस्थाओं, सरकारी पदधारियों व्यापार संगठनों, उपभोक्ता संघों, विद्यार्थियों और आम जनता के साथ आयोग इंटरऐक्टिव बैठकें कार्यशालाएं और संगोष्ठियाँ आदि आयोजित करता है। वित्त वर्ष 2010–11 के दौरान तथा 31.12.2011 तक आयोग द्वारा निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किए गए/इनमें भाग लिया गया :–

- अंतर्राष्ट्रीय अध्ययन स्कूल, जेएनयू, नई दिल्ली में भारत में आईटी क्षेत्र को शासित करने वाली प्रतिस्पर्धा नीति पर राउंड टेबल।
- इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, मुम्बई में प्रितस्पर्धा व्यावसायिक मे अवसरों पर संगोष्ठी।
- बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, कोलकाता में प्रितस्पर्धा कानून और नीति पर कार्यशाला।
- श्री बाबुल रेड्डी फाउंडेशन, हैदराबाद में प्रतिस्पर्धा कानून प्रवर्तन पर संगोष्ठी।
- स्कोप कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली में प्रतिस्पर्धा के माध्यम से सार्वजनिक ख़रीद मूल्य प्राप्त पर सम्मेलन।

- फैडरेशन ऑफ आन्ध्र प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, हैदराबाद में प्रतिस्पर्धा कानून से संबंधित मुद्दे उभरती प्रवृतियों पर व्याख्यान।
- विशाखापतनम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री विशाखापतनम में प्रतिस्पर्धा कानून एक अवलोकन व्याख्यान।
- ऑल इंडिया इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट एसोसिएशन, मम्बई में भारतीय प्रतिस्पर्धा कानून एक अवलोकन पर व्याख्यान।
- फैडरेशन ऑफ गुजरात इंडस्ट्रीज, वड़ोदरा में भारत में प्रतिस्पर्धा कानून पर व्याख्यान।
- फिक्की ऑडिटोरियम, नई दिल्ली में भारतीय प्रतिस्पर्धा कानून और नीति एक अवलोकन पर व्याख्यान।
- मुम्बई में ड्राफ्ट काम्बिनेशन रेग्यूलेशन्स पर इंटरएक्टिव बैठक।
- एफएपीसीसीआई, हैदराबाद में ड्राफ्ट काम्बिनेशन रेग्यूलेशन्स पर इंटरएक्टिव बैठक।
- होटल ली–मेरीडिन, बंगलोर में ड्राफ्ट काम्बिनेशन रेग्यूलेशन्स पर इंटरएक्टिव बैठक।
- नई दिल्ली में पेट्रोलियम योजना और विश्लेषण सेल पर व्याख्यान।
- अहमदाबाद में उद्योग के साथ इंटरएक्टिव बैठक।
- आरबीआई, नई दिल्ली में प्रतिस्पर्धा कानून पर व्याख्यान।
- राजकोट, गुजरात में उपभोक्ता और प्रतिस्पर्धा कानून पर कान्फेरेन्स।
- राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर में धारा 3 को लागू करने में सीसीआई के अनुभव पर व्याख्यान।
- राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय, भोपाल में प्रतिस्पर्धा कानून और प्रतियोगी– विरोधी समझौते पर व्याख्यान।
- निरमा विश्वविद्यालय, अहमदाबाद में प्रतियोगी विरोधी समझौते पर व्याख्यान।
- वार्षिक समागम, उपभोक्ता समन्वय काउंसिल, चंडीगढ़ में उपभोक्ताओं को प्रतिस्पर्धा का लाभ पर व्याख्यान।
- लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी, मसूरी में प्रतिस्पर्धा कानून और शासन : सिविल सर्वेन्ट्स के लिए नया परिदृश्य पर व्याख्यान।
- होटल रॉयल प्लाजा, नई दिल्ली में पीएसई में ख़रीद और श्रमिक प्रबंधन पर कार्यशाला।
- इंडिया हैबिटेट सेन्टर, नई दिल्ली में प्रतिस्पर्धा कानून प्रणालीः उपभोक्ता को लाभ पहुंचाना पर राष्ट्रीय सम्मेलन।
- इसके अतिरिक्त विभिन्न स्टेकहोल्डरों के लिए प्रतिस्पर्धा मुद्दों पर हुए विभिन्न सेमिनारों/कार्यशालाओं में आयोग के सदस्यों/वरिष्ठ अधिकारियों ने भाषण भी दिए।

(ड.) इंटर्नशिप

विद्यार्थी समुदान के बीच इनकी क्षमता निर्माण कार्यक्रम के एक भाग के रूप में आयोग उन्हें इंटर्नशिप सुविधा प्रदान करता है। विभिन्न प्रतिस्पर्धा संबंधित मुद्दों पर आयोग के पास 25 विद्यार्थियों ने (2010–11 के दौरान तथा 29 विद्यार्थियों ने 31.12.2011 तक) इंटर्नशिप की।

(च) क्षमता निर्माण

(I) 1.4.2010 से 31.3.2011 तक

(क) इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम : सीधी भर्ती के तथा प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारियों के लिए 24–28 मई, 2010 तथा 9–11 अगस्त, 2010 तक दो इन हाउस ट्रेनिग इंडक्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किए गए। इनमें 44 अधिकारियों ने भाग लिया।

(ख) सीसीआई में निम्नलिखित कार्यशालाएं/सेमिनार आयोजित किए गए :–

- विलयन समीक्षा की प्रक्रिया : एक व्यावहारिक गाइड
- प्रभुत्व अन्वेषण का दुरुपयोग : योजना और संचालन
- हॉरिजेन्टल रिस्ट्रेन्ट अन्वेषण : योजना और संचालन
- विलयन अन्वेषण : योजना और संचालन
- प्रितस्पर्धा कानून : सिद्धांत समस्याएं और प्राप्त सबक

(ग) सीसीआई अधिकारियों ने निम्नलिखित विदेशी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लिया :

- ब्रुसेल्स में यूरोपियन आयोग द्वारा 'कार्टेल्स' पर एडवान्स प्रोफेशनल्स प्रोग्राम आयोजित किया गया।
- ओईसीडी कोरिया पालिसी सेन्टर द्वारा आयोजित 'प्रभुत्व मूल्य संबंधी दुरुपयोग' पर कार्यशाला।
- अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क (आईसीएन) द्वारा आयोजित कार्टेल पर कार्यशाला।
- ओईसीडी कोरिया पालिसी सेंटर द्वारा बैंकिंग क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा पर कार्यशाला।
- रोम में अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क (आईसीएन) और इटालियन प्रतिस्पर्धा प्राधिकारी द्वारा विलयन पर आयोजित कार्यशाला।
- ब्रुसेल्स में 'यनिलेटरल कंडक्ट' पर कार्यशाला।
- जाकार्ता में ताईवान फेयर ट्रेड कमीशन द्वारा आयोजित 'कार्टेल लागू करण और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग' पर सेमिनार।
- बुसन (साउथ कोरिया) ओईसीडी द्वारा आयोजित 'अन्वेषण तकनीकों' पर कार्यशाला।
- प्रत्यक्ष विलयन मामले की जानकारी और कार्यकरण का जानकारी प्राप्त करने के लिए सीसीआई के एक अधिकारी को 20 सितम्बर – 3 दिसम्बर, 2010 तक तीन मास की अवधि के लिए इंटर्नशिप लिए डबलिन में

कम्पीटीशन ऑथोरिटी ऑफ आयरलैंड को भेजा गया था।

- वाशिंगटन, यूएसए में यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल द्वारा कार्यशाला आयोजित की गई।

(II) 1.4.2011 से 31.12.2011 तक

(क) इंडक्शन प्रशिक्षण कार्यक्रमः 26 से 30 सितम्बर, 2011 तक इन हाउस इंडक्शन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया था जिसमें 8 अधिकारियों तथा 3 विशेषज्ञों ने भाग लिया।

(ख) सीसीआई में निम्नलिखित विषयों पर कार्यशालाएं/सेमिनार आयोजित किए गए थेः

- इंफेरिंग एग्रीमेंट पर यूनाइटेड स्टेट्स फैडरल ट्रेड कमीशन (यूएसएफटीसी) के सहयोग से कार्यशाला।
- विलयन समीक्षा आयोजित करने पर यूएसएफटी के सहयोग से कार्यशाला।
- विलयनः प्रारम्भिक अन्वेषण प्रक्रिया पर यूएसएफटीसी के सहयोग से कार्यशाला।
- सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय एवं योजना आयोग द्वारा विज्ञान भवन में राष्ट्रीय राजमार्गों में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर सम्मेलन।
- 19–21 सितम्बर, 2011 तक प्रभुत्व के कथित दुरुपयोग की जांच के लिए व्यावहारिक दक्षता पर यूएसएफटीसी से सहयोग से प्रशिक्षण जिसमें 8 अधिकारियों एवं 3 विशेषज्ञों ने भाग लिया।

ग) सीसीआई अधिकारियों ने ओईसीडी और ओईसीडी की निम्नलिखित विदेशी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लियाः

सीसीआई अधिकारियों ने ओईसीडी और ओईसीडी–कोरिया नीति केन्द्र की निम्नलिखित विदेशी प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लियाः

- 'प्रतिस्पर्धा विधि और विलयन फंडामेंटल्स' पर कार्यशाला।
- 'दूरसंचार क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा मुद्दों' पर कार्यशाला।
- डिसगुइस में 'वैध व्यापार प्रथाओं अथवा कार्टेल्स' पर कार्यशाला।
- 'प्रतिस्पर्धा मूल्यांकन और प्रतिस्पर्धा समर्थन' पर कार्यशाला।
- 'प्रभुत्व मूल सिद्धांतों के दुरुपयोग' पर कार्यशाला।
- 'विलयन कंट्रोल' यूएसए पर व्यावहारिक प्रदर्शन के लिए दो अधिकारी यूएस एफटीसी और यूएस डोज के साथ दो अधिकारियों की अल्पकालीन समबद्धता थी।
- ताइवान फेयर ट्रेड आयोग द्वारा हो–ची–मिन्ह सिटी में 30–31 अगस्त, 2011 को ''उच्च मुद्रा स्फीति के समय में प्रतिस्पर्धा प्राधिकारी की भूमिका'' विषय पर आयोजित क्षेत्रीय सेमिनार में दो अधिकारियों ने भाग लिया।
- कोरिया फेयर ट्रेड कमीशन द्वारा सियोल, कोरिया में 7–8 जुलाई, 2011 को आयोजित ''प्रतिस्पर्धा पर 5वां अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला'' में

एक अधिकारी ने भाग लिया।

(घ) अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

सीसीआई ने निम्नलिखित अर्न्तराष्ट्रीय सहयोग के सम्मेलनों/बैठकों में भाग लियाः

- अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नेटवर्क का वार्षिक सम्मेलन (आईसीएन), हेग, नीदरलैंड।
- ओईसीडी द्वारा आयोजित प्रतिस्पर्धा बैठक (प्रतिस्पर्धा समिति एवं कार्य पक्ष)।
- अंकटाड द्वारा मलेशियाई प्रतिस्पर्धा प्राधिकारी के लिए क्वालालम्पुर में आयोजित कार्यशाला।
- अंकटाड द्वारा जिनेवा में आयोजित प्रतिस्पर्धा विधि एवं नीति पर विशेषज्ञों का अंतर्सरकारी समूह (आईजीई), (11वां सत्र)।
- रूस के फेडरल एंटीमोनोपोली सर्विस द्वारा आयोजित प्रतिस्पर्धा दिवस एवं संबद्ध गतिविधियां।
- द्वितीय ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन, बीजिंग।
- प्रधानमंत्री के रूस दौरे के दौरान 16 दिसंबर, 2011 को मास्को में रूस के फेडरल एंटीमोनोपोली सर्विस के साथ सीसीआई ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

(ङ) भर्ती

वर्ष 2010–11 के दौरान, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग में 25 व्यावसायिक, 18 सहयोगी कर्मचारी एवं 4 विशेषज्ञ सीधी भर्ती/प्रितनियुक्ति आधार पर नियुक्त किए/रखे गए। इसके अतिरिक्त, 7 व्यावसायिक एवं 6 सहयोगी कर्मचारी भी महानिदेशक, सीसीआई के कार्यालय में प्रतिनियुक्ति आधार पर नियुक्त किए गए।

वर्ष 2011–12 में (30.12.2011 तक), आयोग की कर्मचारी संख्या में व्यावसायिक वर्ग में 7 अधिकारी, सहयोगी वर्ग में 7 अधिकारी एवं 13 विशेषज्ञ नियुक्त किए गए/लगाए गए।

महानिदेशक, सीसीआई के कार्यालय में 4 व्यावसायिक कर्मचारी एवं 3 विशेषज्ञ नियुक्त किए गए।

आयोग द्वारा बाकी रिक्तियों को सीधी भर्ती एवं प्रतिनियुक्ति आधार पर, कोटा के अनुसार अर्थात् विभिन्न ग्रेडों/पदों में से 35 रिक्तियां प्रतिनियुक्ति आधार पर एवं विभिन्न ग्रेडों/पदों में से 33 रिक्तियां सीधी भर्ती आधार पर, भरने हेतु नियुक्ति प्रक्रिया पुनः प्रारंभ की है।

यहां यह भी उद्धृत किया जा सकता है कि 4 अधिकारियों के महानिदेशक, सीसीआई के कार्यालय में योगदान करने की संभावना है; एवं महानिदेशक के कार्यालय में बाकी 20 रिक्तियों को प्रतिनियुक्ति आधार पर भरने हेतु परिपत्र जारी किए गए हैं।

(च) आयोग को आबंटित निधि

प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 51(1) के अनुरूप भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (आयोग निधि) खाता, बनाया गया है जिसमें भारत सरकार

से प्राप्त सभी अनुदान, शुल्क एवं ब्याज जमा किया जाता है। सभी व्यय इस निधि से निधि प्रशासन समिति (एफएसी), जिसमें आयोग के दो सदस्य शामिल है, के अनुमोदन से किए जाते हैं। वर्ष 2010–11 हेतु आयोग का खाता 'भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (वार्षिक लेखा विवरण का प्रपत्र) नियमावली, 2009' के अनुसार तैयार किया गया एवं नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक द्वारा इसे प्रमाणित किया गया है।

वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 (30.12.2011 तक) के लिए सीसीआई का बजट एवं वास्तविक व्यय निम्नलिखित तालिका (4.2) के अनुसार हैं:–

तालिका 4.2
सीसीआई का बजट एवं वास्तविक व्यय

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	बजट आकलन	संशोधित आकलन	मंत्रालय द्वारा जारी अनुदान	वास्तविक व्यय	अग्रेनीत शेष
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2010 –11	44.03	33.06	33.06	30.59	2.47
2011 –12	37.92		26.32	26.25 (दिसंबर, 2011 तक)	

महानिदेशक का कार्यालय

महानिदेशक, सीसीआई कार्यालय को प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के किसी उल्लंघन की जांच में आयोग की मदद करने का कार्य सौंपा गया है। आयोग को प्रस्तुत जांच प्रतिवेदनों पर कार्य निष्पादन निम्नलिखित तालिका (4.3) में दर्शाया गया हैं:

तालिका 4.3
वर्ष 2010–11 एवं 2011–12 (दिसंबर, 2011 तक) प्राप्त, निपटाए गए एवं लंबित मामलों की संख्या

क्र.सं.	विवरण	2010–11	2011–12 (दिसंबर, 2011 तक)
1.	वर्ष के शुरूआत में लंबित मामले	05	29
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त मामले	90	35
3.	मामलों की कुल संख्या	95	64
4.	निपटाए गए मामले	66	40
5.	वर्ष के अंत में लंबित मामले	29	24

2010–11 के दौरान 66 मामलों एवं 2011–12 (दिसंबर, 2011 तक) में 40 मामलों में गुणवत्ता जांच प्रतिवेदन जमा करना प्रमुख उपलब्धि रही एवं निपटान दर क्रमशः 69.47% एवं 64.51% रही।

इसके अतिरिक्त, महानिदेशक ने महत्वपूर्ण मामलों में विस्तृत आर्थिक एवं वित्तीय विश्लेषणों तथा समर्थन साक्ष्यों के साथ विस्तृत जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसे आयोग ने सही पाया तथा निम्नलिखित मामलों में सुधारात्मक आदेश जारी किए:

(i) पेपर ट्रेडर्स एशोसिएशन – बंद करने एवं रोकने का आदेश।

(ii) राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज – 55 करोड़ रुपए के अर्थदंड के साथ बंद करने एवं रोकने का आदेश।

(iii) फिल्म निर्माता एशोसिएसन – अर्थ दंड के बंद करने एवं रोकने का आदेश।

(iv) डीएलएफ लि. – 630 करोड़ रुपए के अर्थदंड के साथ बंद करने एवं रोकने का आदेश।

महानिदेशक का कार्यालय भारत में विभिन्न मंचों पर प्रतिस्पर्धा मामलों के संबंध में जागरूकता पैदा करने में भी सक्रिय रहा। 2010–11 एवं 2011–12 में महानिदेशक ने भारत एवं विदेश में प्रतिस्पर्धा एवं संबद्ध मुद्दों पर आयोजित कई सेमिनारों/कार्यशालाओं/सम्मेलनों को संबोधित किया एवं व्याख्यान दिए।

प्रतिस्पर्धा अपीलीय ट्रिब्यूनल

4.3.1. प्रतिस्पर्धा अपीलीय ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष माननीय डा. न्यायमूर्ति अरीजीत पसायत, सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश है एवं ट्रिब्यूनल के दो अन्य सदस्य है श्री राहुल सरीन, भूतपूर्व सचिव, भारत सरकार एवं श्रीमती परवीन त्रिपाठी, भूतपूर्व उप नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक।

प्रतिस्पर्धा अपीलीय ट्रिब्यूनल (कॉमपैट) के पास निम्नलिखित शक्तियां:

- प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 के तहत स्थापित भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा जारी किसी निर्देश या उसके किसी आदेश के विरूद्ध अपील सुनना एवं उसका निपटान करना।
- आयोग के निर्णयों या आयोग के निर्णय के विरूद्ध अपील में अपीलीय ट्रिब्यूनल के आदेशों से उत्पन्न किसी क्षतिपूर्ति के दावे का न्याय निर्णय करना एवं अधिनियम के तहत क्षतिपूर्ति की वसूली का आदेश जारी करना।

4.3.2. भारत सरकार ने तत्कालीन एमआरटीपी आयोग के भंग होने के पश्चात 14 अक्तूबर, 2009 के अध्यादेश द्वारा कॉमपैट को तत्कालीन एमआरटीपी आयोग में लंबित मामलों की सुनवाई एवं निपटान का अधिकार दिया। इस ट्रिब्यूनल को लगभग 1825 लंबित मामले अंतरित किए गए जिनमें से ट्रिब्यूनल ने दिसंबर, 2011 के अंत तक 1391 मामले निपटा दिए हैं। इस प्रकार, न्याय निर्णय एवं सुनवाई हेतु चल रहे मामलों की बैकलॉग संख्या 434 है।

4.3.3. इस ट्रिब्यूनल के गठन से लेकर अब तक भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के निर्णयों के विरूद्ध 48 अपील प्राप्त हुए है। इनमें से 32 अपील निपटाए गए हैं 16 अपीलों पर न्याय निर्णयन लंबित हैं।

4.3.4. इस ट्रिब्यूनल को नागरिक विमानन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 1 जून, 2010 से विमान पत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (एआरईए) के निर्णय के विरूद्ध दायर अपीलों की सुनवाई एवं निपटान हेतु विमान पत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अपीलीय ट्रिब्यूनल का अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा गया है। विमान पत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अपीलीय ट्रिब्यूनल का गठन भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 (1994 का 55) की धारा 17 के तहत किया गया है। दिसंबर, 2011 के अंत तक विमान पत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण के निर्णय के विरूद्ध 19 अपील दायर किए गए। इनमें से 11 अपीलों को अंतिम रूप से निपटाया गया। इस प्रकार अब तक 8 अपील न्याय निर्णयन हेतु लंबित है।

राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नीति

4.4.1. कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नीति बनाने एवं संबद्ध मुद्दों पर श्री धनेन्द्र कुमार, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के पूर्व अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी। समिति के अन्य सदस्य हैं श्री सुधीर मित्तल, अपर सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय, श्री प्रदीप मेहता, सीयूटीएस, श्रीमती पल्लवी श्राफ, अधिवक्ता। श्री मानस कुमार चौधरी, श्री जी. आर. भाटिया, श्री आनंद पाठक विशेषज्ञ के रूप में समिति को सहयोग प्रदान कर रहे हैं। श्री नवनीत शर्मा, निदेशक, सीआईआरसी भी तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में समिति की सहायता कर रहे है।

4.4.2. समिति का गठन आर्थिक विकास, उद्यमशीलता, नियोजन के उच्चतम स्तर को प्राप्त करने, नागरिकों के लिए उच्चतम जीवन स्तर प्राप्त करने, न्यायोचित, समान, समावेशी एवं सुस्थायी आर्थिक एवं सामाजिक विकास हेतु आर्थिक अधिकारों की सुरक्षा करने, आर्थिक लोकतंत्र का संवर्धन करने एवं रेंट सीकिंग प्रेक्टिसेज को रोक कर अच्छे शासन को समर्थन प्रदान करने के लिए किया गया था।

4.4.3. प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 यह उपबंध करता है कि प्रतिस्पर्धा नीति बनाते समय सरकार ऐसी नीति का प्रतिस्पर्धा पर संभावित प्रभावों पर आयोग का विचार जानने के लिए अधिनियम की धारा 49(1) के तहत आयोग से सलाह करेगी और उसके पश्चात उचित कार्यवाही करेगी। इसके अतिरिक्त, सरकार ने वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति के समक्ष राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नीति लाने का वचन दिया था। समिति ने सरकार के समक्ष प्रारूप नीति प्रस्तुत की थी। मंत्रालय ने लोगों की राय जानने के लिए इस प्रारूप को अपनी वेबसाइट पर डाला था एवं सीसीआई से भी सलाह–मशविरा किया था। मंत्रालय ने अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय उसे सीसीआई की टिप्पणियों सहित, समिति के विचारार्थ प्रस्तुत की थी। समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है। समिति की अनुशंसाओं पर राज्य सरकारों सहित, सभी अंशधारकों से आमंत्रित सुझावों की अभी भी प्रतीक्षा की जा रही है।

4.4.4. समिति द्वारा प्रस्तावित नीति की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

प्रस्तावित राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नीति की प्रमुख विशेषताएं

- अर्थव्यवस्था में कौशल संवर्धन, ग्राहक के हितों की सुरक्षा एवं अधिकतम सामाजिक कल्याण हेतु, स्फीतीय दबावों को कम करने, समावेशी विकास की गति बढ़ाने, उद्यिमयों के विकास एवं नए रोजगार अवसरों तथा अवसंरचना को मजबूत करने की दृष्टि से बाजार में प्रतिस्पर्धा को सरल करने के लिए अन्य नीतियों के समर्थन में नीतियों एवं विनियमों के फ्रेमवर्क का निर्माण;
- जहां प्रतिस्पर्धा विरोधी परिणाम प्राप्त हो वहां सुधार हेतु सभी वर्तमान एवं नए अधिनियमों/विनियमों/नीतियों की समीक्षा करना एवं सक्रिय रूप से प्रतिस्पर्धा सिद्धांतों का संवर्धन करना;
- सरकार के नीति निर्माण, प्रचालन एवं विनियामक पक्षों के बीच अलग–अलग संस्थागत सुविधाएं उपलब्ध कराना;
- निष्पक्ष बाजार विनियम प्रक्रियाएं उपलब्ध कराना चाहे वह सार्वजनिक प्राधिकारियों द्वारा हो या विनियामक निकायों या स्वतः विनियामक तंत्रों द्वारा;
- 'लेवल प्लेइंग फील्ड' की स्थापना हेतु पप्रितस्पर्धा निष्पक्षताप् उपलब्ध कराना;
- निष्पक्ष मूल्यांकन एवं समावेशी व्यवहार, विशेषकर सार्वजनिक उपयोग हेतु, उपलब्ध कराना;
- उन 'आवश्यक सुविधाओं' तक तृतीय पक्ष को पहुंच उपलब्ध कराना जिनमें आपसी सहमति से, उचित एवं निष्पक्ष निबंधनों एवं शर्तों तथा प्रतिस्पर्धा सिद्धांतों के साथ आवश्यक अवसंरचना एवं प्लेटफार्मों तक तृतीय पक्ष को पहुंच हेतु प्रधान अवसंरचना एवं बौद्धिक संपदा अधिकार स्वामियों की अनुमति अपेक्षित हो;
- बाजार में प्रतिस्पर्धा संवर्धन की दिशा में कार्य करने हेतु सार्वजनिक नीतियां एवं कार्यक्रम उपलब्ध कराना;
- प्रतिस्पर्धा नीति प्रवर्तन एवं प्रसार के क्षेत्र में राष्ट्रीय, क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहन देना;
- प्रतिस्पर्धा की देख–रेख के लिए तंत्र हेतु राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नीति परिषद् की स्थापना।

अध्याय – V
सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 और इसका कार्य निष्पादन

5.1 भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के साथ इसके उद्यिमयों एवं तकनीकी तथा व्यवसायिक व्यक्तियों की भूमिका को पूरे विश्व में मान्यता मिली है। यह समय की मांग है कि उद्यमशीलता, ज्ञान एवं जोखिम पूंजी मिलकर भारत के आर्थिक विकास को और अधिक आगे ले जाने में मदद करें।

5.2 भारत में लगभग 95% औद्योगिक ईकाइयां छोटे एवं मध्यम उद्यम (एसएमई) हैं। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा कराए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार इन लघु एवं मध्यम उद्यमों में से 90% मालिकाना रूप में पंजीकृत है, लगभग 2–3% भागीदारी के रूप में एवं 2% से कम कंपनी के रूप में पंजीकृत है। एसएमई के मध्य कारपोरेट रूपए बहुत अधिक प्रचलित नहीं है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा संकलित आंकड़ों के विश्लेषण से यह पता लगता है कि कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत उच्च अनुपालन लागत छोटी एवं मध्यम उद्यमों को कारपोरेट रूप अपनाने में हतोत्साहित करता है। किन्तु मालिकाना या भागीदारी फर्म की कार्यप्रणाली अत्यधिक अस्पष्ट होती है जिससे बैंकों को उनकी साख का आकलन करना कठिन होता है और इसीलिए एसएमई क्षेत्र कारपोरेट निकायों की तुलना में बैंक एवं अन्य वित्तीय संस्थानों से ऋण एवं साख सुविधाएं प्राप्त करने में तुलनात्मक रूप से हानिकर स्थिति में होते है।

5.3 इस परिप्रेक्ष्य में यह महसूस किया गया कि लचीले, नवाचारी एवं कुशल तरीके से संयोजित, संगठित करने एवं प्रचालन हेतु व्यावसायिक विशेषज्ञता एवं उद्यिमता पहल को समर्थ करने हेतु एक ओर असीमित व्यक्तिगत देयता एवं दूसरी ओर सीमित देयता कंपनी को संविधि आधारित शासन संरचना के साथ पारंपरिक भागीदारी से एक विकल्प उपलब्ध कराने हेतु नया कारपोरेट रूप उपलब्ध कराया जाए। वैश्विक स्तर पर, विशेषकर इंग्लैंड, अमेरिका, आस्ट्रेलिया, सिंगापुर आदि देशों में सीमित देयता भागीदारियां (एलएलपी) विशेषकर सेवा उद्योग या व्यावसायिक गतिविधियों के लिए अधिमान्य साधन है।

5.4 अतः सरकार ने वैश्विक प्रतिस्पर्धा से मुकाबला करने हेतु उद्यिमयों, सेवा प्रदाताओं एवं व्यावसायिकों के लिए सरल वातावरण बनाने हेतु व्यावसायिक संगठन के सीमित देयता भागीदारी रूप को अनुमति दी है। संसद ने सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 पारित किया जिसे 09.01.2009 को अधिसूचित किया गया और यह 31.03.2009 को प्रवृत्त हुआ। समर्थकारी नियम 01.04.2009 को अधिसूचित हुए एवं प्रथम एलएलपी 02.04.2009 को पंजीकृत हुआ।

5.5 एलएलपी एक वैकल्पिक कारपोरेट

व्यवसाय साधन है जो व्यावसायिक विशेषज्ञता एवं उद्यिमता पहल को लचीले, नवाचारी एवं कुशल तरीके से संयोजन एवं प्रचालन में समर्थ करता है जिससे सीमित देयता के लाभ प्राप्त होते है साथ ही समझौते पर आधारित भागीदारी की आंतरिक संरचना संगठित करने हेतु इसके सदस्यों को लचीलापन मिलता है। यह व्यवसाय इकाई का वह रूप है जो व्यक्तिगत भागीदारों को भागीदारी फर्म में भागीदारों के संयुक्त एवं कई देयताओं से सुरक्षा प्रदान करता है। व्यवसाय के सामान्य स्थिति में भागीदारों की देयता भागीदारों की व्यक्तिगत संपत्तियों तक नहीं होती। भागीदार अपने नाम से किसी संविदा में शामिल होने या संपत्ति रखने में समर्थ होता है। एलएलपी सीमित देयता के साथ अधिक आसानी से अनुपालन मानकों का पालन कर पाता है। एलएलपी की कारपोरेट संरचना एवं सांविधिक प्रकटीकरण अपेक्षाएं बाजार में उन्हें बेहतर साख दिलाती हैं। सिर्फ उन्हीं एलएलपी को अपने लेखों की लेखापरीक्षा करवानी होती है जिनका टर्नओवर 40 लाख रुपए से अधिक एवं योगदान 25 लाख रुपए से अधिक हो, इससे अधिक लचीलापन प्राप्त होता है। व्यवसाय के एलएलपी रूप प्रारंभ होने से उद्यमशीलता को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है विशेषकर सूचना प्रौद्योगिकी एवं बॉयो टेक्नोलॉजी क्षेत्रों जैसे उद्योगों में तथा अन्य सेवा प्रदाताओं एवं व्यावसायिकों के लिए।

5.6 सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 के तहत कोई भी दो या अधिक व्यक्ति निगमन दस्तावेज में नाम डालकर एवं रजिस्ट्रार के पास फाइलिंग करके एलएलपी बना सकता हैं। निष्पक्ष व्यक्ति एवं कारपोरेट निकाय, भारतीय या विदेशी, एलएलपी में भागीदार हो सकते हैं। उनमें से कम–से–कम दो ''पदनामित भागीदार'' होने चाहिए और न्यूनतम एक व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। कोई कारपोरेट निकाय भी पदनामित भागीदार हो सकता है और ऐसी स्थिति में कारपोरेट निकाय द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति पदनामित भागीदार के रूप में कार्य करेगा। एलएलपी को कारपोरेट निकाय का स्टेटस प्राप्त है और इसे अपने सदस्यों से अलग विधिक मान्यता प्राप्त होगी और इसमें लगातार उत्तरिधकार होगा। भागीदारों में परिवर्तन से अप्रभावित होते हुए एलएलपी अपना अस्तित्व बनाए रखता है। एलएलपी अपनी पूरी संपत्ति के लिए उत्तरदायी होता है, एलएलपी के भागीदारों का उत्तरदियत्व एलएलपी में उनके सहमत योगदान तक सीमित होगा। कोई भागीदार दूसरे भागीदारों के स्वतंत्र और अप्राधिकृत कार्यों के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

5.7 एलएलपी के भागीदारों के पारस्परिक अधिकार एवं कर्तव्य तथा एलएलपी एवं इसके भागीदारों के अधिकार तथा कर्तव्य एलएलपी अधिनियम, 2008 के अधीन भागीदारों या एलएलपी और भागीदारों के मध्य सहमति से शासित होगा। एलएलपी में शेयरहोल्डर या निदेशक नहीं होते है और इस पर भागीदार फर्म की तरह से ही कर लगाया जाता है।

5.8 एलएलपी में भागीदार के आर्थिक अधिकार (अर्थात् एलएलपी के लाभ और हानि में हिस्सा पाने का अधिकार और बंद होने के समय वितरण में हिस्सा) हस्तांतरणीय होते है। तथापि, ऐसा हस्तांतरण प्राप्त करने वाले और देने

वाले को एलएलपी की गतिविधियों के प्रबंधन या संचालन का अधिकार नहीं देता है। अतः, अंतरण प्राप्त करने वाले को मात्र इस वजह से कि अंतरण ाकर्ता ने अपने ''आर्थिक अधिकार'' उसे अंतरित किए हैं, भागीदार नहीं माना जाएगा।

5.9 चूंकि इसमें भागीदार नवाचारी एवं कुशल तरीके से संगठित होकर संचालन कर सकते है। अतः, व्यवसाय के इस तरीके से कंपनी सचिवों, चार्टर्ड अकाउंटेंटों, लागत लेखाकारों एवं अधिवक्ताओं को वैश्विक बाजार में प्रभावी रूप से प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता मिलने की उम्मीद है। परिवर्तनशील आर्थिक परिवेश के अनुसार व्यावसायिक बहु–अनुशासनात्मक एलएलपी भी गठित कर सकते है। भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 एलएलपी पर लागू नहीं होता है और पारंपरिक एलएलपी जिसमें भागीदारों की अधिकतम संख्या 20 हो सकती है, के विपरीत एलएलपी में भागीदारों की कोई अधिकतम सीमा नहीं है। एलएलपी को लेखाबहियों, वार्षिक वित्तीय विवरण और ऋणशोध क्षमता विवरण रखना होगा ताकि प्रतिवर्ष उसे रजिस्ट्रार के पास दर्ज किया जा सके। एलएलपी को स्वेच्छा से या राष्ट्रीय कंपनी विधि ट्रिब्यूनल के आदेश से बंद किया जा सकता है।

5.10 पारदर्शिता की संस्कृति लाने के उद्देश्य से, निगमन दस्तावेज, भागीदारों के नाम एवं उसमें कोई परिवर्तन, लेखाओं एवं ऋणशोध क्षमता का विवरण एवं वार्षिक विवरण किसी भी व्यक्ति द्वारा विहित शुल्क की अदायगी पर देखे जा सकते है। केन्द्र सरकार के पास यह शक्ति है कि वह यदि आवश्यक हो तो निरीक्षक नियुक्त कर किसी एलएलपी की जांच करें।

5.11 किसी फर्म, निजी कंपनी या असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी को अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप एलएलपी में परिवर्तित किया जा सकता है। कारपोरेट कार्यों जैसे विलय, समामेलन आदि के लिए भी प्रावधान किए गए हैं।

5.12 एलएलपी अधिनियम, 2008 विदेशी कंपनियों एवं एलएलपी सहित विदेशी नागरिकों को भी भारत में एलएलपी का निगमन करने की अनुमति प्रदान करता है, बशर्ते न्यूनतम एक पदनामित भागीदार भारत का नागरिक हो और एलएलपी विदेशी मुद्रा विधि/नियमों/विनियमों/मार्ग–निर्देशों का पालन करता हो। भागीदार का योगदान मूर्त और/या अमूर्त संपत्तियों और एलएलपी को किसी अन्य लाभ के रूप में हो सकता है। प्रत्येक भागीदार के योगदान का मौद्रिक मूल्य सीमित देयता भागीदारी की जवाबदेही होगी और लेखाओं में प्रकट किया जाएगा।

5.13 मई, 2011 से सरकार ने सीमित देयता भागीदारी में अंश शोधित तरीके से सीधे विदेशी निवेश की अनुमति दी है। यह प्रारंभ में प्राधिकृत वितरक/बैंक द्वारा सरकारी रास्ते अर्थात् विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड के माध्यम से एवं नकद आगम द्वारा किया जा सकता है अर्थात् अनिवासी (बाह्य) रुपए खाता योजना {एनआरई} एवं विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता (बैंक) योजना {एनसीएनआर (बी)}। एलएलपी में सरकारी अनुमोदन द्वारा उन्हीं क्षेत्रों/गतिविधियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति होगी जहां स्वाचालित तरीके से कंपनियों में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है एवं

जहां प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से जुड़ी कोई निष्पादन शर्त नहीं है।

5.14 किन्तु कृषि/पौध रोपण क्षेत्र, प्रिंट मीडिया या स्थावर संपदा व्यवसाय के क्षेत्र में एलएलपी में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति नहीं होगी। एफडीआई वाले एलएलपी को निचले स्तर पर निवेश हेतु अर्हता नहीं होगी। इसके अतिरिक्त, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) एवं विदेशी जोखिम पूंजी निवेशक (एफवीसीआई) को एलएलपी में निवेश की अनुमति नहीं होगी। साथ ही, एलएलपी को बाह्य वाणिज्यिक उधार (ईसीबी) लेने की अनुमति भी नहीं होगी।

5.15 सीमित देयता भागीदारी पंजीयक, दिल्ली स्थित केन्द्रीय रजिस्ट्री, एलएलपी अधिनियम के तहत रजिस्ट्रार का कार्य कर रहा है। एलएलपी का शासन कारपोरेट कार्य मंत्रालय के वेबसाइट पर उपलब्ध मॉडल पर आधारित इलेक्ट्रॉनिक मोड में होता है।

5.16 दिनांक 31.12.2011 को देश में कुल 7487 एलएलपी कार्यरत थे। इनमें से 6843 एलएलपी के रूप में पंजीकृत नई ईकाइयां थी; 556 कंपनियां एवं 88 भागीदारी फर्म थे जिन्होंने एलएलपी में संपरिवर्तन किया था। 01.04.2011 से 31.12.2011 की अवधि के दौरान 295 कंपनियों एवं 45 भागीदारी फर्मों के एलएलपी में संपरिवर्तन सहित कुल 3172 एलएलपी पंजीकृत हुए। वर्ष 2009–10, 2010–11 एवं 2011–12 (अप्रैल–दिसंबर, 2011) के दौरान निगमन की प्रकृति के अनुसार (एलएलपी के रूप में पंजीकृत नई ईकाइयां या वर्तमान कंपनी या भागीदारी/मालिकानापन से संपरिवर्तित एलएलपी) पंजीकृत एलएलपी का वितरण चार्ट 5.1 में दर्शाया गया हैं।

चार्ट 5.1:

उत्पित्त के अनुसार पंजीकृत एलएलपी की संख्या

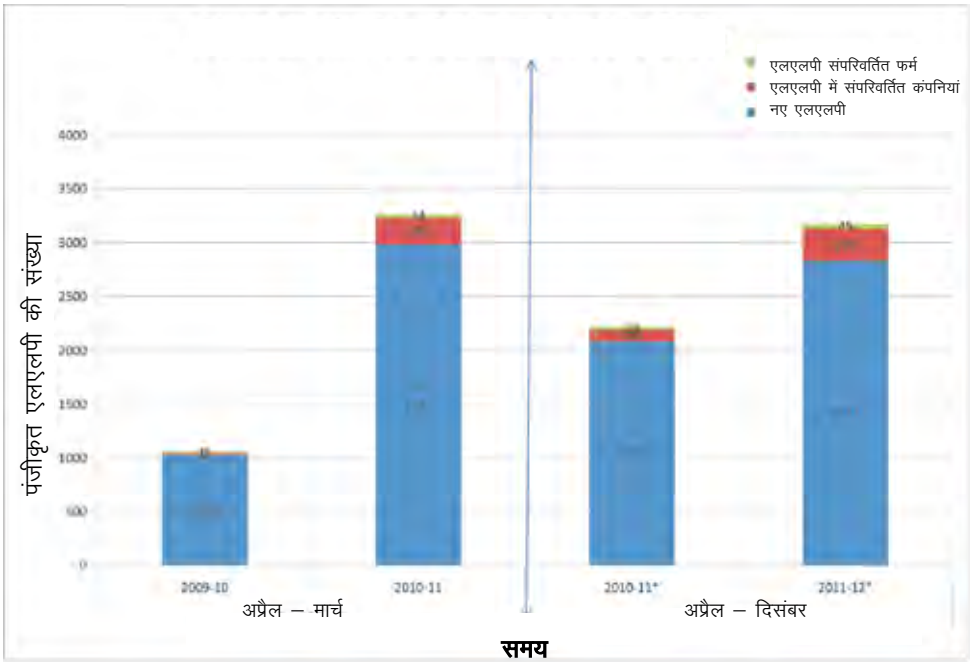

5.17 प्रमुख उद्योग समूह के अनुसार 31.12.2011 को एलएलपी का आर्थिक गतिविधि–वार वितरण चार्ट 5.2 में दर्शाया गया है। यह पाया गया है कि वित्त एवं बीमा में मात्र 2.6% एलएलपी सहित 56% एलएलपी वित्त, बीमा, स्थावर संपदा एवं व्यवसाय सेवा क्षेत्र में पंजीकृत हुए। अकेले व्यवसाय सेवा क्षेत्र (विधिक एवं व्यावसायिक सेवाएं, अनुसंधान एवं विकास आदि सहित) का हिस्सा 43% से अधिक रहा। इन गतिविधियों हेतु एलएलपी की व्यवसाय संरचना की उपयुक्तता के मद्देनजर ऐसा होना स्वाभाविक है। यह रोचक है कि स्थावर संपदा क्षेत्र में 10% एलएलपी पंजीकृत हुए।

5.18 अन्य प्रमुख समूहों में 37% एलएलपी पंजीकृत हुए। ये क्षेत्र हैं व्यापार, होटल, परिवहन एवं संचार (13%),विनिर्माण (10%), निर्माण (10%) एवं सामुदायिक, सामाजिक एवं व्यक्तिगत सेवाएं (8%)। बाकी औद्योगिक समूह नामतः विद्युत, गैस एवं जल आपूर्ति, कृषि, वानिकी एवं मत्स्य तथा खनन में मात्र 3% एलएलपी पंजीकृत हुए जिसका यह अर्थ है कि इन उद्योग समूहों हेतु एलएलपी व्यवसाय का आकर्षक तरीका नहीं है।

चार्ट 5.2:
31.12.2011 को प्रमुख उद्योग समूह–वार (शीर्ष 5) एलएलपी का वितरण

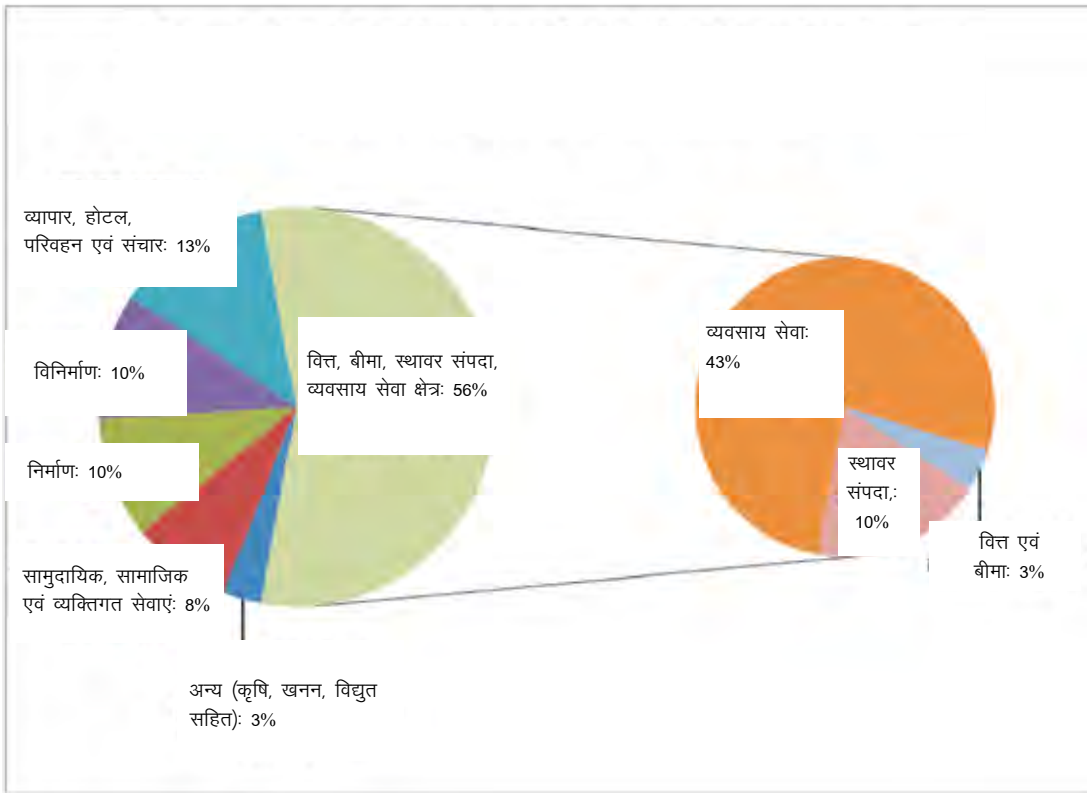

5.19 एलएलपी का राज्य–वार वितरण दर्शाता है कि एलएलपी पांच राज्यों में केन्द्रित हैं। ये राज्य हैं महाराष्ट्र (40%), कर्नाटक (13%), दिल्ली (13%), गुजरात (5%) एवं तमिलनाडु (5%)। चार्ट 5.3 में भारतीय राज्यों में एलएलपी का वितरण दर्शाया गया हैं:

चार्ट 5.3:
दिनांक 31.12.2011 को एलएलपी कंपनियों का राज्य–वार

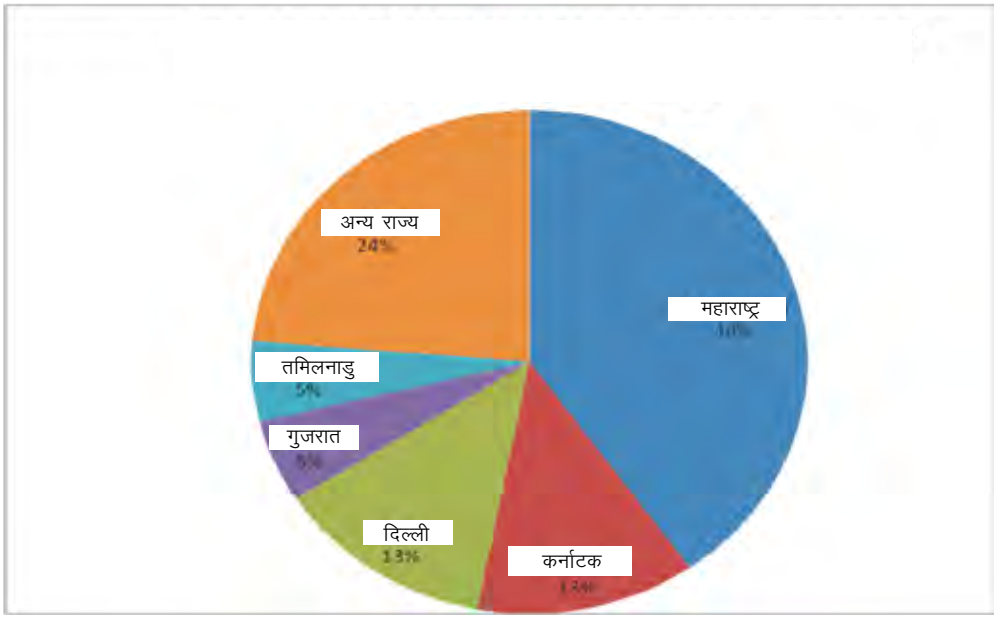

5.20 वर्ष 2009–10, 2010–11 एवं 2011–12 (दिसंबर, 2011 तक) के दौरान निगमित एलएलपी का वर्ष–वार एवं राज्य–वार वितरण विवरण 5.1 में दिया गया है।

विवरण 5.1: पंजीकृत एलएलपी की राज्य–वार संख्या

राज्य	31.12.2011 की स्थिति	वर्ष 2010–11 के दौरान	1.4.2011–31.12.2011 की अवधि के दौरान
(1)	(2)	(3)	(4)
अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	2	2	0
आंध्र प्रदेश	299	121	122
असम	39	26	11
बिहार	46	23	19
चण्डीगढ़	22	7	10
छत्तीसगढ़	53	26	19
दमन एवं दीव	1	1	0
दिल्ली	961	346	421
गोवा	36	23	11
गुजरात	398	204	147
हरियाणा	220	93	91
हिमाचल प्रदेश	13	4	8
जम्मू एवं कश्मीर	5	4	1
झारखंड	21	12	4
कर्नाटक	961	376	392
केरल	273	128	108
मध्य प्रदेश	41	13	20
महाराष्ट्र	3010	1395	1341
मणिपुर	4	0	2
मेघालय	4	4	0
मिजोरम	1	1	0
उड़ीसा	26	8	13
पुदुचेरी	5	0	4
पंजाब	45	22	20
राजस्थान	121	48	48
तमिलनाडु	385	182	123
त्रिपुरा	2	2	0
उत्तर प्रदेश	180	63	90
उत्तराखंड	16	6	6
पश्चिम बंगाल	297	121	141
योग	**7487**	**3261**	**3172**

अध्याय – VI
संबद्ध विधान

चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949

6.1.1. चार्टर्ड अकाउंटेंट के व्यवसाय को नियंत्रित करने तथा उक्त उद्देश्य से एक संस्थान स्थापित करने के लिए 1949 में चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम पारित किया गया था। तदनुसार, इसी उद्देश्य के लिए अधिनियम के उपबंधों के अनुसार भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान की स्थापना जुलाई, 1949 में की गई।

6.1.2. भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान का मुख्य उद्देश्य, सदस्यता के लिए योग्यताएं निर्धारित करना, परीक्षा लेने और नामांकन के लिए अभ्यर्थियों को व्यवहारिक प्रशिक्षण देना, व्यवसाय की प्रेक्टिस के लिए अर्हता प्राप्त सदस्यों के रजिस्टर का रखरखाव तथा प्रकाशन की व्यवस्था करना, व्यवसाय के विकास के लिए गतिविधियां जारी रखना और सदस्यों की व्यावसायिक अर्हताओं के स्तर एवं मानक का विनियमन एवं अनुरक्षण करना है। संस्थान संपूर्ण देश में परीक्षा आयोजित करता है, डाक/मौखिक शिक्षण मुहैया कराता है और व्यावहारिक प्रशिक्षण की व्यवस्था करता है ताकि विद्यार्थी इस व्यवसाय के लिए योग्य हो सके।

6.1.3. संस्थान के कार्यकलापों का प्रबंधन इसकी परिषद द्वारा किया जाता है जो इसे चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम के अंतर्गत सौंपे गए कार्यों का निपटान करती है। परिषद में संस्थान के सदस्यों द्वारा चुने गए 24 से अनधिक व्यक्ति होते हैं और 6 व्यक्तियों को केन्द्र सरकार द्वारा मनोनीत किया जाता है।

लागत और संकर्म लेखाकार अधिनियम, 1959

6.2.1. लागत एवं संकर्म लेखा के व्यवसाय को विनियमित करने और उक्त उद्देश्य हेतु लागत और संकर्म लेखाकार संस्थान स्थापित करने के लिए 1959 में लागत और संकर्म लेखाकार अधिनियम अधिनियमित किया गया था। इस नियम में उपबंधों के अनुसार भारतीय लागत और संकर्म लेखाकार संस्थान मई, 1959 में स्थापित किया गया था।

6.2.2. लागत और संकर्म लेखाकार अधिनियम, 1959 के अंतर्गत अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी भारतीय लागत एवं संकर्म लेखाकार संस्थान की परिषद को सौंपी गयी है जो अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत गठित की गई है। परिषद के संगठन में संस्थान के सदस्यों द्वारा चुने गए 12 और केन्द्र सरकार द्वारा मनोनीत 4 से अनधिक व्यक्ति शामिल होते हैं। तदनुसार, केन्द्र सरकार ने संस्थान की परिषद में 4 व्यक्तियों को नामित किया है।

कंपनी सचिव अधिनियम, 1980

6.3.1. कंपनी सचिव अधिनियम, कंपनी सचिव के व्यवसाय को विनियमित तथा विकसित करने और उक्त उद्देश्य से भारतीय कंपनी सचिव संस्थान को स्थापित करने के लिए 1980 में बनाया गया था। भारतीय कंपनी सचिव संस्थान की स्थापना जनवरी, 1981 में की गई थी।

6.3.2. कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 के अंतर्गत अधिनियम के उपबंधों को लागू करने का कार्य भारतीय कंपनी सचिव संस्थान की परिषद, जिसका गठन अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत किया गया था, में निहित है। परिषद में संस्थान के सदस्यों द्वारा चुने गए 12 व्यक्ति से कम नहीं तथा केन्द्र सरकार द्वारा नामित 4 से अनधिक व्यक्ति होते हैं।

व्यावसायिक सेवाएं

6.4.1. भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (आईसीएई), भारतीय लागत एवं संकर्म लेखा संस्थान (आईसीडब्ल्यूएआई) तथा भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) के सदस्यों द्वारा व्यावसायिक सेवाएं मुहैया कराई जाती हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस बदलते आर्थिक वातावरण में व्यवसायी अपना कार्य लगन से करते हैं, और उपलब्ध नए अवसरों का लाभ उठाने में सक्षम हैं, संसद ने चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2006, लागत एवं संकर्म लेखाकार संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2006 पारित किया।

6.4.2. भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट अधि ानियम, लागत एवं संकर्म लेखाकार अधिनियम, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के उपबंधों के अनुरूप तीनों संस्थानों के विनियमों में संशोधन प्रस्तावित है एवं अभी विधि एवं न्याय मंत्रालय के विचाराधीन है। भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान के अनुशासनात्मक तंत्र की पुनरीक्षा की जा रही है और इस उद्देश्य से एक समिति गठित की गई है।

6.4.3. तीनों संस्थानों के सदस्यों को एलएलपी अधिनियम के अनुसार सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) फर्म बनाने की अनुमति देने एवं भारतीय लागत एवं संकर्म लेखाकार संस्थान का नाम बदलकर भारतीय लागत लेखाकार संस्थान करने हेतु चार्टर्ड अकाउंटेंट (संशोधन) विधेयक, 2011, लागत एवं संकर्म लेखाकार (संशोधन) विधेयक, 2011 एवं कंपनी सचिव (संशोधन) विधेयक, 2011 संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया है और राष्ट्रपति के अनुमोदन के उपरांत इन्हें भारत के राजपत्र में अधिसूचित किया गया है। ये संशोधित विधेयक 1.2.2012 से प्रभावी हो गए है।

सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860

6.5. सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 में अधिनियमित हुआ जो साहित्यिक, वैज्ञानिक और धर्मार्थ सोसायटियों के पंजीकरण की व्यवस्था करता है, जिससे ऐसी सोसायटियों के वैधानिक स्तर को सुधारा जा सके। इस अधिनियम में साहित्य, विज्ञान, या ललितकला या उपयोगी ज्ञान के प्रसार या धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए स्थापित

सोसायटियों को अपने संस्थान के संगम ज्ञापन को अधिनियम में निर्दिष्ट अधिकारियों को प्रस्तुत करके पंजीकरण करवाना अपेक्षित है। अधिकतर राज्यों ने सोसायटी पंजीकरण अधिनियम में संशोधन कर लिए हैं। इन संशोधनों में सोसाइटियों का पंजीकरण सोसाइटी रजिस्ट्रार या इस उद्देश्य हेतु संबंधित राज्य द्वारा नियुक्त अन्य अधिकारियों का समक्ष होना भी शामिल है।

भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932

6.6. भारतीय भागीदारी अधिनियम, भागीदारों से संबंधित विधि को परिभाषित और संशोधित करने के उद्देश्य से 1932 में अधिनियमित किया गया था और इसमें भागीदारी की प्रकृति, भागीदारों के एक–दूसरे के साथ तथा अन्य पक्ष के साथ आपसी संबंध भी शामिल हैं। अधिनियम में इस उद्देश्य के लिए राज्य सरकारों द्वारा नियुक्त किए गए रजिस्ट्रारों के पास फर्मों के पंजीकरण का भी प्रावधान है। इस अधिनियम में आयकर उद्देश्यों हेतु फर्मों का पंजीकरण संबंधित आयकर अधिकारियों के पास होने के संबंध में अलग से उपबंध हैं।

कंपनी (राष्ट्रीय निधि में दान) अधिनियम, 1951

6.7. कंपनी (राष्ट्रीय निधि में दान) अधिनियम, 1951 में अधिनियमित किया गया था। कंपनी अधिनियम या अन्य विधि में विनिर्दिष्ट किसी बात के या कंपनी के संगम ज्ञापन या संगम अनुच्छेद में विनिर्दिष्ट किसी बात के होते हुए भी अधिनियम के तहत कोई कंपनी सरकार द्वारा यथा अनुमोदित धर्मार्थ उद्देश्य के लिए स्थापित किसी अन्य निधि में दान कर सकती है। केन्द्र सरकार ने गांधी राष्ट्रीय स्मारक निधि और सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय स्मारक निधि को दान प्राप्त करने के लिए पात्र निधि अनुमीदित किया है।

अध्याय – VII
परस्पर क्रियाशील एवं उत्तरदायी प्रशासन की ओर

7.1.1 अपने मुख्यालय तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में एक उत्तरदायी, पारदर्शी तथा गतिशील वातावरण उपलब्ध कराने के अपने प्रयास में कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने कई परिवर्तनकारी कदम उठाए है तथा तंत्र स्थापित किए हैं। जिससे सेवा अदायगी में गति आई है।

मंत्रालय की वेबसाइट

7.1.2 मंत्रालय का पोर्टल www.mca.gov.in जिसे चालू वर्ष में पूर्णतः नए सिरे से तैयार किया गया है, मंत्रालय की गतिविधियों एवं कार्यक्रमों से संबंधित प्रमाणिक सूचनाएं उपलब्ध कराता है। सूचनाकारी होने के साथ–साथ यह एमसीए सेवाओं से संबंधित सभी रजिस्ट्री उपलब्ध कराने हेतु वर्चुअल फ्रंट ऑफिस के रूप में भी कार्य करता है। उचित टिप्पणियों सहित वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ नीचे दिया गया है।

7.1.3 एमसीए–21 पोर्टल पर जाकर अपेक्षित सेवाएं जैसे डिजिटल हस्ताक्षर, ई–फाइलिंग, डीआईएन आदि का चयन किया जा सकता है। एमसीए–21 पोर्टल के दाएं भाग में ई–फार्म डाउनलोड करने, अंतरण/अदायगी स्थिति ट्रैक करने, सार्वजनिक दस्तावेज देखने, निवेशक शिकायतें, विनियामक सेवाएं आदि की सुविधा दी गई है।

7.1.4 वेबसाइट के कुछ प्रमुख विषय वस्तु निम्नलिखित हैं:

- मंत्रालय के अधिकारियों एवं इसके क्षेत्रीय कार्यालयों से संबंधित सूचनाएं 'हमारे बारे में' शीर्ष में दिया गया है।
- अधिनियम, विधेयक, नियम, परिपत्र, अधिसूचनाएं, मार्ग निर्देश आदि का विवरण 'अधिनियम, विधेयक एवं नियम' शीर्ष में दिया गया है।
- 'सूचना' शीर्ष के अंतर्गत संकल्पना पत्र, आईईपीएफ, निधि कंपनी, प्रेस विज्ञप्ति एवं विलुप्त तथा चूककर्ता कंपनियों का विवरण ड्रॉप डाउन में दिया गया है।
- मंत्रालय की वर्तमान एवं पिछली वार्षिक रिपोर्टें, प्राप्ति एवं संवितरणों का विवरण, योजना–वार व्यय का विवरण 'रिपोर्ट एवं सांख्यिकी' शीर्ष में दिया गया है।
- 'निधि कंपनियों', 'धारा 25 कंपनियों' आदि जैसे वर्गों के तहत कारपोरेट का विवरण 'सूचना एवं रिपोर्ट' शीर्ष के तहत ड्रॉप बॉक्स में दिया गया है।
- निवेशक सेवाओं से संबंधित सूचनाएं दो जगहों पर दी गई है – पहला, आईईपीएफ शीर्ष के तहत 'सूचना एवं रिपोर्ट' में ड्रॉप बॉक्स में एवं दूसरा, वेबसाइट के सबसे

ऊपर दाहिने कोने में आईईपीएफ आईकॉन के तहत। यह आईकॉन "www.iepf.gov.in" का लिंक है।

- डीएआरएण्डपीजी के मार्ग–निर्देशों के अनुसार केन्द्रीकृत शिकायत पोर्टल www.pgportal.gov.in का लिंक एमसीए के होम पेज पर ''सार्वजनिक शिकायतें'' शीर्ष के तहत दिया गया है।
- मंत्रालय का भविष्य निरूपण वेबसाइट के होम पेज पर बायीं ओर दिया गया है।

7.1.5 कंपनी रजिस्ट्रारों की अवस्थिति के साथ भारत का नक्शा भविष्य निरूपण के नीचे दिया गया है। इच्छित अवस्थिति पर कर्सर ले जाकर आरओसी से संबंधित विवरण यथा पते, दूरभाष संख्याएं, फैक्स एवं ई–मेल पते आदि तत्काल देखे जा सकते है।

7.1.6 ई–स्टांप, प्राधिकृत बैंक, अभिप्रमाणित फाइलिंग केन्द्र, सुविधा केन्द्र, ई–फाइलिंग हेतु सॉफ्टवेयर आदि महत्वपूर्ण लिंक पोर्टल पर दायीं ओर लॉग–इन एवं नए प्रयोक्ता पंजीकरण के नीचे दिया गया है।

7.1.7 संबद्ध कार्यालयों का विवरण होम पेज पर 'संबद्ध कार्यालयों' शीर्ष के तहत ड्रॉप डाउन मीनू में उपलब्ध है। इस सूची में गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ), भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई), कंपनी विधि बोर्ड (सीएलबी), शासकीय समापक (ओएल) एवं लागत लेखा शाखा (कैब) शामिल है।

7.1.8 मंत्रालय के वर्तमान एवं पिछले वार्षिक रिपोर्ट तथा कंपनी अधिनियम, 1956 के कार्य एवं प्रशासन संबंधी वार्षिक रिपोर्ट होम पेज पर 'सूचना एवं रिपोर्ट' शीर्ष में ड्रॉप–डाउन मीनू में 'वार्षिक रिपोर्ट' के तहत दिया गया है।

7.1.9 प्राप्तियों एवं संवितरण का विवरण, योजना–वार व्यय का विवरण आदि जैसे अन्य प्रतिवेदन 'सूचना एवं रिपोर्ट' शीर्ष में ड्रॉप–डाउन मीनू में 'अन्य रिपोर्ट' के तहत दिया गया है।

7.1.10 सूचना का अधिकार अधिनियम के उद्देश्यार्थ मंत्रालय की वेबसाइट पर एक विशेष खंड 'सूचना का अधिकार' शामिल किया गया है जिसमें मंत्रालय के केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकारी की निर्देशिका दी गई है। इस खंड के तहत आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत मंत्रालय एवं मंत्रालय के संबंध में केन्द्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के प्रमुख आदेश दिए गए हैं।

7.1.11 भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान (आईसीएआई), भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई), भारतीय लागत एवं संकर्म लेखाकार संस्थान (आईसीडब्ल्यूएआई), गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ), भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई), भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान (आईआईसीए), ई–शासन हेतु राष्ट्रीय फाउंडेशन (एनएफसीजी), वाच आउट इन्वेस्टर, इन्वेस्टर हेल्पलाइन आदि से संबंधित महत्वपूर्ण लिंक होम पेज के निचले हिस्से में दिया गया है।

कारपोरेट कार्य मंत्रालय
भारत सरकार
सशक्त व्यापार, सुरक्षित निवेशक
नियामक • समाधानक • सुविधादाता • शिक्षक
मुख्य पृष्ठ
संबद्ध कार्यालय
अधिनियम, विधेयक तथा नियम
सूचना एवं रिपोर्ट
सूचना का अधिकार
तत्काल जवाबी प्रश्न
एमसीए21 सेवा अंतरण
सीमित देयता भागीदारी
आईईपीएफ वेबसाइट
मंत्रालय की पहलें
मंत्रालय का दृष्टिकोण
भारत कारपोरेट सप्ताह-2010 (14.12.2010, विज्ञान भवन) के उद्घाटन समारोह में माननीय प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह का भाषण
हितधारक कॉर्नर
XBRL Website
संसद में यथा प्रस्तुत कंपनी विधेयक, 2011
सूचना
कर्मचारी कार्नर

श्री आर.पी.एन.सिंह
आगे पढ़े ...
भारत
कम्पनी रजिस्ट्रार
ng of MCA21 forms.
पंजीकृत सत्यापित फाइलिंग केन्द्र की सूची
कारपोरेट कार्य मंत्रालय के दिशा-निर्देश 2009
कारपोरेट गवर्नेंस स्वैच्छिक दिशा-निर्देश 2009
कारपोरेट सामाजिक जवाब देयता स्वैच्छिक दिशा-निर्देश 2009
हिंदी पोर्टल का यूनिक विज़िटर कांउट
0000006207
* 11 जनवरी 2012 के बाद से
सूचना
कारपोरेट कार्य मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की दिनांक 31.01.2012 को आयोजित बैठक का कार्यवृत
मंत्रालय की हिंदी पत्रिका "कॉरपोरेट प्रवाहिनी" के छटे अंक का प्रकाशन
टिप्पणियाँ आमंत्रित
31 जनवरी, 2012 तक आईसीडब्ल्यूएआई द्वारा विकसित लागत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं अनुपालन प्रतिवेदन हेतु प्रस्तावित एक्सबीआरएल टेक्सोनॉमी पर। नया
अभिलेख...
महत्वपूर्ण लिंक
एमसीए-21 डिन आंकड़ा में आयकर पैन विवरण का अद्यतनीकरण नया
आईएनडी एएस में दिया गया सार
कम्पनियों के रेग्यूलराईज़ेशन संबंधी नोटिस
एमसीए में प्रतिनियुक्ति आधार पर कनिष्ठ समयमान (जेटीएस), कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (जेएजी) तथा कम्पनी अभियोजक के पद के संबंध में योग्यता शर्तें एवं अन्य ब्यौरे।
वर्ष 2011-2012 के लिए कार्यशाला/सेमिनार/फोरम हेतु आईआईसीए कैलेण्डर
35 भारतीय लेखाकारिता मानक
संशोधित अनुसूची-VI (दिनांक 01.04.2011 से प्रभावी)
अधिसूचनाएँ
स्वैच्छिक संगठनों एवं एनजीओ का पंजीकरण
जन-शिकायतें
india.gov.in
कर्मचारी कार्नर
वर्ष 2010 हेतु वार्षिक संपत्ति विवरण
आईसीएलएस भर्ती नियम
वरीयता / योग्यता सूची
नई नियुक्तियां / भर्ती
प्रोन्नति - नियमित / तदर्थ
एसीपी / एमएसीपी / एनएफएसजी / एनएफयू
स्थानांतरण तैनाती
एमसीए कार्यालयों का सृजन / समाप्ति / पुनर्संरचना
शक्तियों का प्रत्यायोजन
प्रशिक्षण
विविध
फोटो गैलरी
लिंक अभिलेख
"द्रुतगामी निकास" (एफटीई) मोड हेतु दिशा-निर्देश
भारत निवेशक सलाह 2010
कंपनियों के लिए नाम उपलब्धता संबंधी दिशा-निर्देश
आरएफडी 2010-11
More...
महत्वपूर्ण वेब लिंक...
सीएलबी
सीएटी
आईसीएआई
आईसीएसआई
आईसीडब्ल्यूएआई
एसएफआईओ
सीसीआई
आईआईसीए
एनएफसीजी
Invest India
यह साइट कारपोरेट कार्य मंत्रालय के स्वामित्व में है
सूचना का अधिकार | साइटमैप | संपर्क करें | प्रत्याख्यान | गोपन नीति

ई–गवर्नेंस

7.2.1. कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने एमसीए–21 ई–गवर्नेंस परियोजना कार्यान्वित की है। यह राष्ट्रीय ई–गवर्नेंस योजना के तहत भारत सरकार की एक मिशन–मोड परियोजना है। यह परियोजना सभी कारपोरेटों एवं अन्य हितबद्धों को पूरे देश में किसी भी समय तथा उनके लिए सर्वोत्तम तरीके से दस्तावेजों के पंजीकरण एवं फाइलिंग सहित एमसीए द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं से संबंधित सभी रजिस्ट्री तक उन्हें सरल एवं सुरक्षित ऑन–लाइन पहुंच उपलब्ध कराता है। यह परियोजना परिणाम आधारित और देश में कारपोरेट क्षेत्र से संबंधित विभिन्न हितबद्धों को सेवा की गुणता में सुधार पर केन्द्रित है।

7.2.2. यह परियोजना सभी 20 रजिस्ट्री स्थानों में पूरी तरह काम कर रही है। वर्ष 2009 के दौरान एमसीए–21 पोर्टल में ई–स्टांपिंग की शुरूआत की गई है। इसने पणधारकों द्वारा एमसीए–1 पोर्टल पर ही स्टैम्प ड्यूटी की अदायगी को समर्थ बनाया है। स्टैंप ड्यूटी के माध्यम से संग्रहित राजस्व को सप्ताह के अंत में भारतीय रिजर्व बैंक को प्रेषित कर दिया जाता है और भारतीय रिज़र्व बैंक उसे एक दिन के अंदर संबंधित राज्य सरकार को प्रेषित कर देता है।

7.2.3. एमसीए–21 तंत्र में और सुधार करने तथा उसे कारगर करने की लगातार प्रक्रिया के तहत इस वर्ष निम्नलिखित महत्वपूर्ण पहलें की गई हैं:

- एमसीए–21 तंत्र में पहचान विवरणों के ऑन–लाइन सत्यापन हेतु पैन डाटाबेस के साथ इसे जोड़ा गया है।
- निदेशक पहचान संख्या की प्रक्रिया को पेशारत व्यावसायिकों (कंपनी सचिव/चार्टर्ड अकाउंटेंट/लागत एवं संकर्म लेखाकार) व सत्यापन एवं डिजिटल हस्ताक्षर के साथ ऑन–लाइन किया गया है।
- सेवा अदायगी में सुधार हेतु 50,000/– रुपए तक की अदायगी को इलेक्ट्रॉनिक रूप में अनिवार्य किया गया है। 50,000/– रुपए से अधिक की अदायगी हेतु स्टॉक होल्डर को इलेक्ट्रॉनिक मोड या ई–चालान द्वारा अदायगी का विकल्प होगा।
- एमसीए सेवाओं हेतु ई–स्टांपिंग को तीन और राज्यों यथा जम्मू एवं कश्मीर, गोवा एवं नागालैंड तथा दो अन्य संघ शासित क्षेत्रों दमन एवं दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली तक विस्तारित किया गया है। इसके साथ ही अब भारत के सभी राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों में पंजीकृत कंपनियों को एमसीए–21 सेवाओं हेतु ऑन–लाइन ई–स्टांपिंग सुविधा उपलब्ध हो गई है।
- इस वर्ष के दौरान, उत्क्रमण एवं पुनः अदायगी प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। पुनः अदायगी प्रक्रिया को इलेक्ट्रॉनिक तंत्र में आई अप्रत्याशित अवरोधों के कारण हुए बहु–अदायगियों, गलत एवं अतिरेक अदायगियों के मामलों से निपटने के लिए बनाया गया है।
- एक अतिरिक्त अदायगी विकल्प अर्थात् भारतीय रिजर्व बैंक निर्देशित एनईएफटी के माध्यम से अदायगी का प्रारंभ किया गया

है।

- 31 मार्च, 2011 को समाप्त वित्त वर्ष हेतु 30,000 (लगभग) चुने हुई कंपनियों के लिए एक्सबीआरएल फाइलिंग अनिवार्य किया गया है। 6 अक्तूबर, 2011 से एक्सबीआरएल हेतु तंत्र को ठीक किया गया है एवं 31.12.2011 तक एक्सबीआरएल का प्रयोग करते हुए 21,000 से अधिक कंपनियों ने अपना वार्षिक विवरण फाइल कर दिया था।
- **कारपोरेट बैंक खाता खोलना** एमसीए–21 के तहत एक अतिरिक्त सुविधा के रूप में आरओसी में पंजीकृत कंपनियों हेतु कारपोरेट बैंक खाता खोला जा सकता है। यह सुविधा 16 अक्तूबर, 2011 से प्रारंभ हुई है।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

7.3.1 भारतीय व्यवसाय परिवेश लगातार वैश्विक व्यवसाय परिवेश के साथ एकाकार हो रहा है। विश्व में हो रही गतिविधियों को समझने एवं कारपोरेट शासन, कारपोरेट सामाजिक दायित्व एवं लेखांकन व्यवसाय के विकास के क्षेत्र में मंत्रालय की पहलों को दुनिया के सामने लाने के लिए मंत्रालय ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग प्रारंभ किया है जिनमें कारपोरेट रजिस्टर्स फोरम (सीआरएफ), लेखांकन एवं कारपोरेट विनियामक प्राधिकरण (एसीआरए), अमेरिकन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के अमेरिकी व्यवसाय अग्रणी, ग्लोबल रिपोर्टिंग पहलें (जीआरआई), दिवालिया विनियामकों का अंतर्राष्ट्रीय संघ (आईएआईआर), आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (ओईसीडी), संघीय व्यापार आयोग, अमेरिका, न्याय विभाग, अमेरिका, उद्योग एवं व्यवसाय हेतु राज्य प्रशासन (एसएआईसी), जापान। कारपोरेट कार्य मंत्रालय भारतीय लेखांकन मानकों का अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (आईएफआरएस) आदि के साथ समाभिरूपण सुनिश्चित करने हेतु केन्द्रीय मंत्रालय है।

7.3.2 मंत्रालय के संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधि मंडल ने लेखांकन एवं कारपोरेट विनियामक प्राधिकरण (एसीआरए), सिंगापुर द्वारा सिंगापुर में आयोजित कारपोरेट रजिस्टर्स फोरम (सीआरएफ) के वार्षिक सम्मेलन में भाग लिया और कारपोरेट नीतियों, कारपोरेट धोखाधड़ियों की जांच की प्रक्रिया, ई–न्यायालय प्रणाली का कार्यान्वयन, वित्तीय एवं लेखापरीक्षा सूचना सेवा एवं ई–बज, रजिस्ट्री सेवा आदि में विधिक सुधारों का अध्ययन किया। कारपोरेट व्यवसाय रजिस्टरों में अद्यतन विकास तथा कारपोरेट व्यवसाय पंजीकरण प्रणाली के वर्तमान एवं भावी प्रचालन पर अनुभवों एवं सूचना का आदान–प्रदान किया गया।

7.3.3 भारत के कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने नीदरलैंड के आर्थिक कार्य मंत्रालय के साथ कारपोरेट शासन एवं कारपोरेट सामाजिक दायित्व के क्षेत्र में एक समझौता किया है। कारपोरेट शासन, कारपोरेट सामाजिक दायित्व एवं कारपोरेट कार्य के अन्य पहलुओं के क्षेत्र में एक कार्य समूह का गठन अपर सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय की अध्यक्षता में की गई है जिसमें आईसीएआई, टाटा सर्विसेज लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड एवं

तीन अन्य संस्थानों के प्रतिनिधि भी शामिल है।

7.3.4 मंत्रालय के एक प्रतिनिधि मंडल ने जर्सी (इंग्लैंड) का दौरा किया और दिवालिया विनियामकों का अंतर्राष्ट्रीय संघ (आईएआईआर) के वार्षिक महा सभा एवं सम्मेलन में भाग लिया।

7.3.5 मंत्रालय ने स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन फॉर इंडस्ट्री एण्ड कॉमर्स (एसएआईसी), चीन गणराज्य (पीआरसी), बीजिंग (चीन) द्वारा ''आर्थिक वैश्वीकरण में प्रतिस्पर्धा प्रवर्तन'' पर आयोजित द्वितीय बीआरआईसीएस (ब्राजील, रूस, भारत, चीन एवं दिक्षण अफ्रीका) सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन में मंत्रालय एवं भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के अधिकारियों ने भाग लिया। **तृतीय बीआरआईसीएस अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन, नई दिल्ली** में 2013 में आयोजित करने का भी प्रस्ताव है।

7.3.6 डा. एम. वीरप्पा मोइली, माननीय कारपोरेट कार्य मंत्री ने एक भारतीय प्रतिनिधि मंडल के साथ वाशिंगटन (अमेरिका) का दौरा किया और कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग एवं फेडरल ट्रेड कमीशन, अमेरिका, न्याय विभाग, अमेरिका के मध्य राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नीति एवं सहयोग पर चर्चा की।

7.3.7 संयुक्त सचिव, कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने 23–24 नवंबर, 2011 को 7वीं वैश्विक रिपोर्टिंग सम्मेलन में भाग लिया।

7.3.8 भारत को दिनांक 25.07.2011 से एक वर्ष के लिए कारपोरेट रजिस्टर्स फोरम सम्मेलन (सीआरएफ) की कार्यकारी समिति की अध्यक्षता सौंपी गई है। कारपोरेट कार्य मंत्रालय ने 2012 की अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन का आयोजन भारत में दिनांक 13–16 फरवरी, 2012 को करने का निर्णय लिया है।

कार्यालय अवसंरचना में सुधार

7.4.1 अवसंरचना अनुभाग भूमि अधिग्रहण, खरीदी हुई भूमि पर भवन निर्माण, कार्यालय स्थान हेतु बने बनाए भवन की खरीद एवं पुनरुद्धार हेतु इन कार्यालय स्थानों की फर्नीशिंग एवं जीर्णोद्धार द्वारा मंत्रालय के विभिन्न कार्यालयों को बेहतर अवसंरचना उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। 01.04.2011 से 31.03.2012 की अवधि के दौरान इस अनुभाग ने निम्नलिखित लक्ष्य प्राप्त किए हैं:

(i) कटक में कारपोरेट भवन तैयार हो गया है और आरओसी एवं ओएल, उड़ीसा में नए भवन से कार्य करना प्रारंभ कर दिया है।

(ii) बी–1 विंग, पहला तल, पर्यावरण भवन, नई दिल्ली के पुनरुद्धार का कार्य पूरा हो गया है और नया पुनरुद्धारित स्थान एसएफआईओ को हस्तांतरित कर दिया गया है।

(iii) अनुसंधान एवं विश्लेषण प्रभाग तथा लागत लेखा शाखा बी–1 विंग, पहला तल, पर्यावरण भवन, नई दिल्ली में स्थानांतरित हो गई हैं और एनबीसीसी को इन प्रभागों की अपेक्षाओं के अनुसार स्थान के पुनरुद्धार का कार्य सौंपा गया है।

(iv) एनबीसीसी ने हैदराबाद में कारपोरेट भवन के निर्माण हेतु एजेंसी की पहचान कर ली है और निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है।

(v) मंत्रालय को संपदा निदेशालय द्वारा लोक नायक भवन, नई दिल्ली में सामान्य पूल कार्यालय स्थान के तहत 23,000 वर्ग फुट का कार्यालय स्थान आवंटित किया गया है। सीपीडब्ल्यूडी को इस स्थान को पुनरुद्धार का कार्य सौंपा गया है। लोक नायक भवन, नई दिल्ली में पुनरुद्धार कार्य पूर्ण होने पर शासकीय समापक कार्यालय को नए स्थान पर स्थानांतरित किया जाएगा।

(vi) मंत्रालय एनसीएलटी बैंच को स्थान देने हेतु आरओसी भवन, गोवा में अतिरिक्त तल के निर्माण की प्रक्रिया में है।

अधिकारियों तथा स्टाफ की शिकायतों का निपटान

7.5.1 अधिकारियों तथा स्टाफ की शिकायतों के निपटान की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय में एक स्टाफ परिषद है, जो कि एक निर्वाचित निकाय है। स्टाफ परिषद की अध्यक्षता प्रशासन के प्रभारी संयुक्त सचिव द्वारा की जाती है। इसकी प्रायः बैठक होती है और सभी शिकायतों तथा समस्याओं पर चर्चा की जाती है और उन्हें मंच पर ही सुलझा लिया जाता है। यह मंत्रालय में अच्छे वातावरण के निर्माण में बहुत ही प्रभावी तंत्र सिद्ध हुआ है।

सतर्कता

7.6.1 मंत्रालय के सतर्कता विंग का अध्यक्ष संयुक्त सचिव स्तर का मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) होता है और उसके सहायतार्थ एक उप–सचिव, एक अवर सचिव एवं अन्य कर्मचारी होते है। सतर्कता विंग निम्नलिखित कार्य करता हैं:–

(क) व्यक्तियों से प्राप्त एवं/या सीवीआई/सीवीसी/प्रधानमंत्री कार्यालय जैसे संगठनों से संदर्भित शिकायतों की जांच संबंधित प्रशासनिक प्रभागों/संगठनों से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त करके की जाती हैं। शिकायतों की प्रकृति के अनुसार किसी विशिष्ट मामले में प्राथमिक जांच का आदेश भी दिया जाता है। यदि प्रथम दृष्टया कोई तथ्यात्मक मामला बनता है तो नियमित विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की जाती है।

(ख) भ्रष्टाचार की संभावना वाले क्षेत्रों की पुनरीक्षा एवं प्रक्रियाओं का सुदृढ़ीकरण। यह ध्यान देने योग्य है कि एमसीए–21 परियोजना एक प्रमुख पहल है जिसने सार्वजनिक संवाद में कमी की है एवं पारदर्शिता आई है जिससे भ्रष्टाचार की संभावनाएं कम हुई है।

(ग) सतर्कता गतिविधियों पर सीवीओ का मासिक प्रतिवेदन सीवीसी को उपलब्ध कराना।

(घ) केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 के तहत अनुमति के अनुरोधों के

अनुमोदन पर विचार, सतर्कता अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करने, संपत्ति विवरण की प्रक्रिया एवं मंत्रालय (मुख्यालय) के सभी अधिकारियों के वार्षिक कार्य निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्टों से संबंधित मामले भी देखता है।

7.6.2 वर्ष 2011–12 के दौरान 31.12.2011 तक, 8 विभागीय जांच विभिन्न स्तरों पर लंबित थे। एक मामले में संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से प्रमुख अर्थ दंड लगाया गया है, एक अन्य मामले में भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत नियमित विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने के साथ–साथ अभियोजन की अनुमति भी दी गई है। इस अवधि में प्राप्त छः शिकायतों में से दो शिकायतों का निपटान कर दिया गया है।

7.6.3 उक्त अवधि में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के मध्य जागरूकता पैदा करने हेतु दिनांक 31.10.2011 से 05.11.2011 तक 'सतर्कता जागरूकता सप्ताह' मनाया गया।

लिंग संबंधी मुद्दे

7.7.1 चूंकि कार्य आवंटन पदनाम के आधार पर किया जाता है। अतः रिपोर्ट की अवधि के संबंध में लिंगीय विभेद का कोई मामला या कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुआ है।

भारतीय कारपोरेट विधि सेवा

7.8.1 देश में कंपनियों के तीव्र विकास की चुनौतियों का मुकाबला करने की दृष्टि से पूर्व भारतीय कंपनी विधि सेवा को नवंबर, 2008 में पुनः नामित कर भारतीय कारपोरेट विधि सेवा कर दिया गया। आईसीएलएस का गठन कारपोरेट विधि निर्माण में विशेषज्ञता उपलब्ध कराना, निगमन, विनियमन, निवेशक सुरक्षा एवं कारपोरेट सामाजिक दायित्व सहित कारपोरेट विधि का प्रभावी प्रवर्तन करना एवं देश में कारपोरेट शासन कार्यान्वित करने हेतु किया गया। आईसीएलएस वर्तमान वैश्वीकृत परिवेश में निजी क्षेत्र के कार्य संचालन पर महत्वपूर्ण निगरानी तंत्र के रूप में कार्य करता है। इसका गठन संगठन की कुशलता एवं बेहतर सेवा अदायगी सेवा के लिए किया गया है।

7.8.2 एक बृहत संवर्ग समीक्षा की गई एवं संवर्ग संख्या में लेखा एवं विधि शाखा का विलय करके उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड स्तर पर महानिदेशक, कारपोरेट कार्य का एक पद एवं वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड स्तर पर 4 पद सहित विभिन्न स्तरों पर 60 नए पद सृजित करते हुए इसे 231 से बढ़ा कर 291 कर दिया गया। कनिष्ठ समय–मान स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से भर्ती का प्रावधान करने हेतु भर्ती नियमों का संशोधन किया गया है और उसे अधिसूचित कर दिया गया है तथा इस प्रकार आईसीएलएस में पार्श्विक प्रवेश बंद कर दिया गया है। अधिकारियों को भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान, जो कि नए भर्ती अधिकारियों के प्रवेश प्रशिक्षण एवं सेवा के वर्तमान सदस्यों की सेवा अवधि में प्रशिक्षण दोनों के लिए उत्तरदायी है, द्वारा प्रबंधन, विधि, लेखांकन, व्यवसाय, वित्त एवं अर्थशास्त्र जैसे विषयों में प्रशिक्षित किया जाएगा।

7.8.3 महानिदेशक (कारपोरेट कार्य) कारपोरेट कार्य मंत्रालय एवं क्षेत्रीय अधिकारियों के बीच सेतु का काम करेगा एवं बेहतर सेवा अदायगी हेतु कंपनी रजिस्ट्रार कार्यालयों के कार्य संचालन और परिसमापन की प्रक्रिया के कुशल संचालन हेतु शासकीय समापकों के कार्यालयों का पर्यवेक्षण करेगा और कंपनी अधिनियम, 1956 तथा एलएलपी अधिनियम, 2008 के कार्यान्वयन से संबंधित निगमन, प्रवर्तन एवं अन्य मामलों के लिए भी उत्तरदायी होगा। प्रादेशिक निदेशकों एवं कंपनी रजिस्ट्रारों के कार्यालयों का उन्नयन एवं आधुनिकीकरण किया जा रहा है ताकि इन कार्यालयों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए अनुकूल वातावरण ही नहीं बल्कि कारपोरेट क्षेत्र के लोगों के लिए भी मित्रवत् वातावरण सुनिश्चित किया जा सके।

हिन्दी का प्रगामी प्रयोग

7.9.1 कारपोरेट कार्य मंत्रालय कार्यालय कार्य में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने हेतु राजभाषा विभाग द्वारा तय लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर है। वर्ष के दौरान पूर्ण की कुछ महत्वपूर्ण गतिविधियां निम्नवत् हैं:–

(i) कारपोरेट कार्य मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति का पुनर्गठन 09.11.2010 को किया गया एवं इसकी बैठक 31.01.2012 को संपन्न हुई।

(ii) संसदीय राजभाषा समिति की पहली उप–समिति द्वारा कंपनी रजिस्ट्रार, कोयमबटूर, कंपनी रजिस्ट्रार, हैदराबाद, कंपनी रजिस्ट्रार, कोलकाता, कंपनी रजिस्ट्रार, दिल्ली एवं कंपनी रजिस्ट्रार, चण्डीगढ़ कार्यालयों का निरीक्षण क्रमशः 15.05.2011, 28.09.2011, 15.11.2011, 24.01.2012 एवं 08.02.2012 को किया गया।

(iii) राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के तहत द्विभाषी पत्राचार किए जा रहे हैं एवं यह सुनिश्चित किया गया है कि हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 अनुसार हिन्दी में ही दिया जाए।

(iv) हिन्दी के प्रगामी प्रयोग हेतु प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से मंत्रालय में दिनांक 10.06.2011 को एक कार्यशाला आयोजित की गई। मंत्रालय के 26 अधिकारियों/कर्मचारियों ने कार्यशाला में भाग लिया।

(v) मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2011 से जनवरी, 2012 के मध्य 15 क्षेत्रीय कार्यालयों का निरीक्षण किया गया।

7.9.2 मंत्रालय में दिनांक 14.09.2011 से 30.09.2011 तक हिन्दी पखवाड़ा मनाया गया पखवाड़े के दौरान कई प्रतियोगिताएं जैसे निबंध लेखन, आशु भाषण, टिप्पण प्रारूण, कविता पाठ आदि आयोजित की गई। माननीय कारपोरेट कार्य मंत्री ने 30.09.2011 को समापन समारोह में हिन्दी पखवाड़ा के विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कृत किया। मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों ने भी इसी प्रकार के आयोजन किए।

प्रकाशन

7.10.1 मंत्रालय ने 01.04.2011 से 31.12.2011 तक निम्नलिखित रिपोर्टें/प्रकाशन प्रकाशित किए:–

(क) कंपनी अधिनियम की धारा 638 के उपबंधों के अनुसरण में कंपनी अधिनियम, 1956 के कार्य एवं प्रशासन पर वार्षिक रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत की जाती है। 31.03.2010 की 54वीं वार्षिक रिपोर्ट 2011 में संसद के दोनों सदनों में पटल पर रखी गई।

(ख) वर्ष 2010–11 हेतु भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) की द्वितीय वार्षिक रिपोर्ट भी प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 की धारा 53 की उपधारा (2) एवं (3) के तहत 2011 में संसद के दोनों सदनों के पटलों पर रखी गई।

अनुसूचित जाति (अ.जा.), अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) एवं अन्य पिछड़े वर्गों (अ.पि.व.) का प्रतिनिधित्व

7.11.1 मंत्रालय में, क्षेत्रीय कार्यालयों को छोड़कर, समूह 'ग' के कर्मियों के संबंध में अनुसूचित जाति (अ.जा.), अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) एवं अन्य पिछड़े वर्गों (अ.पि.व.) का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया हैं:–

तालिका 7.1

सरकारी सेवकों की कुल संख्या एवं उसमें अनुसूचित जाति (अ.जा.), अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) एवं अन्य पिछड़े वर्गों (अ.पि.व.) की संख्या दर्शाने वाला विवरण

(31.12.2011 की स्थिति के अनुसार)

समूह	कर्मियों की कुल संख्या	कुल कर्मियों में वर्गों के कर्मियों की संख्या		
		अजा	अजजा	अपिव
समूह 'क'	278	37	23	32
समूह 'ख'	448	49	22	23
समूह 'ग'	66	19	–	–
योग	**792**	**105**	**45**	**55**

* क्षेत्रीय कार्यालयों को छोड़कर

राजस्व प्राप्तियां एवं व्यय

7.12.1 कारपोरेट कार्य मंत्रालय की राजस्व प्राप्तियां एवं व्यय (योजना एवं गैर–योजना) का विवरण नीचे दिया गया है (तालिका 7.2 एवं 7.3)।

तालिका – 7.2
राजस्व प्राप्तियां

(करोड़ रुपए में)

2008–09	2009–10	2010–11	2011–12
(1)	(2)	(3)	(4)
1231.78	1235.83	1494.05	1041.17

तालिका – 7.3
व्यय (योजना एवं गैर–योजना)

(करोड़ रुपए में)

विषय	वास्तविक व्यय 2010–11	2010–11			
		बजट आकलन 2011–12	संशोधित आकलन 2011–12	वास्तविक व्यय 2011–12 (दिसंबर, 2011 तक)	बजट अनुमान 2012–13
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गैर–योजना	183.09	210.94	210.94	144.41	213.50
योजना	86.72	28.00	28.00	16.03	32.00
योग	269.81	238.94	238.94	160.44	245.50

अनुलग्नक

कारपोरेट कार्य मंत्रालय
दूरभाष निर्देषिका

नाम	पदनाम	कार्यालय दूरभाष/ फैक्स	आवासीय दूरभाष
कारपोरेट कार्य मंत्री का कार्यालय			
डा. एम. वीरप्पा मोइली	कारपोरेट कार्य मंत्री	23073804 23073805 23073806 (फैक्स)	23016764 23013758 23018347 (फैक्स)
श्री राकेश सिंह	निजी सचिव	–वही–	24634290
श्री एम. रामकृष्ण रेड्डी	अतिरिक्त निजी सचिव	–वही–	24121040
श्री एस. ट्विक्ली	अतिरिक्त निजी सचिव	–वही–	22619496
श्री सी. पी. सूद	सहायक निजी सचिव	–वही–	0129–2220226
श्री जी. रोबर्ट	अतिरिक्त निजी सचिव		9968994464
कारपोरेट कार्य राज्य मंत्री का कार्यालय			
श्री आर.पी.एन. सिंह	कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री	23385823 23384082	24632653
श्री असित सिंह	निजी सचिव	–वही–	24355600
श्री तिरथंकर दास	विशेष कार्य अधिकारी	–वही–	आ.–25099651 मो.–9868920252
सचिव			
श्री नवेद मसूद	सचिव	23382324 23384017 23384257 (फैक्स)	23384252
श्री वी. एस. मनियन	वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव	–वही–	23221762
श्री एस.पी.एस. रावत	निजी सचिव	–वही–	24621782
अपर सचिव			
श्री सुधीर मित्तल	अपर सचिव	23381226 23389088 (फैक्स)	23073327
श्री ई. नटराजन	प्रधान निजी सचिव	–वही–	–
श्री एस. एम. दास	निजी सचिव	–वही–	
श्री संजय सूद	निजी सचिव	–वही–	

नाम	पदनाम	कार्यालय दूरभाष/ फैक्स	आवासीय दूरभाष
श्री राजन कटोच	अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार	23063215	23383891
श्री पी. के. सरकार	निजी सचिव	–वही–	
संयुक्त सचिव			
श्री ए. के. श्रीवास्तव	संयुक्त सचिव	23383180	24105445
श्री एस. भट्टाचार्य	निजी सचिव	–वही–	24644256
सुश्री रेणुका कुमार	संयुक्त सचिव	23074056 23384380	–
सुश्री शैलजा पिल्लई	प्रधान निजी सचिव	–वही–	26181662
श्री मनोज कुमार	संयुक्त सचिव	23383345	
श्री एस. सी. पुरी	निजी सचिव	–वही–	
निदेशक, निरीक्षण एवं जांच (डीआईआई)			
श्री धनराज	निदेशक. निरीक्षण एवं जांच	23389602	22183294
श्री एच. श्रीवास्तव	निजी सचिव	23389602	–
श्री यू. सी. नाहटा	निदेशक, निरीक्षण एवं जांच	23384502	–
श्री एन. एस. बिष्ट	निजी सचिव	23384502	–
आर्थिक सलाहकार			
सुश्री सिवानी स्वाइँ	आर्थिक सलाहकार	23385010	26898225
सुश्री बेबी के. एम.	निजी सचिव	–वही–	
निदेशक			
श्री जयकांत सिंह	निदेशक	23389227	26890808
श्री दीपक कुमार	निजी सहायक		
श्रीमती निरूपमा कोतरु	निदेशक	23384470	26257232
श्रीमती संतोष	निजी सहायक	–वही–	–
श्री आलोक कुमार	निदेशक	23382386	9868110201
सुश्री उर्वशी कुमार	निजी सहायक	–वही–	
श्री अनिल कुमार भारद्वाज	निदेशक	23070954	–
सुश्री नमिता बक्शी	निजी सचिव	–वही–	–
उप सचिव			
श्री के. के. नाथ	उप सचिव	23381288	–
श्री नंद किशोर	प्रधान निजी सचिव	23381288	
श्री बी. के. मल्होत्रा	उप सचिव	23389403	25088170

नाम	पदनाम	कार्यालय दूरभाष/ फैक्स	आवासीय दूरभाष
श्री ओ. पी. शर्मा	निजी सहायक	–वही–	9958267854
श्री के. गुरुमूर्ति	उप सचिव	23389204	9868207962
श्री मोहन दास एम.	निजी सहायक		
संयुक्त निदेशक			
श्री बी.के.एल. श्रीवास्तव	संयुक्त निदेशक (विधि)	23070728	0123–2255308
श्रीमती सुषमा सिकरी	निजी सहायक	–वही–	25490095
श्री आर. के. मीणा	संयुक्त निदेशक	23073230	
श्री आलोक सामंतराय	संयुक्त निदेशक	23385285	
श्रीमती दुर्गेश नंदिनी	निजी सहायक	–वही–	
श्री जे. एन. टिक्कू	संयुक्त निदेशक	23384657	01232255388
श्री एस. सी. अरोरा	निजी सहायक	–वही–	
उप निदेशक			
श्री विनोद शर्मा	उप निदेशक	23385382	
श्री संजय शौरी	उप निदेशक	23389622	
श्री श्याम सुंदर	उप निदेशक	23384657	
श्री एन. के. दुआ	उप निदेशक	23387263	
अवर सचिव			
श्री जे. एस. गुप्ता	अवर सचिव	23389782	25226814
श्री आर. सी. टली	अवर सचिव	23073734	
श्री जे. बी. कौशिश	अवर सचिव	23387939	95124–2333763
श्री एल. के. त्रिवेदी	अवर सचिव	23389782	
श्री राजेन्द्र सिंह	अवर सचिव	23389298	
श्री बी. पी. बिमल	अवर सचिव	23073017	
श्रीमती रीता डोगरा	अवर सचिव	23386065	
श्री आर. के. पाण्डेय	अवर सचिव	23383507	
श्री जी. पी. सरकार	अवर सचिव	23381349	
श्री अनिल कुमार	अवर सचिव	23381243	9350356209
सहायक निदेशक			
श्री पुनीत कुमार दुग्गल	सहायक निदेशक	23389745	
श्री परविन्दर सिंह	सहायक निदेशक	23385382	
श्री आलोक टंडन	सहायक निदेशक	23385382	
सुश्री मोनिका गुप्ता	सहायक निदेशक	23387263	

नाम	पदनाम	कार्यालय दूरभाष/ फैक्स	आवासीय दूरभाष
सुश्री सीमा रथ	सहायक निदेशक	23387263	
सुश्री रीता सूद	सहायक निदेशक (रा.भा.)	23388512	
श्री अरविन्द बुनकर	सहायक निदेशक	23389745	
श्री आर. के. बक्शी	सहायक निदेशक	23073230	
श्री इकबाल हुसैन अंसारी	सहायक निदेशक	23073230	
श्री वी. एम. प्रशांत	सहायक निदेशक	23384660	
श्री मन्जीत सिंह	सहायक निदेशक	23384479	
सुश्री अंशु टण्डन	सहायक निदेशक	23389298	
लागत लेखा शाखा बी–1, विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003			
श्री बी.बी. गोयल	सलाहकार (लागत)	24366284, 24366686, 24366005	
श्री सुरेन्द्र कुमार	प्रधान निजी सचिव	–वही–	–
श्री वी. के. अग्रवाल	निदेशक	24366686	
सुश्री रविन्द्र बरारा	निजी सहायक	–वही–	
सुश्री भारती सहाय	सहायक निदेशक	24366438	
श्री निपुण गुप्ता	सहायक निदेशक	24366348	
श्री राकेश पाण्डेय	सहायक निदेशक	24366348	
अनुसंधान एवं विश्लेषण प्रभाग बी–1, विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003			
श्री राधे श्याम	निदेशक	24368972 (दूर./फैक्स)	
श्री राजेन्द्र कुमार	प्रधान निजी सचिव	24368970	22117476
श्री ई. नागचन्द्रन	उप निदेशक	24368971	
श्री हरबंस सिंह	सहायक निदेशक	24368973	
गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली ईपीएबीएक्स सं. : 0091 11 2436 9242 / 2436 9244 / 2436 9245 / 2436 9246 फैक्स – 24365809			
श्री राजेश शर्मा	अतिरिक्त निदेशक एवं प्रभारी	24369243	–
श्री जे. के. गोले	प्रधान निजी सचिव	24365787 24365809	

नाम	पदनाम	कार्यालय दूरभाष / फैक्स	आवासीय दूरभाष
श्री एन. के. भोला	अतिरिक्त निदेशक	24369592	–
श्री बी. के. गुप्ता	अतिरिक्त निदेशक (कर-I)	24369774	
डा. जगन्नाथ दास	अतिरिक्त निदेशक (आईटी)	24369247	
डा. बलजीत सिंह	अतिरिक्त निदेशक (जांच)	24369254	
श्री पी. आर. लकडा	अतिरिक्त निदेशक (सीएण्डसीई)	24369251	
श्री जे. के. तेवतिया	अतिरिक्त निदेशक (एफए-II)	24365471	
श्री विनोद कुमार शर्मा	अतिरिक्त निदेशक (जांच)	24369505	95120–2773364
श्री देवी शरण सिंह	अतिरिक्त निदेशक (कर-II)	24369247	-
श्रीमती ऋचा कुकरेजा	संयुक्त निदेश (सीएल)	24369247	-
श्री धर्मवीर सिंह	उप निदेशक	24369248	-
श्री एस. के. सक्सेना	उप निदेशक	24369773	-
गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय, मुम्बई एनटीसी हाउस, चौथा तल, बल्लार्ड एस्टेट, मुम्बई			
श्री संजय राय	अतिरिक्त निदेशक	022–22022240 22022241 (फैक्स)	
श्रीमती सुनीता लांगस्ठे	वरिष्ठ सहायक निदेशक	022–22022240 22022241 (फैक्स)	
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) एच. टी. हाउस, 18–20, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली–110001			
श्री अशोक चावला	माननीय अध्यक्ष	23704647 23704649 23704605 (फैक्स)	–
श्री एच. सी. गुप्ता	माननीय सदस्य	23704630 23704631 (फैक्स)	–
श्री आर. प्रसाद	माननीय सदस्य	23704633 23704632 (फैक्स)	–
डा. गीता गौरी	माननीय सदस्य	23704634 23704635 (फैक्स)	–
श्री एस.एन. ढिंगरा	माननीय सदस्य	23704638 23704639 (फैक्स)	–
श्री अनुराग गोयल	माननीय सदस्य	23704641 23704642 (फैक्स)	–
श्री एम. एल. तयाल	माननीय सदस्य	23704643 23704644 (फैक्स)	–

नाम	पदनाम	कार्यालय दूरभाष / फैक्स	आवासीय दूरभाष
श्री एस. एल. बुनकर	सचिव	23704651 23704652 (फैक्स)	–
प्रतिस्पर्धा अपीलीय ट्रिब्यूनल (सीएटी) कोटा हाउस एनेक्सी–1, शाहजहां रोड, नई दिल्ली–110011			
माननीय न्यायमूर्ति डा. अरजीत पसायत	माननीय अध्यक्ष	23385974 23701060 24105684 (फैक्स)	24105683
श्री राहुल सरीन	माननीय सदस्य	23385301 23701061 23388928 (फैक्स)	26844173
श्रीमती प्रवीण त्रिपाठी	माननीय सदस्य	23385311 23701063 23386471 (फैक्स)	29531510
श्री अशोक मेनन	रजिस्ट्रार	23385977 23701065	23073704
कंपनी विधि बोर्ड (प्रधान शाखा) पर्यावरण भवन, ए बी –ब्लॉक, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली			
माननीय न्यायमूर्ति श्री दिलीप रावसाहेब देशमुख	माननीय अध्यक्ष	24363667	–
श्रीमती विमला यादव	माननीय सदस्य	24366124	23384121
श्रीमती विद्या शास्त्री	निजी सहायक	24363667	–
श्री पी. के. मल्होत्रा	सचिव	–	–
श्री जी. वी. सुब्बैया	अवर सचिव	24363667	–
कंपनी विधि बोर्ड (चेन्नई शाखा) दूसरा तल, एनटीसी हाउस, 15, एन.एम. मार्ग, बल्लार्ड एस्टेट, मुम्बई–400038			
श्री कांती नरहरी	सदस्य	22619636	–
श्रीमती एस. ए. पाटिल	वरिष्ठ निजी सचिव	22619636	–
कंपनी विधि बोर्ड (दक्षिणी क्षेत्र शाखा) शास्त्री भवन, ब्लॉक–8, हेड्डोस रोड, चेन्नई–600006			
सुश्री लिजामा अगस्टाइन	सदस्य	25262791	–
श्रीमती मुकुन्तन	निजी सचिव	–	
कंपनी विधि बोर्ड (पूर्वी क्षेत्र शाखा) 9, ओल्ड पोस्ट ऑफिस स्ट्रीट, 6वां तल, कोलकाता – 700001			
श्री बी.एस.वी. प्रकाश कुमार	सदस्य	22486330	–
श्री तपस कुमार मंडल	निजी सहायक	–	–

नाम	पदनाम	कार्यालय दूरभाष / फैक्स	आवासीय दूरभाष
सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी) तीसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003			
श्री संतोष कुमार	एलएलपी रजिस्ट्रार	24362189	–
श्री बी. श्रीकुमार	सहायक रजिस्ट्रार	–	–
प्रधान लेखा अधिकारी, तीसरा तल, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली			
श्री विलास आर. घोदेश्वर	मुख्य लेखा नियंत्रक	24698646 24693229 (फैक्स)	24652479
श्री बी. एम. पुन्नी	प्रधान लेखा अधिकारी	24610148	42156411
वेतन एवं लेखा अधिकारी का कार्यालय पर्यावरण भवन, बी–ब्लॉक, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली			
श्री संत राम यादव	वेतन एवं लेखा अधिकारी	24360660, 24361569 (फैक्स)	9810244741 (मो)
वेतन एवं लेखा अधिकारी का कार्यालय, कोलकाता चौथा तल, 15, आर.एन. मुखर्जी रोड, कोलकाता–700001			
श्री यू. सी. चक्रवर्ती	वेतन एवं लेखा अधिकारी	033–2425076 (दूर–फैक्स)	9051867951 (मो)
श्री बिकास दास	सहायक लेखा अधिकारी	033–22425076	9433030489 (मो)
वेतन एवं लेखा अधिकारी का कार्यालय, मुम्बई एक्सचेंज बिल्डिंग, साऊदर्न विंग, एस.एस. रामगुलाम मार्ग, बिल्लार्ड एस्टेट, मुम्बई–400001			
श्रीमती शीला कृष्णन	वेतन एवं लेखा अधिकारी	022–22670862 022–22656362	022–24102567
वेतन एवं लेखा अधिकारी का कार्यालय, चेन्नई 5वां तल, शास्त्री भवन, 26, हेड्डोस रोड, चेन्नई–600006			
श्री सी. संजीवी रमन	वेतन एवं लेखा अधिकारी	044–28270399 28235949 (फैक्स)	044–22474138
भारतीय कंपनी सचिव संस्थान आईसीएसआई हाउस, 22, इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003			
श्री एन. के. जैन	सचिव	24368031, 24617321	95120–4263965

नाम	पदनाम	कार्यालय दूरभाष/ फैक्स	आवासीय दूरभाष
भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली–110002			
श्री टी. कार्तिकेयन	सचिव	23310195, 23721334	
भारतीय लागत एवं संकर्म लेखाकार संस्थान इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली			
श्री ए. पी. कर	निदेशक	24622156, 24631538	
श्री एस. सी. गुप्ता	उप निदेशक	24631532, 24697148 24522158 (फैक्स)	24641602
भारतीय कारपोरेट कार्य संस्थान बी–1, विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली			
श्री भास्कर चटर्जी	महानिदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी	24369794, 24362282 24362263 (फैक्स)	
श्री राकेश चन्द्र	निदेशक	0124–2290400 0124–2291036	
श्री गौतम कुमार	मुख्य सूचना अधिकारी	0124–2290400 0124–2291036	9868813888

कारपोरेट कार्य मंत्रालय का संगठनात्मक चार्ट

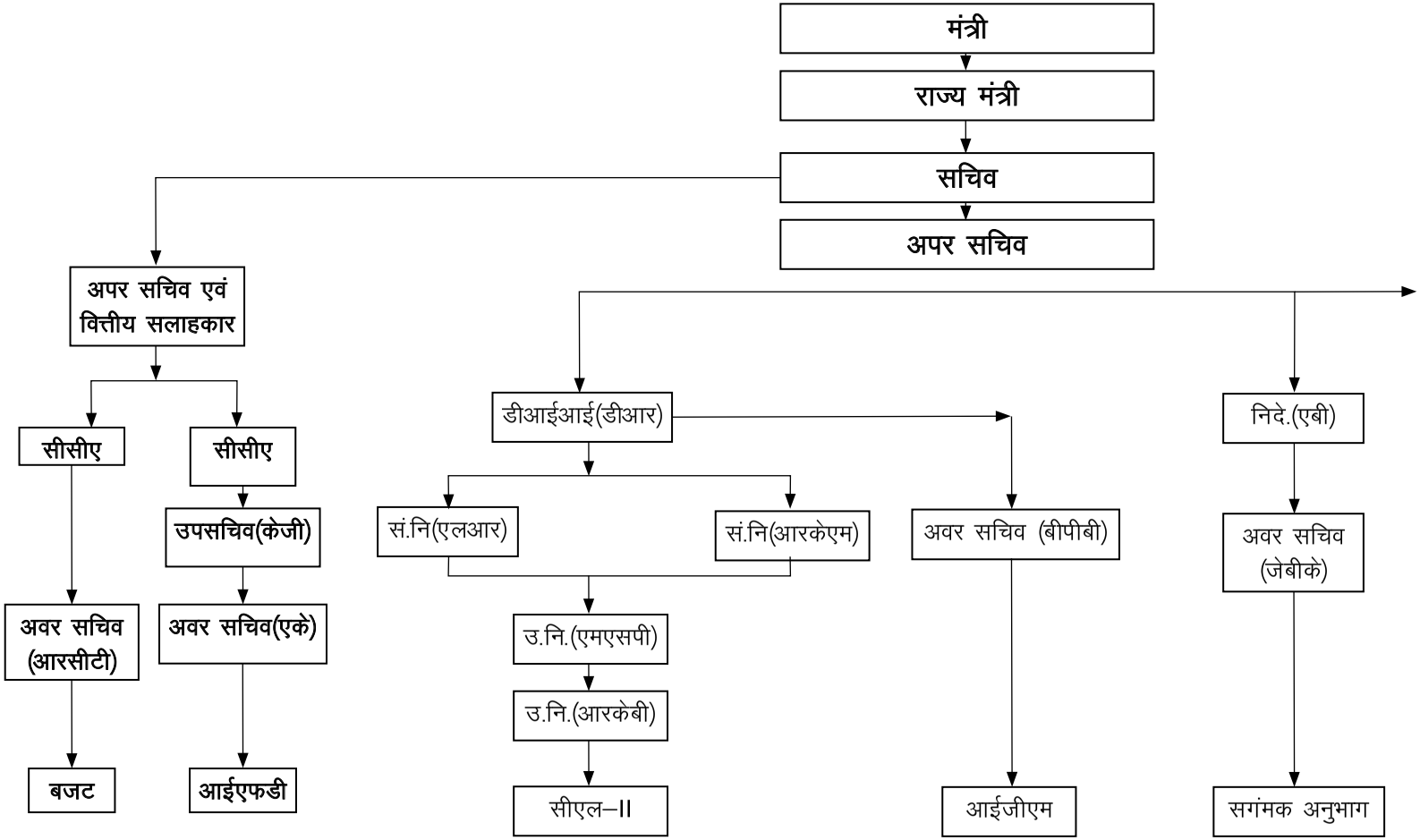

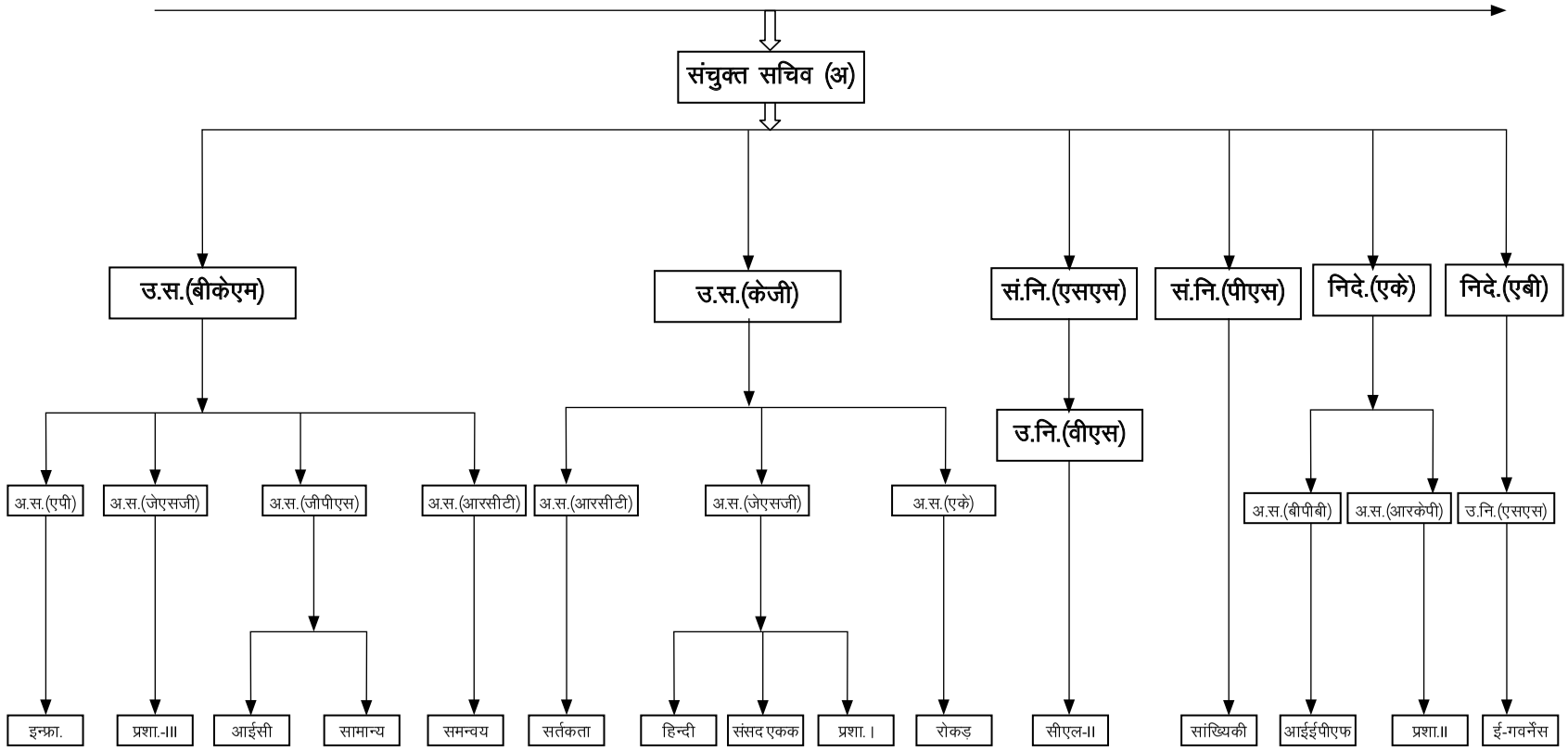
संचुक्त सचिव (अ)
उ.स.(बीकेएम)
उ.स.(केजी)
सं.नि.(एसएस)
सं.नि.(पीएस)
निदे.(एके)
निदे.(एबी)
अ.स.(एपी)
अ.स.(जेएसजी)
अ.स.(जीपीएस)
अ.स.(आरसीटी)
अ.स.(आरसीटी)
अ.स.(जेएसजी)
अ.स.(एके)
उ.नि.(वीएस)
अ.स.(बीपीबी)
अ.स.(आरकेपी)
उ.नि.(एसएस)
इन्फ्रा.
प्रशा.-III
आईसी
सामान्य
समन्वय
सर्तकता
हिन्दी
संसद एकक
प्रशा. I
रोकड़
सीएल-II
सांख्यिकी
आईईपीएफ
प्रशा.II
ई-गवर्नेंस

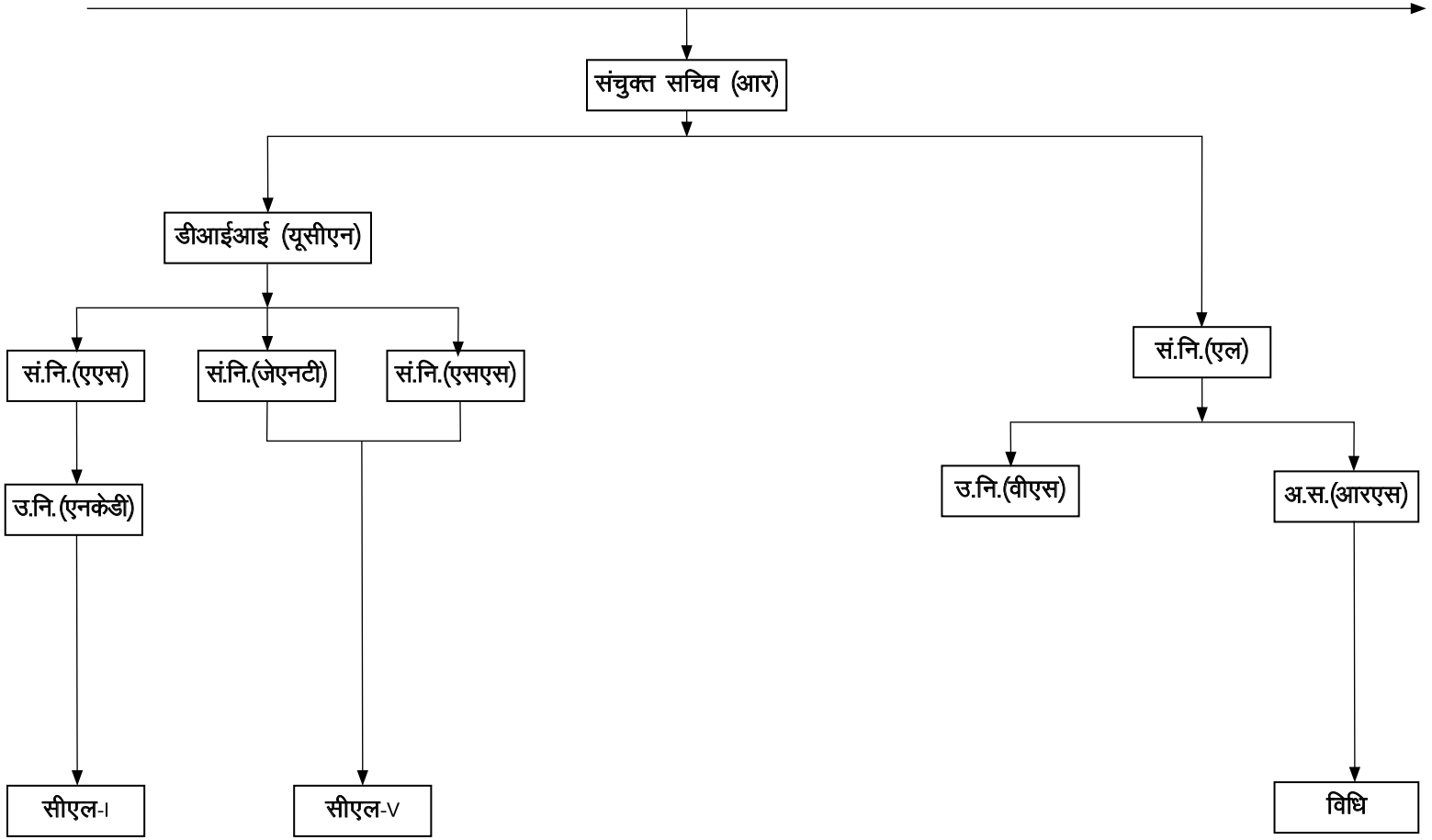
संचुक्त सचिव (आर)
डीआईआई (यूसीएन)
सं.नि.(एएस)
सं.नि.(जेएनटी)
सं.नि.(एसएस)
सं.नि.(एल)
उ.नि.(एनकेडी)
उ.नि.(वीएस)
अ.स.(आरएस)
सीएल-I
सीएल-V
विधि

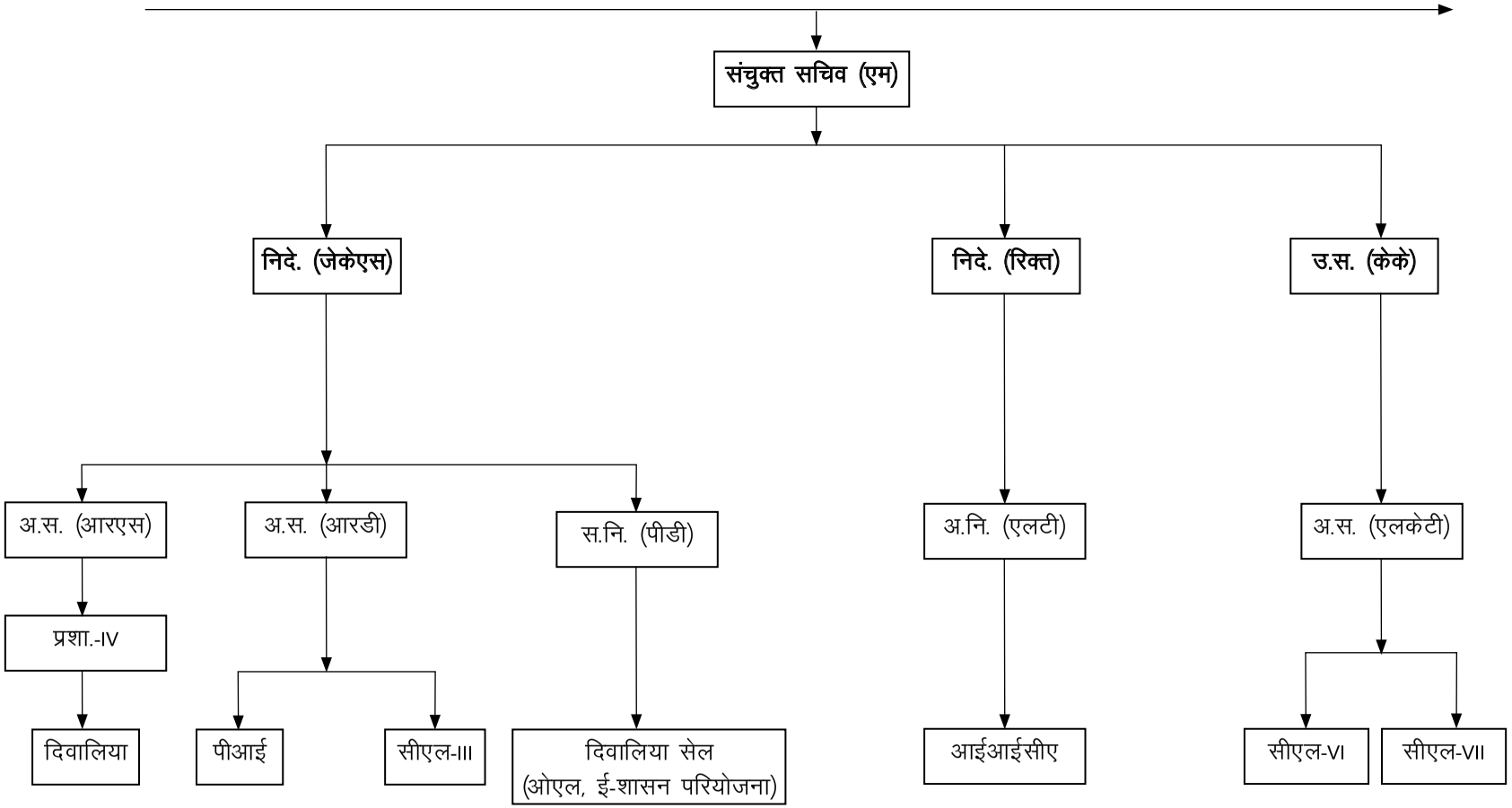
संचुक्त सचिव (एम)
निदे. (जेकेएस)
निदे. (रिक्त)
उ.स. (केके)
अ.स. (आरएस)
अ.स. (आरडी)
स.नि. (पीडी)
अ.नि. (एलटी)
अ.स. (एलकेटी)
प्रशा.-IV
दिवालिया
पीआई
सीएल-III
दिवालिया सेल
(ओएल, ई-शासन परियोजना)
आईआईसीए
सीएल-VI
सीएल-VII

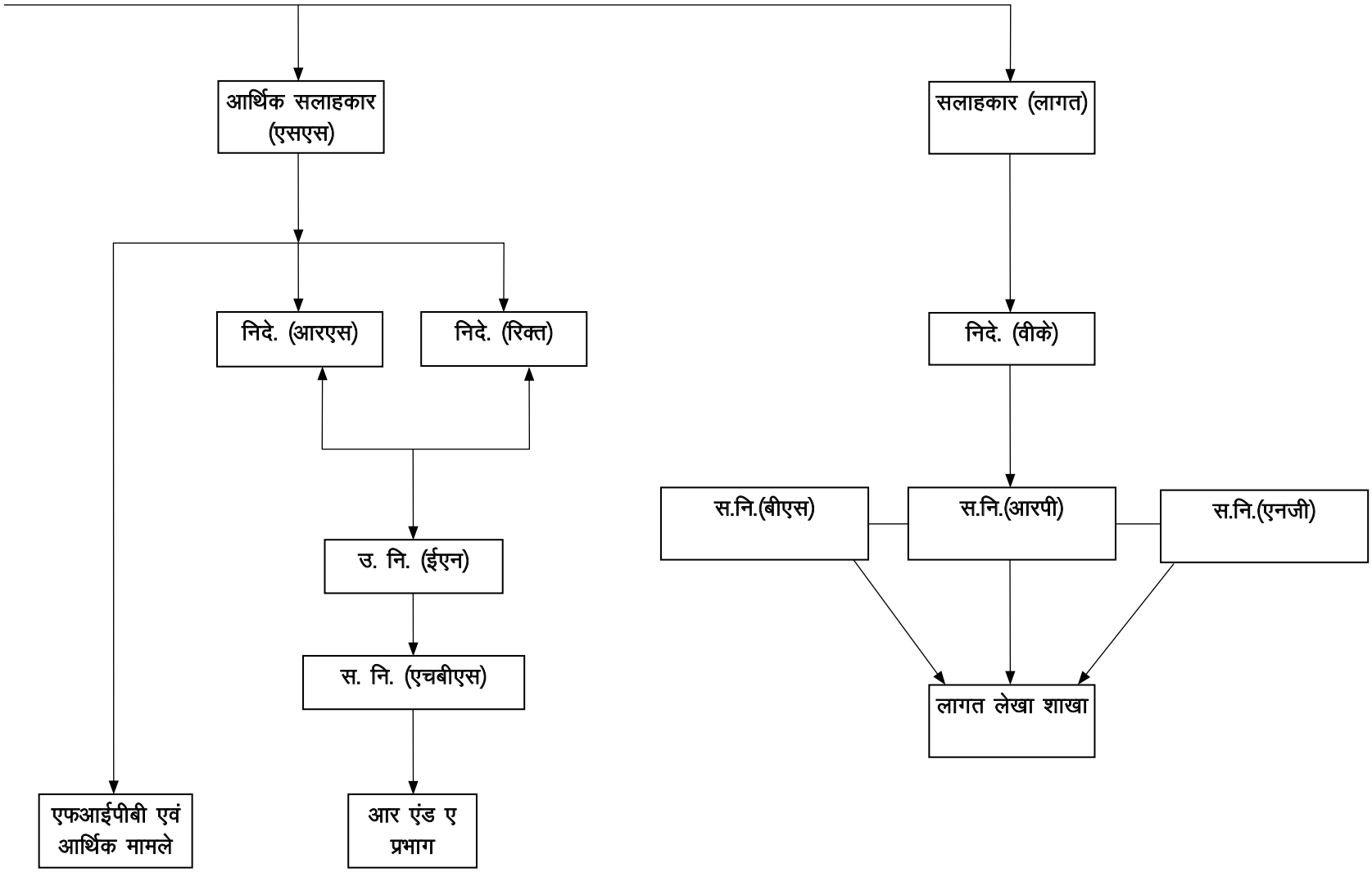
आर्थिक सलाहकार (एसएस)
सलाहकार (लागत)
निदे. (आरएस)
निदे. (रिक्त)
निदे. (वीके)
स.नि.(बीएस)
स.नि.(आरपी)
स.नि.(एनजी)
उ. नि. (ईएन)
स. नि. (एचबीएस)
लागत लेखा शाखा
एफआईपीबी एवं आर्थिक मामले
आर एंड ए प्रभाग

कारपोरेट कार्य मंत्रालय के मुख्य कार्यवाहक

डा. एम. वीरप्पा मोइली
मंत्री
श्री आर.पी.एन. सिंह
राज्य मंत्री
श्री नवेद मसूद
सचिव
श्री सुधीर मित्तल
अपर सचिव

अपर सचिव
सुधीर मित्तल

डीआईआई (डीआर)	धनराज
निदेशक (एबी)	अनिल भारद्वाज
सं.नि.(एलआर)	एल.आर. मीणा
सं.उ.नि.(आरकेएम)	आर. के. मीणा
अ.स.(जेबीके)	जे.बी. कौशिश
अ.स.(बीपीबी)	बी पी बिमल
उ.नि.(एमएसपी)	एम.एस. पचौरी
स.नि.(आरकेबी)	आर के. बक्शी
स.नि.(पीएस)	परमिन्दर सिंह
स.नि.(एटी)	आलोक टंडन
स.नि.(आईएच)	आई.एच. अंसारी

संयुक्त सचिव (ए)
अविनाश कु. श्रीवास्तव

निदेशक (एबी)	अनिल भारद्वाज
निदेशक (एके)	आलोक कुमार
उ.स.(बीकेएम)	बी.के. मल्होत्रा
उ.स.(केजी)	के. गुरुमूर्ति
सं.नि.(एसएस)	संजय शौरी
सं.नि.(पीएस)	पंकज श्रीवास्तव
उ.नि.(वीएस)	विनोद शर्मा
उ.नि.(एसएस)	संजय सूद
उ.नि.(एसएस)	श्याम सुंदर
अ.स.(जेएसजी)	जे.एस. गुप्ता
अ.स.(आरसीटी)	आर. सी. टली
अ.स.(बीपीबी)	बी.पी. विमल
अ.स.(जीपीएस)	जी.पी. सरकार
अ.स.(आरकेपी)	आर.के. पांडेय
अ.स.(एके)	अनिल कुमार
अ.स.(एपी)	अनिल पराशर
अ.स.(ओ. एल)	रीता सूद

संयुक्त सचिव (आर)
रेणुका कुमार

डीआईआई(यूसीएन)	यू.सी. नाहटा
निदे.(एएस)	ए. सामंतराय
सं.नि.(एल)	बीकेएल श्रीवास्तव
सं.नि.(जेएनटी)	जेएन टिक्कू
सं.उ.नि.(एएस)	संजय शौरी
उ.नि.(एनकेडी)	एन. के. दुआ
उ.नि.(वीएस)	विनोद शर्मा
स.नि.(एसआर)	सीमा रथ
स.नि.(एमजी)	मोनिका गुप्ता
स.नि.(केएस)	कामना शर्मा
स.नि.(एसडब्ल्यू)	सुरेन्द्र वधवा

संयुक्त सचिव (एम)
मनोज कुमार

निदे.(जेकेएस)	जय कांत सिंह
निदेशक	रिक्त
उ.स.(केके)	के.के. नाथ
अ.स.(आरएस)	राजेन्द्र सिंह
अ.स.(आरडी)	रीता डोगरा
अ.स.(एलकेटी)	एल.के. त्रिवेदी
अ.स.(एलटी)	लाखन ठक्कर
स.नि. (दिवालिया)	पी.के. दुग्गल
स.नि.(एटी)	अंशू टंडन

आर्थिक सलाहकार (एसएस, एसएस)
सिवानी स्वाई

निदे.(आरएस)	राधे श्याम
निदेशक	रिक्त
उ.नि.(ईएन)	ई. नागचन्द्रन
स.नि.(एचएस)	हरबंस सिंह

सलाहकार (लागत)
बी.बी. गोयल

निदे.(वीके)	वी.के. अग्रवाल
स.नि.(बीएस)	भारती सहाय
स.नि.(आरपी)	राकेश पांडेय
स.नि.(एनजी)	निपुण गुप्ता

समेकित वित्त एवं लेखा स्कंध

अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार : डॉ. राजन कटोच
सीसीए : विनीता बर्वा
उप सचिव (आईएफडी) : के. गुरुमूर्ति
अवर सचिव (आईएफडी) : अनिल कुमार
अनु. अधि. (आईएफडी) : कांति प्रसाद

मुख्य सतर्कता अधिकारी : अविनाश कु. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव
वेब मास्टर : अनिल भारद्वाज, निदेशक
कल्याण अधिकारी : एल. के. त्रिवेदी

बजट अनुभाग

सीसीए : विनीता बर्वा
उप सचिव (आरसीटी) : आर. सी. टली
अनुभाग अधिकारी (बजट) : एस.एल. मेघवाल

अनुलग्नक– IV

क्षेत्रीय निदेशकों, कंपनी रजिस्ट्रारों, शासकीय समापकों और कंपनी रजिस्ट्रार – सह–शासकीय समापकों के नाम और पते

क्षेत्रीय निदेशक

नाम एवं ई–मेल पता	दूरभाष	फैक्स
क्षेत्रीय निदेशक (पूर्वी क्षेत्र + उत्तर–पूर्व क्षेत्र) **निजाम पैलेस, दूसरी एमएसओ बिल्डिंग, दूसरा तल, 234/4, ए. जे. सी. बोस रोड, कोलकाता–700020**		
डा. नवरंग सैनी rd.east@mca.gov.in	033–2287–0383 (सीधा)	033–2287–0958
क्षेत्रीय निदेशक (उत्तरी क्षेत्र) **ए–14, सेक्टर-I, पीडीआईएल भवन, नोएडा, उत्तर प्रदेश**		
श्री बी. के. बंसल rd.north@mca.gov.in	0120–2445342 (सीधा)	0120–2445341 0120–2425924
क्षेत्रीय निदेशक (दक्षिणी क्षेत्र) **शास्त्री भवन, ब्लॉक-I, 5वां तल, 'ए' विंग, 26, हेड्डोस रोड, चेन्नई–600006**		
श्री के. पांडियन rd.south@mca.gov.in	044–28271737 (सीधा) 044–28276682	044–28280436
क्षेत्रीय निदेशक (पश्चिमी क्षेत्र) **100, एवरेस्ट बिल्डिंग, भूतल, नेताजी सुभाष मार्ग, मरिन ड्राइव, मुम्बई–400002**		
श्री एस. एम. अमीरूल मिल्लात rd.west@mca.gov.in	022–22872347 (सीधा) 022–22817259	022–22812389
क्षेत्रीय निदेशक (उत्तर पश्चिम क्षेत्र) **आरओसी भवन, रूरल पार्क के सामने, अंकुर बस स्टैड के पास, नारणपुरा, अहमदाबाद–380013**		
श्री के. एल. कम्बोज rd.northwest@mca.gov.in	079–27498725 (सीधा) 079–27498726–27	079–27438371
क्षेत्रीय निदेशक, दक्षिण–पूर्व क्षेत्र **दूसरा तल, सीपीडब्ल्यूडी बिल्डिंग, केन्द्रीय सदन, सुल्तान बाजार, कोटि, हैदराबाद – 500095**		
श्री ई. सेल्वराज rd.ser@mca.gov.in	040–24657937 (सीधा) 040–24740070	040–24652807

कंपनी रजिस्ट्रार

नाम एवं ई–मेल पता	दूरभाष	फैक्स
कंपनी रजिस्ट्रार, शिलांग, मेरिल्लो बिल्डिंग, भूतल, कचहरी रोड, शिलांग–793001		
श्री गुलाब चन्द यादव roc.shillong@mca.gov.in	0364–2223665 (सीधा)	0364–2211091
कंपनी रजिस्ट्रार, कोयम्बटूर स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग, दूसरा तल, 683, त्रिची रोड, सिंगनल्लूर, कोयम्बटूर–641005		
डा. एम. मनुनीथि चोलन roc.coimbatore@mca.gov.in	0422–2318170 0422–2319640	0422–2318089
कंपनी रजिस्ट्रार, कोलकाता 'निजाम पैलेस', दूसरी एमएसओ बिल्डिंग, दूसरा तल, 234/4, ए. जे. सी. बोस रोड, कोलकाता–700020		
श्री देवाशीस बंद्योपाध्याय roc.kolkata@mca.gov.in	033–2280–0409	033–2290–3795
कंपनी रजिस्ट्रार, दिल्ली एवं हरियाणा आईएफसीआई टावर, चौथा तल, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली–110019		
श्री मन मोहन जुनेजा roc.delhi@mca.gov.in	011–26235704	011–26235702
कंपनी रजिस्ट्रारए बंगलुरू केन्द्रीय सदन, ई–विंग, दूसरा तल, कोरामंगलम, बंगलुरू–560034		
श्री बी. एन. हरीश roc.bengaluru@mca.gov.in	080–25633105 (सीधा) 080–25597449	080–25538531
कंपनी रजिस्ट्रार, हैदराबाद, 3–5–398, केन्द्रीय सदन, दूसरा तल, सुल्तान बाजार, कोटि, हैदराबाद –500095		
श्री एम. वी. चक्रनारायण roc.hyderabad@mca.gov.in	040–24657937 (सीधा) 040–24656114	040–24652807
कंपनी रजिस्ट्रार, एर्णाकुलम प्रथम तल, कंपनी लॉ भवन, बीएमसी रोड, थ्रिक्काकारा पीओ, कोच्चि–692021		
श्री के. जी. जोसेफ जेक्सन roc.ernakulam@mca.gov.in	0484–2423749 (सीधा) 0484–2421489 0484–2421626 0484–2421310	0484–2422327

नाम एवं ई–मेल पता	दूरभाष	फैक्स
कंपनी रजिस्ट्रार, पुदुचेरी, संख्या–35, एलांगो नगर, प्रथम तल, III क्रॉस, पुदुचेरी–605011		
श्री वी. स्वामीदासन roc.puducherry@mca.gov.in	0413–2244277 (सीधा) 0413–2240129	0413–2244274
कंपनी रजिस्ट्रारए मुम्बई 100, एवरेस्ट, मरिन ड्राइव, मुम्बई–400002		
श्री एम. आर. भट roc.mumbai@mca.gov.in	022–22812639	022–22811977
कंपनी रजिस्ट्रार, अहमदाबाद आरओसी भवन, रूपल पार्क के सामने, अंकुर बस स्टैंड के पास, नारणपुरा, अहमदाबाद–380013		
श्री आर. के. डालमिया roc.ahmedabad@mca.gov.in	079–27437597 (सीधा) 079–27473867 079–27438531	079–27438371
कंपनी रजिस्ट्रार, पुणे पीएमटी कॉमर्शियल बिल्डिंग, तीसरा तल, डेक्कन जिमखाना, पुणे–411004		
श्री वी.पी. कटकर roc.pune@mca.gov.in	020–25530042 (सीधा)	020–25530042
कंपनी रजिस्ट्रारए चेन्नई शास्त्री भवन, दूसरा तल, 26 हेड्डोस रोड, चेन्नई–600006		
श्री वी.सी. दवे roc.chennai@mca.gov.in	044–28277182 (सीधा) 044–28276381 (सीधा)	044–28234298
कंपनी रजिस्ट्रार, ग्वालियर पोस्ट बॉक्स 2, A–ब्लॉक, तीसरा तल, संजय कामप्लेक्स, जयेन्द्र गंज, ग्वालियर–474009		
श्री. एस. के. अग्रवाल roc.gwalior@mca.gov.in	0751–2321907 (सीधा)	0751–2631853
कंपनी रजिस्ट्रार, चण्डीगढ़ कारपोरेट भवन, प्लॉट नं.–4, दूसरा तल, सेक्टर–27बी मध्य मार्ग, चण्डीगढ़–160019		
डा. राज सिंह roc.chandigarh@mca.gov.in	0172–2639415 0172–2637301	0172–2639416
कंपनी रजिस्ट्रार, कानपुर 10/499–बी, एलन गंज, खलासी लाइन, कानपुर–208002		
श्री एस. पी. कुमार roc.kanpur@mca.gov.in	0512–2550688 0512–2540423	

शासकीय समापक

नाम एवं ई–मेल पता	दूरभाष	फैक्स
शासकीय समापक (कोलकाता उच्च न्यायालय से संबद्ध) 9, ओल्ड पोस्ट ऑफिस स्ट्रीट, 5वां तल, कोलकाता–700001		
श्री के. आनंद राव ol-kolkata-mca@nic.in	033–22486501 22486067 22435073 22420708 9874264647 (मो)	033–22482483
शासकीय समापक (गुवाहाटी उच्च न्यायालय से संबद्ध) कंपनी रजिस्ट्रार, एन. ई. क्षेत्र मोरिल्लो बिल्डिंग, भूतल, शिलांग–793001		
श्री डी. एन. चौधुरी ol-shillong-mca@nic.in	0364–2223665 (सीधा)	0364–2211091
शासकीय समापक (आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय से संबद्ध) 5–4–400, दूसरा तल, पूर्वी विंग, गगन विहार, नामापल्ली हैदराबाद–500095		
श्री डी. विजय भास्कर ol-hyderabad-mca@nic.in	040–24736883 (सीधा) 040–24656780 040–24746363	040–24610514
शासकीय समापक (मद्रास उच्च न्यायालय से संबद्ध) कारपोरेट भवन, दूसरा तल, सं. 29, राजाजी सालाई, चेन्नई–600001		
श्री अरविन्द शुक्ला ol-chennai-mca@nic.in	044–25271150 (सीधा) 044–25271151 044–25271148	044–255271152
शासकीय समापक (कर्नाटक उच्च न्यायालय से संबद्ध) केन्द्रीय सदन, डी एण्ड एफ विंग, चौथा तल, कोरामंगला, बंगलुरू–560034		
श्री एस. रमाकांत ol-bangalore-mca@nic.in	080–25598671 080–25598672 080–25598673	080–25598674
शासकीय समापक (मुम्बई उच्च न्यायालय से संबद्ध) बैंक ऑफ इंडिया भवन, 5वां तल, एम.जी. रोड, मुम्बई–400023		
श्री पी. रामा राव ol-mumbai-mca@nic.in	022–22671851 (सीधा)	022–22692307
शासकीय समापक (गुजरात उच्च न्यायालय से संबद्ध) जीवाभाई चैम्बर, आश्रम रोड, पोस्ट ऑफिस के पीछे, नवरंगपुरा, अहमदाबाद–380009		
श्री ए. के. चतुर्वेदी ol-ahmedabad-mca@nic.in	079–26581903 (सीधा) 079–26581912	079–26587837

नाम एवं ई–मेल पता	दूरभाष	फैक्स
शासकीय समापक (मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय से संबद्ध) प्रथम तल, ओल्ड सीआईए बिल्डिंग, जीपीओ के सामने, रेजीडेंसी एरिया, इंदौर–452001		
श्री पी. के. बट्टा ol-indore-mca@nic.in	0731–2710051 (सीधा)	0731–2710568
शासकीय समापक (मुम्बई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ से संबद्ध) दूसरा तल, पूर्वी विंग, नया सचिवालाय भवन, सिविल लाइन्स, नागपुर–440001		
श्री आर. के. तिवारी ol-nagpur-mca@nic.in	0712–2527512	0712–2522934
शासकीय समापक (दिल्ली उच्च न्यायालय से संबद्ध) ए2, डब्ल्यू–2, कर्जन रोड बैरेक्स, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली–110001		
श्री बी. गौतम officialliquidatordelhi@yahoo.com	011–23389996 011–23073392	011–23388405
शासकीय समापक (पंजाब, हरियाणा एवं हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय से संबद्ध) एस सी ओ न० 9, दूसरा तल, सेक्टर–26, चण्डीगढ़–160019		
श्री डी.पी. ओझा officialliquidatorchd@gmail.com	0172–2659874 0172–2659876	0172–2659875
शासकीय समापक (उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड उच्च न्यायालय से संबद्ध) 33, ताशकंद मार्ग, सिविल लाइन, इलाहाबाद–211001		
श्री एच. आर. पटोले olup.alld@yahoo.com.in	0532–2560312 0532–2560314	0532–2560162
शासकीय समापक (केरल उच्च न्यायालय से संबद्ध) कंपनी लॉ भवन, तीसरा तल, बी.एम.सी. रोड, थ्रिक्काकारा, पी.ओ., कोच्चि–682021		
श्री एन. कृष्णमूर्ति ol-cochin-mca@nic.in	0484–2422889	0484–2423172

कंपनी रजिस्ट्रार – सह–शासकीय समापक		
नाम एवं ई–मेल पता	**दूरभाष**	**फैक्स**
कंपनी रजिस्ट्रार – सह–शासकीय समापक, जम्मू – कश्मीर **जम्मू** :हॉल सं. 405 से 408ए बहु प्लाजा, चौथा तल, साउथ ब्लॉक, रेल हेड कॉम्प्लेक्स, जम्मू–180012 **श्रीनगरः** एसडीए कार्यालय कॉम्प्लेक्स, भूतल, बेमिना बाई पास श्रीनगर – 190018		
श्री एम. के. बागरी manoj.bagri@mca.gov.in Ol-jammu-mca@nic.in	**(जम्मू कार्यालय)**	
	0191–2470306 (सीधा) 0191–2472504	0191–2470306
	(श्रीनगर कार्यालय)	
	0194–2494995	0194–2494995
कंपनी रजिस्ट्रार – सह–शासकीय समापक, पटना **मयूर लोक कॉम्प्लेक्स, चौथा तल, ए–ब्लॉक, डाक बंगलो रोड, पटना–800001**		
श्री एस. के. बाबरजी ol-patna-mca@nic.in Roc.Patna@mca.gov.in	0612–2222172 0612–2233990	0612–2222172 0612–2233990
कंपनी रजिस्ट्रार – सह–शासकीय समापक, गोवा **कारपोरेट भवन, ईडीसी कॉम्प्लेक्स, प्लाट नं. 21, पट्टो, पणजी, गोवा–403001**		
श्री एस. के. गुप्ता roc.goa@mca.gov.in sanjay1.gupta@mca.gov.in	0832–2438617 0832–2438618	0832–2438617
कंपनी रजिस्ट्रार – सह–शासकीय समापक, बिलासपुर **पोस्ट बॉक्स सं.–2, ए–ब्लॉक, संजय कॉम्प्लेक्स, तीसरा तल, जयेन्द्र गंज, ग्वालियर–474009**		
श्री एस. के. अग्रवाल Sk.agarwal@mca.gov.in	0751–2321907 (सीधा) 0751–2430012	0751–2631853
कंपनी रजिस्ट्रार – सह–शासकीय समापक, शिमला **एस सी ओ न० 9, दूसरा तल, सेक्टर–26, चण्डीगढ़–160019**		
श्री डी. पी. ओझा roc.himachal@mca.gov.in	0172–2639415 0172–2637301	
कंपनी रजिस्ट्रार – सह–शासकीय समापक, नैनीताल **10/499–बी, एलनगंज, खलासी लाइन, कानपुर–208002**		
श्री एम. पी. साहा roc.kanpur@mca.gov.in	0512–2550688 0512–2540383	0512–2540423

नाम एवं ई–मेल पता	दूरभाष	फैक्स
कंपनी रजिस्ट्रार – सह–शासकीय समापक, कटक कारपोरेट भवन, दूसरा एवं तीसरा तल, सेक्टर–1, सीडीए, कटक–753014		
श्री बिबेकानन्द मोहंती roc.cuttack@mca.gov.in ol-cuttack-mca@nic.in	0671–2365361 0671–2364959	
कंपनी रजिस्ट्रार – सह–शासकीय समापक, रांची मकान सं–239, रोड सं.–4, मजिस्ट्रेट कॉलोनी, डोरंडा, रांची, झारखंड–834002		
श्री बेणुधर मिश्रा ol-ranchi-mca@nic.in	0651–2482811	
कंपनी रजिस्ट्रार – सह–शासकीय समापक, जयपुर जी/6–7, कारपोरेट भवन, रेजीडेंसी एरिया, सिविल एरिया, जयपुर– 302001		
श्री एस. पी. कुमार roc.jaipur@mca.gov.in	0141–2222464 (सीधा) 0141–2222466 0141–2222422	

अनुलग्नक– V

लेखापरीक्षक की टिप्पणियां और की गई कार्रवाई

वर्ष	पैरा संख्या	लेखापरीक्षक पैरा	की गई कार्रवाई
2006–07	5 एवं 6	स्वीकृत अनुदानों एवं प्रभारित विनियोजनों से अधिक व्यय (2006–2007) पर लोक लेखा समिति के 80वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) की टिप्पणिणों/अनुशंसाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का 26वां प्रतिवेदन।	लोक सभा को भेजा गया अंतिम उत्तर (का.ज्ञा. सं. 10/02/08–आईएफडी दिनांक 17.06.2011 द्वारा)।
2007–08	–	लेखापरीक्षक का कोई पैरा नहीं।	
2008–09	**–**	**लेखापरीक्षक का कोई पैरा नहीं।**	
2009–10	**–**	**लेखापरीक्षक का कोई पैरा नहीं।**	

नोटः – मंत्रालय में लेखापरीक्षक का कोई पैरा लंबित नहीं है।

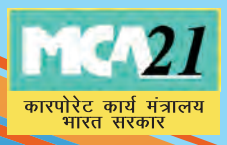

कारपोरेट कार्य मंत्रालय
भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

ए विंग, शास्त्री भवन, राजेन्द्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली – 110 001
दूरभाष – 011 – 23384158, 23384660, 23384659
ई–मेल : hq.delhi@mca.gov.in
oandm.dca@sb.nic.in